मध्यप्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

चतुर्दश विधान सभा चतुर्थ सत्र

दिसंबर, 2014 सत्र

गुरूवार, दिनाँक 11 दिसंबर, 2014

(20 अग्रहायण, शक संवत् 1936)

[खण्ड- 4] [अंक- 4]

मध्यप्रदेश विधान सभा

गुरूवार, दिनाँक 11 दिसंबर, 2014

(20 अग्रहायण, शक संवत् 1936)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

{ अध्यक्ष महोदय (डॉ.सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.}

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर.

अध्यक्ष महोदय-- प्रश्न क्रमांक 1 श्री यशपाल सिंह सिसोदिया....

सिंहस्थ 2016 में स्वीकृत निर्माण कार्य

1. **(*क्र. 1017) श्री सतीश मालवीय :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिंहस्थ कार्य 2016 के तहत आज दिनाँक तक कितने निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं एवं कितने कार्य निर्माणाधीन है तथा कितने पूर्ण हो चुके हैं एवं कितने निर्माण कार्य समय सीमा में पूर्ण हो रहे हैं एवं कितने कार्य स्वीकृति के पश्चात् भी प्रारंभ नहीं हुए हैं ? (ख) क्या यह सही है कि घट्टिया विधानसभा क्षेत्र में सिंहस्थ मद अंतर्गत स्वीकृत सड़क उज्जैन-बड़नगर (खेड़ापति हनुमान से गोनसा-सोड़ंग उन्हेल मार्ग) निर्माण कार्य शुरू हाने के पश्चात् निरस्त कर दिया गया ? यदि हॉं, तो किस कारण निरस्त किया गया ? (ग) उक्त निरस्त मार्ग सिंहस्थ के समय क्राउड मेनेजमेंट के लिए अत्यंत उपयोगी होगा ? निरस्त किये गये मार्ग को सिंहस्थ के लिये उपयोगी होने के कारण पुन: कब तक स्वीकृत किया जावेगा ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) सिंहस्थ-2016 के तहत विभिन्न विभागों के आज दिनांक तक कुल 255 कार्य स्वीकृत किये गये हैं, जिसमें से कुल 85 कार्य निर्माणाधीन हैं तथा कुल 15 कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं कुल 155 कार्य स्वीकृति के पश्चात प्रारंभ नहीं हुए है । (ख) एवं (ग) जी हॉ। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 30-01-2014 को संपन्न बैठक में सिंहस्थ कार्यो की स्थानीय समिति की अनुशंसा पर उक्त कार्य निरस्त किया गया। बैठक दिनांक 27-10-2014 में मार्ग के प्रथम 2 कि.मी. हेतु रू. 109.97 लाख की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है ।

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नगरीय प्रशासन मंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी को बधाई देना चाहता हूँ और शुभकामना भी देना चाहता हूँ इसलिए कि सिंहस्थ को लेकर के माननीय कैलाश जी को जो जिम्मेदारी मिलती है पिछली बार भी सिंहस्थ में माननीय कैलाश जी उज्जैन के प्रभारी थे और इस बार पुनः उनको दायित्व मिला है.

इंजी.प्रदीप लारिया-- यशपाल जी, नगरीय निकाय चुनाव में जो सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली है कैलाश जी के नेतृत्व में और माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया-- अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सिंहस्थ को लेकर के माननीय कैलाश जी की....

श्री लाखन सिंह यादव-- बाकी पूरी सरकार क्या करती रही.

अध्यक्ष महोदय-- कृपया प्रश्न करें. कृपया प्रश्न काल को बाधित न करें हो जाने दें.

श्री सुन्दरलाल तिवारी-- अध्यक्ष महोदय, ये धन्यवाद दे रहे हैं खंडवा जिले के 6 सिमी कार्यकर्ता....

अध्यक्ष महोदय-- आप बैठ जाइये.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया-- आज पहला ही प्रश्न कैलाश जी का है..(व्यवधान)..कैलाश जी इसका जवाब देंगे.

श्री सुन्दरलाल तिवारी-- आज पूरे देश को खतरा है.

अध्यक्ष महोदय-- आप कृपा करके बैठ जाएँ. प्रश्नकाल हो जाने दिया करें.अच्छी बात नहीं है.

श्री सुन्दरलाल तिवारी-- अध्यक्ष महोदय, आईबी ने अलर्ट जारी किया है. सिमी के 6-6 कार्यकर्ता फरार हैं...

अध्यक्ष महोदय-- यह इसमें कहाँ है.

श्री मुरलीधर पाटीदार-- तिवारी जी सुरक्षित रहेंगे आप चिंता मत करो.

अध्यक्ष महोदय-- इसमें कोई ऐसा विषय है क्या. सिसोदिया जी, आप प्रश्न करिए.

डॉ.नरोत्तम मिश्र-- तिवारी जी, सीबीआई जाँच की मांग कर लो.

श्री सुन्दरलाल तिवारी-- आईबी ने अलर्ट जारी किया है और सिमी के कार्यकर्ता 2 पकड़े गए हैं 6 घूम रहे हैं....

अध्यक्ष महोदय-- आप प्रश्न करिए. उनको बोलने दीजिए उनकी आदत है.

श्री सुन्दरलाल तिवारी-- (xxx)

अध्यक्ष महोदय-- यह नहीं आएगा रिकार्ड में.

(xxx) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया-- अध्यक्ष महोदय, मैं कैलाश जी से प्रश्न करना चाहूँगा इसलिए कि आज कैलाश जी का दिन है. कैलाश सत्यार्थी को भी नोबल पुरस्कार मिला और मैं कैलाश विजयवर्गीय जी से पहला प्रश्न कर रहा हूँ. प्रदेश भी आज कैलाश सत्यार्थी जी को लेकर गौरवान्वित है. वे सत्यार्थी ही नहीं पुरुषार्थी भी हैं.

अध्यक्ष महोदय, मुझे जो जवाब आया है 255 कार्य सिंहस्थ को लेकर के स्वीकृत हुए हैं उनमें से 155 कार्य अभी प्रारंभ नहीं हुए हैं. 155 की संख्या बहुत ज्यादा होती है मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा ये कब तक प्रारंभ हो जाएँगे. उसकी समय सीमा बताने का कष्ट करें.

श्री कैलाश विजयवर्गीय-- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह टेंप्ररी कार्य होते हैं, जब सिंहस्थ प्रारंभ होता है तो टेंट लगना, टेंप्ररी शौचालय बनना, टेंप्ररी पाइप लाइन लगना, तो जब सिंहस्थ की डेट आती है उसके 6 महीने पहले से ये कार्य प्रारंभ हो जाते हैं और बाकी जो स्थायी प्रकार के

काम होते हैं, वह कार्य प्रारंभ हो गए हैं और करीब-करीब हमने जो समय सीमा तय की है उस समय सीमा में सारे काम हो रहे हैं.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया-- अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि माननीय सीएस महोदय की अध्यक्षता में 30.10.14 को एक कार्य निरस्त किया गया उज्जैन-बड़नगर (खेड़ापति हनुमान से गोनसा सोड़ंग उन्हेल मार्ग) बहुत महत्वपूर्ण है भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यह 30.01.2014 को निरस्त हो गया था लेकिन पुन: 27.10.2014 को मात्र 2 किलोमीटर सड़क मार्ग उसमें स्वीकृत हो गया मार्ग की लंबाई एक ही थी 5 किलोमीटर में से 2 किलोमीटर स्वीकृत हुआ है. यदि आधा-अधूरा निर्माण कार्य करेंगे तो छवि ठीक नहीं जायेगी लोगों में आक्रोश भी रहेगा और गलत संदेश भी जायेगा कि 5 किलोमीटर में से हम केवल 2 किलोमीटर ही स्वीकृत कर रहे हैं 3 किलोमीटर को छोड़ रहे हैं. मैं माननीय मंत्रीजी से आपके माध्यम से चाहूंगा कि वे आज पूरे 5 किलोमीटर की घोषणा कर दें वैसे 109 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं.

श्री कैलाश विजयवर्गीय—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि पिछले दिनों मैंने उज्जैन में सिंहस्थ के लिये बैठक ली थी वहां माननीय विधायक महोदय ने सुझाव दिया था हमने उस सड़क को 2 किलोमीटर से 5 किलोमीटर करने के निर्देश दे दिए हैं.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ.

श्री बहादुर सिंह चौहान—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूँ. मंत्रीजी ने उज्जैन में 8-10 घंटे की बड़ी विस्तृत बैठक ली थी उसमें विश्व का पाइंड डोंगला जो काल गणना का केन्द्र है उस डोंगला रोड को स्वीकृत करने के अधिकारियों को निर्देश दिए थे. मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूँ कि डोंगला रोड का कार्य कब तक प्रारंभ कर देंगे.

श्री कैलाश विजयवर्गीय—अध्यक्ष महोदय, उसका एस्टीमेट बन रहा है इसे वित्तीय समिति में भेजकर जल्दी स्वीकृत करा देंगे मैं उस बैठक में घोषणा करके आया था कि हम उस सड़क को भी स्वीकृति प्रदान करवा देंगे.

श्री बहादुर सिंह चौहान—बहुत-बहुत धन्यवाद.

10.37 बजे

विशेष उल्लेख

श्री कैलाश सत्यार्थी एवं सुश्री मलाला युसूफजई को नोबल शांति पुरस्कार पर बधाई

श्री रामनिवास रावत—माननीय अध्यक्ष महोदय, यशपाल सिंह जी ने भी कहा है यह हमारे प्रदेश के लिए बड़े गौरव की बात है कि विश्व का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार शांति के लिए समाज-सेवा के लिए कई क्षेत्रों में दिया जाता है वह हमारे प्रदेश के नागरिक कैलाश सत्यार्थी जी को मिला है जिससे प्रदेश का ही नहीं देश के जन-जन का गौरव बढ़ा है, मध्यप्रदेश का विश्व में नाम ऊंचा हुआ है यह पुरस्कार संयुक्त रुप से युसूफ मलाला को भी मिला है यह सदन श्री कैलाश सत्यार्थी और यूसूफ मलाला को बधाई देता है.

अध्यक्ष महोदय—हम सभी उनको बधाई और शुभकामनाएं देते हैं.

संसदीय कार्य मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र)—अध्यक्ष महोदय, वास्तव में सत्यार्थी जी को बधाई है और राज्य सरकार भी 17 तारीख को उनका सम्मान करने जा रही है. माननीय मुख्यमंत्रीजी ने भी उनको बधाई दी है.

श्री निशंक कुमार जैन—माननीय अध्यक्ष महोदय, विदिशा जिले के लिए तो और भी गौरव की बात है क्योंकि कैलाश सत्यार्थी जी विदिशा जिले से आते हैं विदिशा में ही वे पढ़े हैं विदिशा में ही उनका जन्म हुआ है.

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (क्रमश:)

सड़क एवं भवन निर्माण कार्यों में अनियमितता

2. **(*क्र. 1292) श्री आर.डी. प्रजापति :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में वर्ष 2012-13-14 में लोक निर्माण विभाग द्वारा कितनी सड़को एवं भवनों के निर्माण कराये जा रहे हैं ? स्टीमेट के अनुसार लागत राशि सहित सूची उपलब्ध करायें ? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार प्रत्येक निर्माण कार्य में स्टीमेट के अनुसार कितनी मात्रा में बालू लगाई गई हैं, कीमत सहित बतायें ? (ग) उपरोक्त सभी निर्माण कार्यो के उपयोग में लायी गई बालू कौन-कौन सी नदियों नालों एवं खदानों की है ? उनके नाम वाहन क्रं.,पिटपास क्रं. लागत की राशि सहित सारणी में बतायें ? (घ) क्या यह भी सही है कि निर्माण कार्यो में लगाई गई बालू अवैध खदानों से उत्खनन करके लाई गई हैं ? यदि हां, तो दोषी कर्मचारी, अधिकारी एवं ठेकेदारों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो कब तक की जायेगी ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ, अ-1 एवं अ-2** अनुसार । (ख) जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ** अनुसार । बालू के कीमत की जानकारी पृथक से संधारित नहीं की जाती है । (ग) निर्माण कार्यो में लगाई गई बालू ठेकेदार द्वारा लगाई गई है एवं उपयोग की गई बालू लाई जाने के स्त्रोत विभाग को ठेकेदार द्वारा बताना आवश्यक नहीं है । (घ) ठेकेदार द्वारा लगाई गई बालू स्त्रोत की जानकारी पृथक से संधारित नहीं की जाती । ठेकेदार द्वारा लगाई गई बालू की क्रय के देयक प्रस्तुत करने पर खनिज विभाग से सत्यापन अथवा देयक प्रस्तुत न करने पर रायल्टी की गणना कर कटौती करके अंतिम देयक का निराकरण किया जाता है । अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

श्री आर.डी. प्रजापति—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी द्वारा जो जवाब दिया गया है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ. मैंने यह पूछा था कि निर्माण कार्य में कितनी बालू लगी है तो मुझे बालू की कीमत न बताकर माननीय मंत्रीजी ने बताया है कि इतनी रायल्टी हमने दी है और बता रहे हैं कि ठेकेदार द्वारा यह बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि बालू कहां से लाए. मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि यह तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कलेक्टर, एसपी को भी बताना पड़ता है कि मैं धन कहां से लाया हूं. इन्होंने यह बताने की आवश्कता नहीं समझी. मैंने कई बार लोक निर्माण विभाग के ईई को लेटर लिखे, उन्होंने लिखा कि हेलविच कंपनी के द्वारा इस कार्यालय के पत्र

क्रमांक 509 खनिज/2014 दिनांक 11.4.2014 दिनांक 11.4.2014 एवं पत्र क्रमांक 904/खनिज/2014 दिनांक 21.7.2014 इनको पत्र दिए गए लेकिन आज तक इन्होंने जानकारी नहीं दी, यह भी लिखा है कि अजय शर्मा तनय मोहन लाल शर्मा हेलविच कंसर्ट कंपनी 14 आदर्श देहरादून रोड ऋषिकेश लेक किया जाता है कि नगर पंचायत...

अध्यक्ष महोदय—आप पढ़ें नहीं सीधे प्रश्न पूछ लें, आप क्या चाहते हैं.

श्री आर.डी.प्रजापति—अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूँ कि लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2012-13, 2013-14 में जो निर्माण कार्य कराए गए हैं वह गुणवत्ताहीन हैं पूरी तरह से आधी माटी और आधी बालू है। उसकी जांच मेरे सामने करायी जाये और उसकी जांच कोर कटर से और किसी शासकीय इंजीनियरिंग कालेज से करायी जाए।

श्री सरताज सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो काम चल रहा है उसकी पूरी सूची माननीय अध्यक्ष को दी गयी है और उसमें जो संभावित रेत की मात्री लगने वाली है , उसकी भी मात्रा बतायी गयी है और जो रेत लगी है उसके खिलाफ जो रायल्टी वसूल की गयी है उस राशि को भी बताया गया है। कुछ काम प्रगति है इसलिये जो मात्रा अनुमानित बतायी गयी थी उसमें थोड़ा अंतर है, क्योंकि काम अभी चल रहे हैं, और जैसे जैसे काम होते जायेंगे उनके बिल में से रायल्टी का पैसा काट लिया जाता है, जो पैसा काटा गया है उसके बारे में जानकारी देना चाहूंगा, पीडब्ल्यू के माध्यम से जो बालू की रायल्टी की कटौती हुई है वह 13 लाख, 79 हजार रूपये है, आरडीसी के माध्यम से चूंकि वह बीओटी का कार्य है तो कुछ पिट पासे उनसे लिये गयी हैं और मैंने चेक किया था पीट पासेस कम हैं तो उसके लिये निर्देश दिये गये हैं कि वह काम पूरा होने के बाद उसको जो फाईनल बिल किया जाए, वह तभी किया जाए , वह तब किया जाए जब उनसे पूरी रायल्टी ले लिया जाए , या वह पूरे पिट पासेस दे दें , तो फिर रायल्टी नहीं लगती। दूसरी बात जो माननी विधायक चाहते हैं कि यह कहां से निकाली गयी तो हमारा काम केवल रायल्टी को वसूल करना है। यह काम देखना खनिज विभाग का है कि कौन सी नदी से बालू उठायी गयी , कौन सी खदान से

निकाली गयी। लेकिन हम रायल्टी वसूल करते हैं। जब उनके पूरे पिट पासेस मिलते हैं तो उसकी रायल्टी का पैसा वसूल करते हैं ।

श्री आर.डी.प्रजापति :- अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे पहले निवेदन किया है कि यह खनिज विभाग ने एफआईआर दर्ज करने के लिये पत्र लिखा है, यह मैं आपको पढ़कर सुना रहा था कि यह बालू कहां से आयी , किस खदान से आयी , किस पिट पास नम्बर से आयी , किस वाहन से आयी । लेकिन अभी तक यह जानकारी नहीं बतायी और उन्होंने यह भी कहा था कि एक सप्ताह में एफआईआर दर्ज करके बतायें।

अध्यक्ष महोदय :- यह इस विभाग से संबंधित नहीं था। यह तो आप खनिज विभाग का पत्र पढ़ रहे हैं।

श्री आर.डी.प्रजापति :- अध्यक्ष महोदय, यह कहा गया है कि जो बालू लोक निर्माण विभाग द्वारा आयी है, उनके लिये खनिज विभाग ने लिखा है कि यह बालू अवैध तरीके से आयी है। आप कर रहे हैं कि बालू रायल्टी भर ली जायेगी । मैं कह रहा हूं कि मैं सोना चुराकर लाउं और किसी को कह दूं कि यह तो सब सही है। मैं चाहता हूं कि छतरपुर के ई.ई. को हटाकर के यह जांच करायी जाए क्योंकि कई करोड़ का अवैध घोटाला हुआ है। अगर यह जांच सही न पायी गयी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, जो मैं बोल रहा हूं वह बिल्कुल सत्य है। एक भी पिट पास जारी नहीं हुआ है , पूरी अवैध बालू है।

अध्यक्ष महोदय:- मंत्री जी वह जांच की बात कह रहे हैं।

श्री बहादुर सिंह चौहान :- अध्यक्ष महोदय, एक कार्यवाही तो दमदारी से करवा दीजिये ।

श्री सरताज सिंह :- अध्यक्ष महोदय, रायल्टी वसूल करने की जो प्रक्रिया है वह पूरे मध्यप्रदेश में लागू है, केवल छतरपुर में नहीं है। जैसा मैंने बताया भी कि सभी जगह यह स्थिति है कि हम रायल्टी वसूल कर लेते हैं, हमको कलेक्टर से या खनिज विभाग के जो अधिकारी से क्लीयरर्स ला देंगे कि इनकी रायल्टी जमा हो चुकी है तो हम वह रायलटी वापस कर देते हैं। लेकिन

जो अवैध उत्खनन की बात है ,जो एफआईआर की बात है ,अवैध उत्खनन को रोकने का काम खनिज विभाग का है, यह पीडब्ल्यूडी का नहीं है। इस पर जो भी कार्यवाही होगी हम करेंगे।

श्री आर.डी.प्रजापति :- अध्यक्ष महोदय, यह कार्यवाही कब तक की जायेगी। इसकी समय सीमा रहनी चाहिये ।

श्री सरताज सिंह :- अध्यक्ष महोदय, जहां तक इन्होंने गुणवत्ता की बात माननीय सदस्य ने कही है, यह इन्होंने प्रश्न में उठाया नहीं है , इन्होंने केवल बालू की रायल्टी का सवाल उठाया है। उसका उत्तर मैंने दे दिया है।

श्री आर. डी .प्रजापति :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा बालू से मतलब ऐसा नहीं है,यह चोरी की बालू है। खनिज विभाग ने लिखा है कि अवैध बालू है और उसकी एफआईआर दर्ज करने के लिये लिखा है।

अध्यक्ष महोदय:- आप बैठ जाईये ।

राजडोह पुल का घटिया निर्माण

3. **(*क्र. 1368) श्री सज्जन सिंह उईके :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तवा नदी, सारणी बैतूल में राजडोह पुल कितने लागत से कब स्वीकृत हुआ था ? (ख) क्या राजडोह पुल का घटिया निर्माण हुआ था ? यदि हॉ, तो कौन-कौन जिम्मेदार है ? यदि नहीं, तो पुल क्यों बह गया ? (ग) क्या म.प्र. शासन पुल निर्माण की जॉच कर रहा है ? यदि हॉ, तो कब तक जॉच पूरी होगी ? यदि नहीं, तो लागत राशि किससे वसूल होगी ? (घ) म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग ब्रिज कारपोरेशन पुल निर्माण के लिये क्या प्रयास कर रहा है ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) रूपये 397.31 लाख, दिनांक 19.01.2010 को स्वीकृत हुआ । (ख) जी नहीं । जांच प्रगतिरत । प्राथमिक रूप से दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के

विरूद्ध दिनांक 11.07.2013 को आरोप पत्र जारी किये गये है। (ग) जी हॉं। जांच की कार्यवाही प्रगतिरत है। जांच उपरांत गुण-दोष के आधार पर वसूली की कार्यवाही की जाना संभव होगी। (घ) जांच उपरांत नवीन पुल निर्माण के लिये कार्यवाही की जावेगी।

श्री सज्जन सिंह उईके - अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो राजडोह पुल बना था वह 2010 में स्वीकृत हुआ और 2012 में ही बह गया तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो पुल की जांच हो रही है वह कब तक पूरी होगी.

श्री सरताज सिंह – अध्यक्ष महोदय, पुल बाढ़ में बह गया उसके लिये जांच कमेटी गठित की गई थी इसमें श्री सी.वी.कांड, सेवामुक्त मुख्य अभियंता,सेतु, और दूसरे सदस्य थे श्री एस.एल.जैन, मुख्य अभियंता,सेतु, इन्होंने जांच की है और इन्होंने यह फाईडिंग पाई है. जो सर्वेक्षण हुआ था पुल का, जो डिजाईन बना था. पुल की जो लंबाई 90 मीटर रखी गई थी वह कम थी इस वजह से वह पानी का प्रेशर नहीं झेल सका और उसके स्पान बह गये और इसके लिये जिम्मेदार अधिकारियों को नोटिस दिये गये हैं. एक इ.इ. हैं, एक ए.इ. हैं और एक सब इंजीनियर हैं तीनों को नोटिस दिया गया है और ठेकेदार को भी नोटिस दिया है और जांच की कार्यवाही पूरी होने के बाद आवश्यक कार्यवाही की जाएगी.

श्री सज्जन सिंह उईके – अध्यक्ष महोदय, जो अधिकारी दोषी पाए गए हैं. मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसी घाट पर सन् 1984 में 18 आदिवासी नाव सहित बह गये थे जो लापता थे उस घटना के बाद 2010 में मध्यप्रदेश शासन ने पुल स्वीकृत किया और आज वह पुल फिर से बह गया है. मैं चाहूंगा कि आदिवासियों के हित में माननीय मंत्री जी उस पुल का निर्माण करवाने की कार्यवाही करेंगे.

श्री सरताज सिंह – अध्यक्ष महोदय, इसका डीपीआर हमने बनवा लिया था. लगभग 740 लाख का था लेकिन नया एसओआर आने से उसका रिवाईज डीपीआर बना रहे हैं और जैसे ही डीपीआर बन जाएगा उसको स्वीकृत करके उस काम को शुरू किया जाएगा.

राज्य में खेलकूद को प्रोत्साहन

4. **(*क्र. 1328) श्री मुकेश नायक :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) राज्य में खेल कूद को प्रोत्साहन देने के लिये विगत विधानसभा सत्र में माननीय मंत्री जी ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिये क्रिकेट आदि खेलों के 25 किट देने का आश्वासन दिया था ? उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई और कितनी धनराशि खर्च की गई ? (ख) ग्रामीण स्तर तक खेल कूद को प्रोत्साहन देने और नई खिलाड़ी प्रतिभाओं की खोज के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मंत्री (श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) योजना का तकनीकी एवं वित्तीय परीक्षण किया जा रहा है । अभी इस हेतु कोई धनराशि व्यय म नही की गई है । (ख) प्रदेश में ग्रामीण प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ग्रामीण खेल प्रतियोगिता का आयोजन पूरे प्रदेश में विकासखण्ड, जिला, संभाग एवं राज्य स्तर पर किया जाता है । राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के दौरान प्रतिभा खोजकर चिन्हित खिलाडियों को राष्ट्रीय प्र प्रतियोगिता में सम्मिलित कराया जाता है । ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता में एथलेटिक्स, ताईक्वांडो व्हालीबॉल, कबडडी, खो-खो, फुटबॉल, जूडो, वेटलिफ्टिंग, आर्चरी, हैण्डबॉल, हॉकी, बॉक्सिंग, बेडमिंटन, टेबल-टेनिस, बास्केटबॉल एवं कुश्ती खेल सम्मिलित है । ग्रामीण युवाओं को खेलों के प्रति आकर्षित करने एवं उनकी ऊर्जा का सदुपयोग खेलों के माध्यम से करने के उददेश्य से युवा अभियान अंतर्गत व्हालीबॉल, कबड्डी, रस्साकसी, टेनिस बॉल, क्रिकेट एवं मिनी मैराथन प्रतियोगिता का थाना स्तर, विकासखण्ड स्तर, जिला स्तर, संभाग स्तर एवं राज्य स्तर पर आयोजन किया जाकर प्रतिभा खोज की जाती है । विजेताओं को आकर्षक नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है ।

श्री मुकेश नायक - माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया ने पिछले विधान सभा सत्र में हर विधायक को 25-25 किट देने का आश्वासन दिया था. मेरे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा है कि अभी तकनीकी परीक्षण हो रहा है. ये कोई मंगल ग्रह पर जाने का तकनीकी परीक्षण है. एक साल होने को आ गया. मैं विनम्रतापूर्वक मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि एक किट से

उनका आशय क्या है कितने पेड्स होंगे, कितने स्टम्प होंगे, कितने बैट होंगे, कितने हेलमेट होंगे, कितने थाई गाड र्स्‍ होंगे यह बताने की कृपा करें और तकनीकी परीक्षण इस क्रिकेट के सेशन में पूर्ण हो जाएगा यह बताने की कृपा करें.

श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया – माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं अपने वरिष्ठ,अनुभवी, खेल कूद के लिये इतने चिंतित माननीय पूर्व मंत्री जी को थोड़ी सी दो पंक्तियां पढ़वाऊंगी अपनी बजट स्पीच में से. यह था 16 जुलाई को माननीय अध्यक्ष जी, उसमें मैंने कहा था कि अपने खेल विभाग के अधिकारियों को जरूर इस बारे में बताऊंगी कि विधायक को भी क्रिकेट के 25-25 किट्स देने चाहिये. चाहिये. तो चाहिये में आश्वासन तो नहीं होता.

श्री कमलेश्वर पटेल – माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक तो अपने आप विधायक निधि से यह सब व्यवस्था करते रहते हैं और अपने आप भी करते रहते हैं. यह कोई नयी बात तो नहीं है माननीय मंत्री जी.

श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया – जी हां. वही मैं कहने वाली थी. इतने खेल से चिंतित हैं तो हम लोगों को विधायक निधि से भी पैसा मिलता है तो एक क्रिकेट किट अगर आज मैं दूं भी तो आप कहोगे कि यह ठीक नहीं है, वह ठीक नहीं है. यह प्लास्टिक है. यह लेदर है. तो प्रशिक्षण जब हम करते हैं फिर भी वैसे तो जो मैंने आपको कहा उसमें प्रश्न बनता नहीं पर उत्तर जो आया है आपके पास उसके अंदर जब हम प्रशिक्षण की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हम कौन सा किट दें कैसा किट दें वैसे तो किसी को चंद्रमा पर भेजने की बात नहीं हो रही है. तो कितने स्टम्प होंगे. कितने बास्केट बाल होंगे तो मैं आपको पढ़कर बता दूं.

श्री मुकेश नायक – हमसे ही पूछ या होता हम बता देते.

श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया – मेरी बात तो सुन लें. स्टम्प दो जोड़, बेट्स तीन नग, बेटिंग पेड तीन जोड़े, कीपिंग पेड्स एक जोड़ा, कीपिंग गिलब्स एक जोड़ा, बेटिंग गिलब्स तीन जोड़े,

हेलमेट दो नग, एबडोमिनल गार्ड तीन नग, थाईपेड तीन नग, एल्बो गार्ड तीन नग, लेदर बॉल छः नग.

अध्यक्ष महोदय—इनको सूची उपलब्ध करा दें.

एक माननीय सदस्य—मुकेश नायक जी जोड़ें कि कितना हुआ.(हंसी)

श्री कैलाश विजयवर्गीय—क्रिकेट है अब तो सेंचुरी बनेगी.(हंसी)

श्री उमाशंकर गुप्ता—एक प्रवचनकार को भी जवाब इसी तरह का दिया था.(हंसी)

श्री बहादुर सिंह चौहान—आज मुकेश नायक जी को पूरा पूरा समय दें इस प्रश्न को पूछने के लिये.(हंसी)

श्री भूपेन्द्र सिंह—आज मुकेश नायक जी क्लीन बोल्ड हो गये हैं और हिट विकेट भी हो गये हैं.

श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया—अध्यक्ष महोदय, इन 11 आईट्म्स पर अगर हमारे खेल के प्रति चिन्तित हमारे पूर्व मंत्री जी हमें बता दें कि यह 11 आईट्म्स में और कुछ अगर लगाना हो, थोड़ा हमें यह भी बता दें कि इन आईट्म्स के लिये कितना पैसा व्यय हमें करना चाहिये आपको प्लास्टिक बॉल चाहिये या टेनिस बॉल चाहिये, लेदर बॉल चाहिये इन सारी चीजों में पैसा तो लगता है तो फिर हमें जाना पड़ेगा योजना मंडल के पास जो आपको पता है. योजना मंडल से फिर फायनेंस जाना पड़ेगा यह आपके ऊपर है.

श्री सोहनलाल बाल्मीक—अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि बजट में रखा है, पर किस आशय से रखा है यदि आपने रखा है तो देना चाहिये बजट में रखने का तात्पर्य क्या है.

श्री कैलाश विजयवर्गीय—नायक जी को आपके सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है.

श्री सोहनलाल बाल्मीक—मैं इनको सपोर्ट नहीं कर रहा हूं मैं अपनी बात को रख रहा हूं. यदि नहीं देना था तो क्यों रखा गया.

श्री बहादुर सिंह चौहान—माननीय मंत्री जी ने सही उत्तर दिया है तो उनको सुनना चाहिये उन्होंने एक एक बात को क्लियर कर दिया है उस बात को ध्यान से सुने.

अध्यक्ष महोदय—आप नहीं सुन पाए आप बैठ जाएं.

श्री सोहनलाल बाल्मीक—मैं सुन रहा हूं बजट को किस आशय से रखा गया है.

श्री मुकेश नायक—माननीय अध्यक्ष महोदय मैं दो प्रश्न छोटे छोटे मंत्री जी से और पूछना चाहता हूं पहला प्रश्न यह कि तकनीकी परीक्षण कब तक हो जायेगा तथा इसकी वित्तीय स्वीकृति कब तक हो जायेगी. विधायकों को किट विधायक निधि से देना है या राज्य सरकार जिन्होंने आश्वासन दिया था कि वह किट उपलब्ध कराएगी. दूसरा प्रश्न मेरा है ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहन देने के लिये मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि थाना स्तर पर, ब्लाक स्तर पर, जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर, राज्य स्तर पर बेट्री ऑफ टेस्ट में अप्लाई करेंगी और खेलकूद की अच्छी प्रतिभाओं का चयन करके राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धाओं के लिये उनको आधुनिक प्रशिक्षण से जोड़ेंगी. क्या आपने वेटलिफटिंग, फेन्सिंग, ताईकांडो, बेडमिन्टन, एथलेटिक इसका स्पेसिफिक आपने जिक्र किया है तो मुझे यह बताने की कृपा करें कि पिछले दो वर्षों में थाना स्तर पर इसके एक्यूपमेंट पर, एथलेटिक्स पर, बेडमिन्टर पर, फेसिंग पर, वेटलिफटिंग पर एक्यूपमेन्ट लेवल पर कितनी राशि का नियोजन किया है.

श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया—अध्यक्ष जी मैं अपने माननीय मंत्री जी की राय लेकर के कहूंगी कि उद्‌भूत नहीं होगा, पर माननीय सदस्य को मैं आश्वस्त कराना चाहती हूं कि आपने एक प्रश्न में यह भी पूछा था कि खेल-कूद में जब प्रतियोगिताएं आप करते हैं तो कितने कितने बच्चे चिन्हित होकर प्रतिभाशाली बनते हैं तो इसमें आपको यह भी बताना चाहूंगी कि ताईकांडों में ऐसे ही जिला एवं थाना स्तर पर जो प्रतियोगिता कर रहे हैं.इसमें मैं आपको यह भी बताना चाहूंगी कि ताईक्वांडो में ऐसे ही जिला और थाने स्तर स्थल की हम जो प्रतियोगिता कर रहे हैं उनमें से ताईक्वांडो में प्रिया जामरा निकली हैं और अब हमारी ताईक्वांडो अकेडमी में आई हैं, सागर दुबे

पिपरिया से आये हैं, आशुतोष हमारे भिंड से आये हैं, सोम पंडित दंडोतिया हमारे मुरैना से आये हैं, प्रज्ञा हमारी मुरैना से आई है, मनीषा हमारी मुरैना से आई है यह सारे 6 खिलाड़ी हमारे ताईक्वांडो एकैडमी में हैं. कुश्ती एकैडमी में हमारे ऐसे ही ....

अध्यक्ष महोदय--आप उनको सूची उपलब्ध करा दें.

श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया--सेटिस्फाइड हैं ?

श्री मुकेश नायक--नहीं, मैंने यह पूछा है अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष महोदय--पिछले 2 साल में कितना खर्चा किया.

श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया--अध्यक्ष महोदय, यदि आप कहें तो वह मैं उपलब्ध करा दूंगी.

अध्यक्ष महोदय-- वह प्रश्न उद्भूत नहीं होता उससे.

श्री मुकेश नायक--नहीं, तो इतना ही बता दें कि इन्फ्रास्ट्रक्चर पर कितना खर्च किया ?

श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया--मैं आपके पास वह सब चीजें उपलब्ध करा दूंगी.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार--अध्यक्ष महोदय, हेलमेट की संख्या बढ़ाने पर तो बात नहीं हुई, जिसकी मुकेश जी को जरूरत थी क्योंकि यह मैदान के अलावा बाहर भी हेलमेट लगाकर जाते हैं.

प्रश्न संख्या (5)--..

मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु राशि की स्वीकृति

5. **(*क्र. 877) श्री हरदीप सिंह डंग :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में कितने ऐसे मंदिर एवं धार्मिक स्थल हैं, जिनको धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व में शामिल किया गया है ? (ख) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के कितने मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु शासन द्वारा विगत 10 वर्षों में कितनी राशि स्वीकृत की गई ? ग्रामवार मंदिरों के नाम तथा स्वीकृत राशि की जानकारी दें ? (ग) धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा मंदिरों तथा धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार हेतु कौन-कौन सी योजनाऐं संचालित हैं ? (घ) सुवासरा

विधानसभा क्षेत्र में धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के अंतर्गत मंदिरों के खातों में कितनी राशि तथा कितनी भूमि मंदिरों के स्वामित्व में है ?

उद्योग मंत्री (श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया) : ;कद्ध सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में 857 मंदिर एंव धार्मिक स्थल है जिनको धार्मिक न्यास एंव धर्मस्व में शामिल किया गया । ;खद्ध 61 मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु शासन द्वारा विगत 10 वर्षो में राशि रूपये 80ए87ए400ः स्वीकृत की गई । जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट श्श्अश्श** अनुसार ;गद्ध शासन संधारित धार्मिक स्थलों को समय.समय पर जीर्णोद्धार हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है । ;घद्ध मंदिरो के खाते में राशि रूपये 89ए65ए208ः है । जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट श्श्ब'श** अनुसार है तथा मंदिर के स्वामित्व में भूमि 2505ण्446 हेक्टेयर है ।

श्री हरदीप सिंह डंग--माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जो मैंने प्रश्न पूछा मूलत: एक-एक शब्द के उत्तर उन्होंने मेरे पास यहां पर भेजे हैं क्योंकि कुछ प्रश्न पहले पूछे थे उसकी जो मूल आवश्यकता थी, वह प्रश्नों से हटा दी गई थी पर इस बारे में पूरे प्रश्न के उत्तर मेरे पास आये हैं, इसके लिये पहले तो मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद. धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग में जो प्रश्न उठा था कि सुवासरा विधान सभा में कितने मंदिर हैं, बैंकों में कितनी राशि जमा है, उस पर जमीनें कितनी हैं, तो मुझे जो उत्तर मिला है सुवासरा विधान सभा में 857 मंदिर धार्मिक स्थल हैं और उस पर जो जमीन बताई गई है 2505 हेक्टेयर अगर इसको एकड़ में माना जाये, तो 5 से 6 हजार एकड़ जमीन होती है और 12 हजार बीघा जमीन मंदिरों के नाम पर बताई गई है. जब इतनी जमीन हो और 90 लाख, 65 हजार, 208 रूपये अर्थात् 90 लाख रूपये करीब बैंकों में यह मंदिरों की राशि पड़ी हो और इतनी जमीन वहां पर हो उसके बाद भी आपके विभाग द्वारा ऐसी कोई नीति बनाई गई हो जिससे जमीनों का सही उपयोग हो सके, बैंकों में जो 90 लाख राशि विगत कई वर्षों से पड़ी हुई है, उसके लिये आप क्या नीति बना रहे हैं और आगे उस राशि का कैसे उपयोग कर सकते हैं ?

श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया--माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रश्न का उत्तर दिया गया है, उसमें देखा गया है कि हर विधान सभा में या हर जिले में मध्यप्रदेश के बहुत सारे मंदिर हैं, जहां 2-2 एकड़ की भूमि, 6-6 एकड़ की भूमि या कहीं भूमि नहीं है, ऐसे हम अभी डेटा कलेक्टर कर रहे हैं कलेक्टरों से, जैसे आज हमने विधायक जी को डेटा पेश किया है कि इतने सारे हेक्टेयर भूमि मंदिर के अंदर है, हमारे पास एक लाईन हमारी 2008 की नीति है और वह 2008 की नीति आज तक चली आ रही है, जिसमें कहा गया है कि शासन संधारित मंदिरों से लगी हुई कृषि भूमि लीज पर नहीं दी जा कर मंदिर के पुजारियों के हवाले रखी जायेगी, तो हमें भी थोड़ा सा इसमें बहुत सोच समझकर हम जो नई पालिसी बना रहे हैं, वह सोच समझकर बनानी पड़ेगी क्योंकि जो हमारे मंदिर के भगवान हैं उनको हम कंसीडर करते हैं कि वह लिविंग बीइंग हैं वह जीवित हैं और वह लिविंग बीइंग को पंडित उसकी सिर्फ देखरेख ही कर रहे हैं, तो इसीलिये इस देखरेख को जो जमीन उस प्रतिमा की है, उसको भी अगर हमें पालिसी में जोड़ना है और सके साथ क्या करना है, पहले हमें सभी लोगों के विचार लेने पड़ेंगे और मध्यप्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश भी इस पर लेने पड़ेंगे, तो इसीलियेयह पालिसी थोड़ी देर से निकल रही है और देर से ही आयेगी. इसमें चिंतित होकर यह भी पालिसी में हम लाना चाह रहे हैं कि मंदिर का जो चढ़ावा आता है, उसके साथ पंडित क्या कर रहा है ? क्या पंडित इसको ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है और उसमें भी आपको पता ही है कि पंडित की क्या भूमिका रहती है, तो इसीलिये इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, इस पॉलिसी को बनाने के लिये. पर हम इस पॉलिसी पर काम कर रहे हैं.

श्री रामनिवास रावत -- मंत्री जी, पुजारियों का मामला है, जरा जल्दी पॉलिसी बन जाए.

श्री हरदीप सिंह डंग -- अध्यक्ष महोदय, आपके पास इतनी जमीन है, इतना रुपया बैंकों में जमा है. मेरा एक और महत्पूर्ण प्रश्न है कि जिले में अगर इस विभाग के पास जाओ तो प्रबंधक के नाम पर मात्र कलेक्टर महोदय उपस्थित रहते हैं. इस विभाग में कर्मचारियों का

अमला जिले में देखने को नहीं मिलता है और मैंने तो यहां तक देखा है कि भोपाल में भी कर्मचारियों का बहुत अभाव है. अगर कर्मचारी नहीं होंगे, वहां पर कलेक्टर के नाम के अलावा धर्मस्व विभाग में एक भी कर्मचारी मुझे देखने को नहीं मिला. तो आप कैसी नीति बनायेंगे, इसको आगे कैसे चलायेंगे. जो रुपया बैंकों में पड़ा है, उसको कैसे खर्च करेंगे. यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है. हमारे यहां माकड़ी माता का मंदिर है. उस मंदिर के बैंक एकाउंट में, सरकारी खजाने में 35 लाख रुपया पड़ा है और कई वर्षों से पड़ा है. आज तक उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है.

श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया -- अध्यक्ष महोदय, विधायक जी बिलकुल सही कह रहे हैं कि अमला है नहीं. अभी कलेक्टर और तहसीलदार ही मंदिरों की जो हालत है, चलाना है, संचालन है, वही देखते हैं. पर हम अभी कोशिश में हैं कि अमले को पहले यह डाटा हमारे पास आ जाए और उस डाटा के आधार पर हम फायनेंस के पास चले जाएं यह पूछने के लिये कि हमें एक अमला दिया जाए, जिसमें हम मंदिरों की हालत को ठीक रखें मंदिरों की जो पॉलिसी है, उसको भी ठीक से बनायें.

श्री हरदीप सिंह डंग -- अध्यक्ष महोदय, अभी केवल एक विधान सभा की यह हालत है. पूरे मध्यप्रदेश की अगर हालत देखी जाए तो यह बहुत चिंतनीय बात है.

अध्यक्ष महोदय -- प्रश्न संख्या 6. श्री जालम सिंह पटेल.

श्री गोपाल परमार -- (xxx)

अध्यक्ष महोदय -- गोपाल जी, कृपया आप बैठ जायें. मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं. बहुत समय हो गया है, बहुत प्रश्न हैं. कृपया बैठ जायें.

प्रश्न संख्या - 6 (अनुपस्थित)

<u>सड़कों के संधारण पर व्यय</u>

7. (*क्र. 209) श्री कालुसिंह ठाकुर : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण विभाग द्वारा धार जिले में विगत तीन वर्षों में विभागीय मद से रोड मेंटेनेंस पर प्रति वर्ष कितनी राशि व्यय की गई ? (ख) धार से गुजरी तक टू लेन रोड निर्माण कार्य की स्वीकृति एक वर्ष पूर्व जारी होने के बावजूद अभी तक रोड निर्माण प्रारंभ नहीं किया गया है ? मात्र गड्ढे भरे गये थे, जो वर्षाकाल में वापस खराब हो चुके हैं, कब तक उपरोक्त रोड निर्माण का कार्य प्रारंभ कर पूर्ण करवा लिया जावेगा ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) लोक निर्माण विभाग (भ/स) एवं म.प्र. सड़क विकास निगम से संबंधित जानकारी संलग्न प्रपत्र ''अ'' एवं ''अ-1'' अनुसार। (ख) धार से गुजरी मार्ग के निर्माण की स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई है। मार्ग का रख-रखाव कार्य किया जा रहा है। धार-नागदा गुजरी मार्ग निर्माण हेतु डी.पी.आर. तैयार की गई है, निर्माण कार्य प्रारंभ एवं पूर्ण होने की तिथि वर्तमान में बताया जाना संभव नहीं है।

श्री कालुसिंह ठाकुर -- अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि लोक निर्माण विभाग में विभागीय मद से जो रोडों की मरम्मत की जाती है, उसमें एक गड्ढा रिपेयरिंग करके चार गड्ढे छोड़ दिये जाते हैं और एक साल में चार चार बार रिपेयरिंग की जाती है.

अध्यक्ष महोदय -- आप सीधे प्रश्न पूछिये.

(xxx) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

श्री कालुसिंह ठाकुर -- अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री जी से निवेदन कि जो रिपेयरिंग विभागीय मद से की जाती है, उसे स्वीकृत किया जाए या फिर वह कितनी राशि से मरम्मत किये जाएं, यह निश्चित किया जाए.

श्री सरताज सिंह -- अध्यक्ष महोदय, सड़क को सही रखने के लिये मेंटेनेंस करना आवश्यक है और आवश्यकतानुसार मेंटेनेंस किया जाता है. वह जो भी काम किया जाता है, उसका निरीक्षण करने का भी प्रावधान है. अधिकारी उसको देखते हैं और काम सही हुआ है तो उसको पास करते हैं. धार जिले में सड़कों पर जो रशि व्यय की गयी है मेंटेनेस पर. इन्होंने 3 वर्ष का हिसाब किताब पूछा है. तो जो पीडब्ल्यूडी के माध्यम से सड़कें बनी हैं, तो उसमें सन् 2011-12 में 1248 लाख रुपये खर्च किये गये. 2012-13 में 980.20 लाख रुपये खर्च किये गये. 2013-14 में 924.15 लाख रुपये खर्च किये गये. जो आरडीसी के माध्यम से सड़कें बनी हैं, उसमें 2011-12 में 229.95 लाख रुपये, 2012-13 में 268.7 लाख रुपये और 2013-14 में 469.43 लाख रुपये खर्च किये गये हैं. एक वहां महत्वपूर्ण सड़क है धार नागदा गुजरी. इसमें पहले धार नागदा सड़क को लिया गया था बीओटी के माध्यम से बनाने के लिये. लेकिन उसके टेंडर बहुत ऊंचे आये, तो वह स्वीकार नहीं किये जा सके. अब विभाग ने तय किया है कि इस धार-नागदा को बढ़ा दिया जाये और धार-नागदा-गुजरी लगभग 72 किलोमीटर ,71.3 किलोमीटर की सड़क बनाई जाये और इसका डीपीआर बन रहा है, डीपीआर बनने के बाद इसके टेण्डर आमंत्रित किये जायेंगे. तो सड़कों के मेंटनेंस के लिये भी धार में पर्याप्त पैसा दिया गया है. इस सड़क को बीओटी के माध्यम से बनाने की कार्य़वाही चल रही है.

श्री कालुसिंह ठाकुर -- अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने जबाव दिया है कि रिपेयरिंग के लिये इतनी राशि दी है. मैं कहना चाहता हूं कि इतनी राशि से तो वहां पर दो बार नई सड़क बन जाती. विभाग द्वारा साल में दो बार गड्ढे भरने का काम किया जाता है. कितनी राशि उस पर व्यय हुई है वह जानकारी मेरे द्वारा मांगी गई थी लेकिन विभाग के अधिकारियों द्वारा असत्य जानकारी दी जाती है इसीलिये मुझे विधानसभा में प्रश्न लगाना पड़ा. लेकिन आज भी उसकी जानकारी नहीं मिली है. पुरानी सड़क बनी है 2-4 गड्ढे भरकर के द्वारा अतिश्री कर ली गई है.

अध्यक्ष महोदय--अभी मंत्री जी ने जानकारी 3 साल की आपको दे दी है. अब यदि आपको कुछ ओर पूछना है तो पूछ लीजिये. या कोई बड़ी ग्रेवियेंस हो तो आप बता दीजिये.

श्री कालुसिंह ठाकुर -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जितनी राशि गड्ढों के भरने पर विभाग द्वारा खर्च की गई है उतनी राशि में से तो नई सड़क बन जाती. विभाग द्वारा काम नहीं किया जा रहा है सिर्फ भ्रष्टाचार किया जा रहा है. लोग बहुत परेशान हैं सड़क आज भी रिपेयरिंग नहीं हुई है.

अध्यक्ष महोदय-- कृपया बैठ जायें. प्रश्न क्रमांक 8

सड़क निर्माण कार्य प्रस्ताव की स्वीकृति

8. (*क्र. 647) श्री नारायण सिंह पँवार : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्रमांक 4866, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के उत्तर की कंडिका (क) में बताया गया था कि ग्राम सेमलापार से सिंघोड़ा मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव बजट में सम्मिलित कराने हेतु प्रस्तावित किया गया है, तो क्या उक्त मार्ग का प्रस्ताव बजट में सम्मिलित कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? (ख) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित पत्र क्रमांक 452, दि. 16.10.2014 पर मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा उक्त मार्ग निर्माण हेतु बजट में सम्मिलित किये जाने संबंधी अनुशंसा की गई थी ? यदि हां, तो क्या मा. मुख्यमंत्री जी की अनुशंसा के बावजूद उपसचिव, म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग ने अपने पत्र क्रं. 5099/7236/2014/19/यो, भोपाल, दि. 1.11.2014 से प्रश्नकर्ता को उक्त मार्ग वर्तमान में किसी भी योजना में प्रस्तावित नहीं होने तथा राजगढ जिले की प्लान सीलिंग के अभाव के कारण वर्तमान में नवीन स्वीकृति पर विचार किया जाना संभव नहीं है, संबंधित जानकारी दी गई ? (ग) यदि हां, तो क्या मा. मुख्यमंत्री जी की

अनुशंसा के आधार पर उक्त मार्ग के निर्माण के प्रस्ताव को अनुपूरक बजट 2014 में सम्मिलित किया जाकर स्वीकृति प्रदान कर निर्माण किया जावेगा ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हॉं । जी नहीं । वर्ष 2014-15 प्रथम अनुपूरक बजट हेतु प्रस्तावित प्राथमिकता सूची में मांग संख्या 24 सं. क्रं. 52 पर अंकित है । (ख) जी हॉं । पत्र जारी करने की दिनांक पर प्रकरण की स्थिति से माननीय विधायक को अवगत कराया गया था । माननीय मुख्यमंत्रीजी की अनुशंसा के अनुरूप प्रथम अनुपूरक बजट वर्ष 2014-15 में शामिल करने हेतु भेजा गया है । (ग) वर्ष 2014-15 के अनुपूरक बजट में सम्मिलित कराने हेतु प्रस्तावित है । सम्मिलित होने एवं राजगढ़ जिले में प्लान सीलिंग उपलब्ध होने के पश्चात तथा प्रशासकीय स्वीकृति उपरांत निर्माण कार्य कराया जा सकेगा ।

श्री नारायण सिंह पंवार -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैंने प्रश्न सड़क के बनाने के लिये निवेदन किया था उसको विभाग द्वारा मांग संख्या 24 के क्रमांक 52 पर दर्शाया गया है . मेरा अनुरोध है कि मेरी विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा का छोटा जो मार्ग कुल 5 किलोमीटर के लिये मैंने मांग की है , यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मार्ग है. चूंकि यह राजगढ़ जिले को गुना, भोपाल और विदिशा जिले से जोड़ता है . इस मार्ग के पहले पार्वती नदी पर उच्च स्तरीय पुल मध्यप्रदेश शासन द्वारा लगभग 7-8 करोड़ की लागत से बनाया गया है . यह पुल इस माह पूर्ण हो रहा है. यदि यह आगे का 5 किलोमीटर का मार्ग नहीं बनता है तो लगभग यहां निवास करने वाली 50-60 हजार की आबादी के लिये मार्ग अवरूद्ध रहता है. पुल के खुलते ही इस मार्ग की आवश्यकता लगेगी. इसलिये मेरा अनुरोध माननीय मंत्री जी से यह है कि इस मार्ग को मांग संख्या 24 में इसी सत्र में स्वीकृत करते हुये इसकी प्रशासकीय स्वीकृति जारी करके पूर्ण करायेंगे, ऐसा मैं मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं.

श्री सरताज सिंह -- माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग सड़कों के निर्माण के प्रस्ताव भेजता है और वित्त विभाग बजट की स्थिति की अनुसार उनकी स्वीकृति देता है. इनका प्रस्ताव भेजा गया है लेकिन अभी वित्त विभाग की स्वीकृति इस आधार पर प्राप्त नहीं हुई कि जो राशि योजना सीमा राजगढ़ जिले की स्वीकृत है वो है 2154 लाख .इसमें 4300 लाख के काम स्वीकृत किये जा सकते हैं, लगभग ढाई गुना काम स्वीकृत करते हैं. लेकिन वहां जो 6138 लाख की लागत के काम पहले से ही स्वीकृत हो चुके हैं, जिन पर काम चल रहा है, अर्थात योजना सीमा से काफी अधिक है इसलिये वित्त विभाग ने इसकी स्वीकृति नहीं दी है. लेकिन हम इसको प्रस्तावित करेंगे और जब वित्त विभाग की स्वीकृति बजट में मिल जायेगी उसके बाद में काम शुरू होगा.

श्री नारायण सिंह पंवार -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजगढ़ जिला काफी बड़ा जिला है और अर्से से वहां लोक निर्माण विभाग के काम लंबित हैं . राजगढ़ जिले की प्लान सीमा बहुत कम है इसमें मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि राजगढ़ जिले की प्लान सीमा को बढ़ाया जाये क्योंकि राजगढ़ जिला काफी विस्तृत जिला है इसलिये प्लान सीमा बढ़ाकर के और इस अति लोक महत्व की सड़कको पूरा कराया जाये, ऐसा मेरा आग्रह है. धन्यवाद.

प्रदेश स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिताएं

9. (*क्र. 323) श्री मेव राजकुमार : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा राज्य स्तर, संभाग स्तर एवं जिला स्तर पर कौन-कौन सी प्रतियोगिताएं एवं किस-किस वर्ग के लिए एवं कब-कब आयोजित की जाती है ? इसके क्या नियम है ? (ख) इंदौर संभाग में वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में संभाग स्तर एवं जिला स्तरों पर कौन-कौन सी खेल प्रतियोगिताएं कब-कब आयोजित की गई एवं किन-किन विभागों एवं संस्थाओं द्वारा इन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया एवं उस पर कितना-कितना व्यय किया गया ? (ग) क्या संभाग स्तर एवं जिला स्तरों पर क्रिकेट एवं कबड्डी, प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती है ?

यदि हां, तो इन प्रतियोगिताओं के लिए क्या नियम है ? इनके लिए कितना-कितना बजट उपलब्ध कराया जाता है ? क्या वर्ष 2014-15 के लिए प्रतियोगिताओं के आयोजन की तैयारी कर ली गई है ? यदि हां, तो कौन-कौन सी प्रतियोगिताएं, कहां-कहां आयोजित की जावेगी ?

उद्योग मंत्री (श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा निम्नानुसार नियमित प्रतियोगिताओं का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है - 1. ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता - विकासखण्ड, जिला, संभाग एवं राज्य स्तर पर । 2. महिला खेलकूद प्रतियोगिता - जिला, संभाग एवं राज्य स्तर पर । 3. युवा अभियान प्रतियोगिता - अंतरथाना, विकासखण्ड, जिला, संभाग एवं राज्य स्तर पर । ग्रामीण एवं महिला खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भारत सरकार के निर्धारित कैलैण्डर अनुसार माह अगस्त से माह मार्च के मध्य किया जाता है एवं युवा अभियान प्रतियोगिता का आयोजन माह दिसंबर से माह मार्च के मध्य विभिन्न स्तरों पर किया जाता है । महिला, ग्रामीण खेलकूद एवं युवा अभियान प्रतियोगिताओं के नियमों की मार्गदर्शिका पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है । (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार है । (ग) जी हाँ । नियम पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" पर अनुसार है । आवंटित बजट की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब"अनुसार है । कबड्डी खेल के आयोजन की तैयारी कर ली गई है । जी हाँ, प्रदेश के समस्त विकासखण्ड मुख्यालय में माह नवंबर 2014 में आयोजन किया जा रहा है एवं जिला मुख्यालय पर माह दिसंबर 2014 में आयोजन किया जाना है । क्रिकेट प्रतियोगिता के आयोजन की तिथियों पर निर्णय अभी नहीं हुआ है ।

श्री राजकुमार मेव -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैंने जो प्रश्न किया था उसका विधिवत जबाव मुझे मिल चुका है. धन्यवाद.

कलियासोत नदी का विकास

10. (*क्र. 799) श्री रामेश्वर शर्मा : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल की कलियासोत नदी को क्या झील संरक्षण परियोजना से जोड़ा गया है ? (ख) प्रश्नांश (क) का उत्तर हां है तो इसके विकास की क्या योजना बनाई गई है और इस पर कितना काम हो चुका है ? (ग) यदि अभी तक कलियासोत नदी के विकास की कोई योजना नहीं बनाई गई है, तो शहरी आबादी क्षेत्र में बहने वाली इस नदी के विकास की कोई विस्तृत सुनियोजित योजना कब तक बनाई जाएगी ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी नहीं। (ख) उत्तरांश "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) समय सीमा निश्चित नहीं है।

श्री रामेश्वर शर्मा -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री महोदय से प्रश्न है कि भोपाल में जो कलियासोत नदी है वह नदी बहुत प्राचीन है क्योंकि उस नदी का संबंध बड़े तालाब से, बड़े तालाब का संबंध भदभदा से और भदभदा के गेट जब खुलते हैं तो कलियासोत डेम और डेम के बाद वो नदी भरती है. वह नदी आज की स्थिति में पूरे शहर के बीच में हो गई है. एक तरह से यदि हमने उस नदी को नहीं संवारा तो आगे चलकर के वह इस शहर के लिये खतरा बन सकता है क्योंकि नदी के दोनों तरफ आबादी हो गई है और चारों तरफ अतिक्रमण भी धीरे धीरे पसरता जा रहा है तो मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस नदी का विधिवत सर्वे हो और इसके जगह जगह स्टॉप डेम बनाये जाये साथ में वहां पर घाट भी तैयार हो.साथ में कुछ घाट भी तैयार हो. बच्चों और परिजनों की दृष्टि से वहां पर साथ में पार्किंग भी बनाये जायें और इस नदी को अगर हम सुरक्षित करेंगे तो आगे चलकर यह ही नदी समरथा के माध्यम से भोजपुर में जाकर बेतवा में जाकर मिलती है जिससे बेतवा नदी को जीवनदान मिलता है. मैं माननीय मंत्रीजी

से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस नदी के संवारने के लिए कोई व्यापक योजना माननीय मंत्रीजी बनायें.

श्री कैलाश विजयवर्गीय—अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायकजी का सुझाव बहुत अच्छा है. मैं अधिकारियों को इस्टीमेट बनाने के लिए कह देता हूं लेकिन इसमें फण्डस कहां से आयेंगे यह हमें थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा. डीपीआर बनाने के मैं निर्देश दे दूंगा.

श्री रामेश्वर शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं. अगर कैलाश जी विचार कर लेंगे तो फण्ड का नियोजन भी हो ही जायेगा.

_खाद्य कंपनी रजौआ का औद्योगिक क्षेत्र में स्थानांतरण

11. (*क्र. 457) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या नरयावली विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रजौआ में मध्य भारत एग्रो सुपर फास्ट खाद्य कंपनी संचालित है ? (ख) यदि हां, तो क्या मध्य भारत एग्रो सुपर फास्ट खाद्य कंपनी के उत्पादन से क्षेत्र की लागभग 1500 एकड़ जमीन में कंपनी के उत्पादन से दुष्प्रभाव पड़ता है ? (ग) यदि हां, तो मध्य भारत एग्रो सुपर फास्ट खाद्य कंपनी रजौआ को औद्योगिक क्षेत्र में स्थानांतरण क्यों नहीं किया जा रहा है ?

उद्योग मंत्री (श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) जी हॉ। (ख) जी नहीं। (ग) इकाई निजी भूमि पर स्थापित है। स्थल चयन या स्थानांतरण का निर्णय इकाई का विशेषाधिकार है।

इन्जी प्रदीप लारिया—अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया बड़ी संवेदनशील भी है और बुद्धिमान भी हैं. यह विषय किसानों और गांवों से जुड़ा हुआ है. यह जो मध्य भारत एग्रो फेक्ट्री है इसके प्रदुषण के कारण किसानों की लगभग 1500 एकड़ जमीन बरबाद हो रही है. किसानों को नुकसान हो रहा है. लगातार जानवर मारे जा रहे हैं या उसके प्रदुषण से मर रहे हैं. प्रधानमंत्री सड़क 8-10 टन वज़न के लिए डिजाईन होती है. इतने ही लोड के वाहन वहां से निकलते हैं. लेकिन वहां पर फेक्ट्री होने के कारण लगभग 25 से 30 टन के वाहन उस रोड़ से निकल रहे हैं. मेरा मंत्रीजी

से यह प्रश्न है कि सड़क के कारण किसानों को गांव को लोगों को नुकसान हो रहा है. मेरा निवेदन यह है कि जब सिद्धगवां औद्योगिक क्षेत्र है तो क्या उस फेक्ट्री को अतिशीघ्र उस औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित करेंगी और जल और वायु प्रदुषण के कारण किसानों को जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा और जो प्रधानमंत्री सड़क पिछले साल बनी थी, खराब हो गई है इसकी भरपाई उस फेक्ट्री के मालिक से करायेंगे?

श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया—अध्यक्ष महोदय, जब निजी कंपनियां अपने लैंड की खरीदी करती हैं तो उद्योग विभाग सिर्फ लायसेंस दे सकता है. माननीय विधायक जी ने जो विषय प्रदुषण के संबंध में मेरे संज्ञान में लाया है और जल और वायु का प्रभाव है उसमें हम लोगों ने, हालांकि यह हमारे विभाग से संबंधित नहीं है, परन्तु प्रदुषण नियंत्रण मंडल से भी एक प्रमाण पत्र लिया है कि उन्होंने समय समय पर स्थल निरीक्षण करके जो भी वहां निकला है, उसके अगेंस्ट जा रहा है. आज स्वाईल टेस्टिंग भी कराया जाये, एयर टेस्टिंग भी करायी जाये प्रदुषण नहीं है. हमने कृषि विभाग से भी एक प्रमाण पत्र लिया है जिसमें उनने भी कहा है कि हमने स्वाईल टेस्टिंग की है. आजू-बाजू की भी स्वाईल टेस्टिंग की है, उसमें भी कोई प्रदुषण नहीं है. मैं यह दोनों प्रमाण पत्र विधायकजी को आपके माध्यम से दे सकती हूं. उसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकती क्योंकि यह एक प्रायवेट इंडस्ट्री है और मैं तो समझती हूं कि विधायकजी भी अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए संवेदनशील हैं इसीलिए यह प्रश्न आ रहा है. लेकिन यह मध्य भारत एग्रो सुपरफास्ट फर्टिलाईजर एक ऐसी फेक्ट्री है जो सुपर फास्फेट उत्पादित करती है. डीएपी अलग होती है, सुपर फास्फेट अलग होती है. सुपर फास्फेट जब प्रोडक्शन में आती है तो उसकी रेट डीएपी से कम से कम एक तिहाई कम है और इसीलिए माननीय विधायकजी को तो ऐसी चीजों को इन्करेज़(प्रोत्साहित) करना चाहिए क्योंकि इसी फेक्ट्री के मालिक ने एक फेक्ट्री बंडा सागर में लगायी है. इन फेक्ट्रियों में 4 हजार लोगों को रोजगार दे रहे हैं. कम से कम 200 करोड़ रुपये का निवेश हैं. हम उस फेक्ट्री मालिक को नहीं कह सकते कि आप यहां से निकल हमारे इंडस्ट्रीलय एरिया में आयें क्योंकि यह प्रायवेट चीज है. मैं

समझती हूं विधायकजी और एप्रीसिएट करेंगे. जहां तक रोड़ की बात है वह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से संबंधित है और उसी विभाग के पास चले जायें और उनसे कहें कि वह रोड़ को ठीक करें. लेकिन यहां पर उनको इनकरेज करना चाहिए कि फेक्टरियों को और आने के लिए साथ में और लोगों को रोजगार देने के लिए जहां पर हम लोग रेपिड इण्डस्ट्रीलाइजेशन कीबात करते हैं. वहां पर हम एक फेक्टरी को उठाकर अपनी औद्योगिक क्षेत्र में नहीं ला सकते हैं क्योंकि हम लोग पब्लिक सेक्टर में हैं वह प्रायवेट सेक्टर में हैं.

इंजीनियर प्रदीप लारिया – माननीय अध्यक्ष महोदय फेक्टरी आयें इसका स्वागत है. लेकिन फेक्टरियों से नुकसान न हो, जिन 4000 कर्मचारियों की बात की जा रही है. मेरा कहना है कि वहां के कर्मचारियों को रोजगार की बात हो रही है उसमें 250 कर्मचारी कार्यरत हैं. मेरा इतना ही कहना है कि एक तो वहां के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है. दूसरा मेरा आपसे निवेदन है कि वायू और जल प्रदूषण की बात है चाहे वह पाल्यूशन बोर्ड से करायी हो, चाहे वह रिपोर्ट कृषि विभाग से ली हो उसमें लगता है कि मिली भगत हुई है. मेरा निवेदन है कि जल और वायू की जो रिपोर्ट है वह यहां भोपाल के अधिकारियों से कृषि विभाग के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम बनाई जाय उसमें पाल्यूशन बोर्ड के अधिकारी हों कृषि विभाग के अधिकारी हों, पशु पालन विभाग के अधिकारी भी रहें और ग्राम सड़क विभाग के भी अधिकारी रहें . अध्यक्ष महदोय यह संयुक्त जिम्मेदारी है सरकार की इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संयुक्त समिति से इस बात का परीक्षण करा लें कि उस फेक्टरी से कितना नुकसान हो रहा है. वह समिति भोपाल स्तर की हो.

अध्यक्ष महोदय – माननीय सदस्य का कहना है कि क्या एक संयुक्त समिति से जांच करायेंगे.

श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया – माननीय अध्यक्ष जी माननीय सदस्य के सूझाव पर मैं जरूर विचार करूंगी. मैं खुद विधायक जी से इसके बारे में संपर्क करूंगी.

इंजीनियर प्रदीप लारिया – बहुत बहुत धन्यवाद

सुनियोजित विकास हेतु मास्टर प्लान का क्रियान्वयन

12. **(*क्र. 21) श्री विष्णु खत्री :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम एवं नगर निवेश विभाग का प्रदेश के सुनियोजित विकास किये जाने हेतु मुख्य रूप से क्या-क्या कर्तव्य एवं दायित्व है, जिसके लिये विभाग का गठन किया गया है, स्पष्ट करें ? (ख) वर्तमान में लागू भोपाल का मास्टर प्लान कितनी आबादी को ध्यान में रखकर कब बनाया गया था, तथा भोपाल महानगर की बढ़ती आबादी को देखते हुये क्या नया मास्टर प्लान विभाग ने बनाकर तैयार कर लिया है। यदि हॉं, तो यह प्लान लागू क्यों नहीं किया जा रहा है ? इसके विलम्ब के क्या कारण हैैं , स्पष्ट करें ? (ग) विभाग अपने मूल नाम जिसमें "ग्राम" शब्द भी सम्मिलित है अपने नाम के अनुरूप प्रदेश की 70 प्रतिशत आबादी जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, उनके सुनियोजित विकास हेतु विभाग ने कोई कार्य योजना क्रियान्वित की है, यदि हॉं, तो स्पष्ट करें एवं नहीं तो कारण बतायें ? (घ) प्रदेश में ग्रामों के अव्यवस्थित विकास के लिये क्या विभाग जिम्मेदार नहीं है, तथा ग्रामीण आबादी के सुनियोजित विकास हेतु इन्हें किसके सहारे छोड़ा गया है, कृपया बताऐं ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अन्तर्गत भूमि के विकास, नियोजन एवं उपयोगों के लिये उपबंध करने हेतु प्रादेशिक, विकास एवं परिक्षेत्रिक योजनाओं के माध्यम से विकास प्रस्ताव तैयार किये जाते है। इन प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिये प्राधिकारी का गठन कर नगर विकास योजनायें तैयार की जाती है। (ख) भोपाल विकास योजना 2005 में आबादी 25 लाख अनुमानित की गई थी। भोपाल की पुनर्विलोपित योजना के प्रारूप को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। प्रारूप प्रकाशन उपरान्त अधिनियम में वर्णित प्रक्रिया को पूर्ण कर विकास योजना लागू की जाती है। अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। (ग) नगर की विकास योजना का प्रभाव केवल नगरीय क्षेत्र पर ही नहीं अपितु समीपस्थ ग्रामीण क्षेत्रों पर भी पडता है। अतः नगर की विकास योजना हेतु निर्धारित निवेश क्षेत्र में नगरीय क्षेत्र के साथ ग्रामीण क्षेत्र भी सम्मिलित होते है। (घ) म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के विकास योजना से संबंधित प्रावधान अधिसूचित निवेश क्षेत्र पर लागू होते है तथापि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास से संबंधित प्रस्तावों पर राजस्व एवं ग्रामीण विकास विभाग को आवश्यकता अनुसार परामर्श प्रदान किया जाता है।

श्री विष्णु खत्री – माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस देश के मुखिया प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने और इस प्रदेश के मुखिया आदरणीय शिवराज जी ने आदर्श ग्राम की महत्वाकांक्षी योजना और ग्रामों के विकास का सपना देखा है. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश विभाग महानगरों का नियोजन की प्लानिंग करता है. इस प्रदेश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी ग्रामों में निवास करती है. मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या विभाग गांवों के अंदर सुनियोजित विकास हो, वहां पर शासकीय आवास कहां पर बनेंगे, शासकीय कार्यालय कहां पर बनेंगे, खेल के मैदान कहां पर होंगे, केजुअल शापिंग सेण्टर कहां पर होंगे. तो क्या जिस प्रकार आप महानगरों की प्लानिंग करते हैं , आज प्रदेश में 5 हजार की आबादी वाले गांव भी हैं. प्लानिंग के अभाव में गांवों का बेतरतीब विकास हो रहा है. मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विभाग इस दिशा में कुछ कर रहा है क्या.

श्री कैलाश विजयवर्गीय – अध्यक्ष महोदय सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न सदन में किया है. वास्तव में हमारा विभाग शहर और अधिसूचित जो ग्रामीण क्षेत्र होता है वहीं का नियोजन करता है. अभी तक हम ग्रामीण क्षेत्र में नियोजन वहीं करते हैं जहां पर पर्यटन वाले स्थान हों लेकिन साधारणत: हम ग्रामीण क्षेत्रों का नियोजन नहीं करते हैं. अब निश्चित रूप से हमारे घोषणा पत्र में भी यह था कि गांवों का विकास होना चाहिए और व्यवस्थित विकास होना चाहिए. गांवों का मास्टर प्लान तो नहीं लेकिन उनका नियोजन कैसा हो, उनका व्यवस्थित नियोजन कैसा हो. इसके लिए प्लान बनायेंगे और आवश्यकता होगी तो, क्योंकि अभी हमारे पास में विभाग में इतना अमला नहीं है कि हम सारे गांवों का नियोजन कर सकें. लेकिन हम आउट सोर्स भी करेंगे और गांवों का व्यवस्थित विकास हो इसके लिए सरकार चिंतित है.

श्री विष्णु खत्री - धन्यवाद, माननीय मंत्री जी. साथ में मैं एक और अपेक्षा करता हूं कि जो बैरसिया नगर है, इसका काफी समय पहले मास्टर प्लान बना था. साथ में माननीय मंत्री जी यह

भी आश्वस्त करेंगे कि बैरसिया की आज की तात्कालिक परिस्थितियों के हिसाब से भी नियोजन की प्लानिंग करेंगे.

श्री कैलाश विजयवर्गीय - अध्यक्ष महोदय, मैं दिखवा लूंगा, वैसे यह हमारी कार्य योजना के बाहर है. परन्तु चूंकि विधायक जी ने इतना अच्छा प्रश्न किया है तो उन्हें पुरस्कार तो देना ही पड़ेगा. बैरसिया के बारे में मैं जरूर विचार करूं लूंगा.

खेल संकुल/खेल प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना

–

13. (*क्र. 610) **श्री अरूण भीमावद :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) खिलाड़ियों की प्रतिभा को उभारने हेतु शासन स्तर पर अभी तक क्या-क्या प्रयास किये गये ? (ख) खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु खेल संकुल/खेल प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण जिला स्तर पर खोले जाने के प्रस्ताव है ? अभी तक कितने जिलों में प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं ? (ग) जिला शाजापुर में उक्त संकुल/खेल प्रशिक्षण अभी तक क्यों नहीं खोले गये हैं ? (घ) क्या शाजापुर नगर को स्वीमिंग पुल निर्माण की राशि रू. 2 करोड़ नगर पालिका को प्राप्त हो चुकी है ? जिला प्रशासन ने भूमि आवंटन कर दी है ? परन्तु शासन स्तर से अनापत्ति प्रमाण पत्र/सहमति प्रदान क्यों नहीं की जा रही है ? (ड.) यह कार्य कितनी समयावधि में पूर्ण हो जावेगा ?

उद्योग मंत्री (श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) जानकारी **संलग्न परिशिष्ट** अनुसार है। (ख) जी नहीं । जिलों में कार्यरत विभागीय प्रशिक्षकों के जिला खेल प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है। खेल संकुल निर्माण एवं जिलों में प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की कोई विभागीय योजना नही हैं। (ग) प्रश्नांश ''ख'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नही होता। (घ) खेल एवं युवा कल्याण विभाग को शाजापुर नगर में स्वीमिंग पूल निर्माण के लिए कोई राशि प्राप्त नही हुई है। विभाग के स्वामित्व की भूमि पर स्वीमिंग पूल निर्माण की अनुमति नगर पालिका परिषद शाजापुर को प्रदान की गई है। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नही होता। (ड.) प्रश्नांश ''घ'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नही होता।

परिशिष्ट –"दो"

श्री अरूण भीमावद - अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो जो मेरे प्रश्न के उत्तर आए हैं, उससे मैं पूर्णतः संतुष्ट हूं. क्योंकि माननीय मंत्री महोदय ने बड़ी उदारता के साथ शाजापुर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 करोड़ रुपए की राशि स्वीमिंग पुल बनाने के लिए घोषणा की थी. लेकिन वह जमीन खेल एवं युवक कल्याण विभाग की थी. हमने उनसे निवेदन किया. निश्चित रूप से प्रश्न लगाने के बाद जब हम माननीय मंत्री जी से मिले, आयुक्त महोदय से मिले. उन्होंने 24 घंटे के अंदर एनओसी हमें प्रदान की है. (मेजों की थपथपाहट).. लेकिन इसमें दुविधा है कि 2 करोड़ रुपए की राशि स्वीमिंग पुल बनाने के लिए खेल एवं युवक कल्याण विभाग देगा या नगरीय विकास मंत्री आदरणीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी देंगे?

श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया - अध्यक्ष महोदय, तय कर लेते हैं. एनओसी हमें देना थी, वह एनओसी हमने दे दी. हमारी जहां रिस्पांसिब्लिटी है, हमने तो वह इमीजिएटली कर ली. जब वह पैसे की बात कर रहे हैं तो कहां हमारे विभाग में इतना पैसा रहता है तो इसीलिए आपके साथ विधायक जी बात करनी पड़ेगी. यह तो आपने बताया ही नहीं था तो इसे तय करेंगे. मैं यहां तो इसकी घोषणा नहीं कर सकती क्योंकि हमारे बहुत ही सीमित संसाधन हैं तो इसीलिए हम देखेंगे क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि स्वीमिंग पुल भी सभी जगह आएं. ऐसी भी सब जगह हर जिले में गतिविधियां हों. मैं इसको अवॉईड नहीं कर रही हूं, इसके ऊपर जरूर हम थोड़ा-सा विचारविमर्श करके देख सकते हैं कि कहां से पैसा आ सकता है.

श्री अरूण भीमावद - अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जितनी उदारता आपने दिखाई है, उतनी उदारता माननीय श्री कैलाश जी अगर शाजापुर स्वीमिंग पुल के निर्माण में दिखाएंगे तो निश्चित रूप से स्वीमिंग पुल शीघ्र ही बनेगा, बहुत-बहुत धन्यवाद.

निर्माण कार्यों कीकी स्वीकृति

14. (*क्र. 1245) **श्री राजेश सोनकर :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सांवेर विधानसभा क्षेत्र में माननीय सांसद व प्रश्नकर्ता द्वारा प्रश्न दिनांक तक जिन निर्माण कार्यों के प्रस्ताव भेजे गये उन पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई, प्रश्न दिनांक तक कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी जा चुकी है व कितने लंबित है ? (ख) क्या सांवेर विधानसभा क्षेत्र में माननीय सांसद महोदय द्वारा भेजे गये प्रस्तावों में से किसी पर भी कार्य प्रारंभ कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों विलंब का कारण बतायें ? (ग) क्या सांसद निधी व राज्य शासन द्वारा सांवेर विधानसभा क्षेत्र के भेजे गये प्रस्तावों की स्वीकृति दी गई है या दी जा रही है, विवरण देवें व कब तक कार्य प्रारंभ कराये जा सकेंगे ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ-1 एवं अ-2** अनुसार । (ख) जी नहीं । स्वीकृति न होने से । (ग) सांवेर विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के किसी प्रस्ताव की स्वीकृति सांसद निधि एवं राज्य शासन से प्राप्त नहीं । स्वीकृति उपरांत अन्य औपचारिकताएॅं पूर्ण कर कार्य प्रारंभ किये जा सकेगें । स्वीकृति के अभाव में समय-सीमा बताना संभव नहीं है ।

श्री राजेश सोनकर - अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि पिछले दिनों मेरे सांवेर विधानसभा क्षेत्र में कुछ प्रमुख मार्ग एवं पुल-पुलियाओं के निर्माण हेतु मैंने प्रस्ताव भेजे थे, जो विद्यार्थियों के लिए, अस्पताल में मरीजों के जाने के लिए और किसानों को अपनी फसलें ले जाने के लिए काफी प्रमुख मार्ग हैं. आसपास के 10-20 गांवों को भी उसका लाभ मिलने वाला है. लेकिन मंत्री जी द्वारा अभी स्वीकृति नहीं होना, ऐसा बताया गया है. माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि कब तक उसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी, यह जानना चाहता हूं? दूसरा, लोकसभा अध्यक्ष और इंदौर की सासंद आदरणीय श्रीमती सुमित्रा महाजन जी द्वारा भी माननीय मंत्री जी को सांवेर विधान सभा के संदर्भ में जो प्रस्ताव भेजे गये थे, गलती से वे सांसद निधि के प्रस्ताव लिखे गये हैं. माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं कि उसको सांसद निधि नहीं, बल्कि सांसद जी द्वारा भेजे गये प्रस्तावों की जानकारी कृपया बताएं.

श्री सरताज सिंह - अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय सांसद और लोकसभा अध्यक्ष महोदया के द्वारा 17 सड़क के प्रस्ताव और 9 पुलों के प्रस्ताव भेजे गये थे. माननीय विधायक जी के द्वारा 7 सड़क के प्रस्ताव और 7 पुल के प्रस्ताव भेजे गये हैं. इन सारे कामों के लिए बहुत बड़ी राशि की आवश्यकता है. जब वित्तीय स्थिति के आधार पर इनकी स्वीकृति प्राप्त होगी, तब ये काम किये जा सकेंगे. अभी विचाराधीन हैं.

श्री राजेश सोनकर - अध्यक्ष महोदय, मैं आग्रह करता हूं कि थोड़ा इसको जल्दी करवा देंगे तो उसका लाभ मेरी विधान सभा क्षेत्र के काफी लोगों को मिलने लगेगा. धन्यवाद.

प्रश्न संख्या - 15 श्री अशोक रोहाणी - (अनुपस्थित)

मुआवजा राशि का भुगतान

16. **(*क्र. 794) श्री हर्ष यादव :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संशोधित भू-अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के तहत नौरादेही अभ्यारण्य विस्थापितों को क्या नये निर्धारित मापदण्डो अनुरूप मुआवजा दिया गया है, यदि नहीं, तो क्यों ? (ख) विस्थापित ग्रामों के अनेक निवासी जिनके नाम व सम्पत्ति उस ग्राम की मतदाता सूची में थे, उन्हें मुआवजा क्यों नहीं दिया गया ? (ग) क्या विस्थापित परिवारों को बसाहट की व्यवस्था करना शासन का दायित्व है ? यदि हॉ, तो क्या सुविधा दी गई है और यदि नहीं, तो बेघर व्यक्ति को राहत देने की शासन की क्या योजना है ? (घ) क्या विस्थापित ग्रामों के लोगो की समस्याओं के निवारण की शासन द्वारा पहल की जावेगी, यदि हॉ, तो कब तक ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) जी नहीं । नौरादेही अभयारण्य क्षेत्र से विस्थापन ग्रामीणों की स्वेच्छा से उनकी सहमति तथा ग्राम सभा की सहमति प्रस्ताव के आधार पर मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, भोपाल के पत्र क्र./एफ-3-8/07/10-2/2129 भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर 2008 द्वारा जारी निर्देशानुसार राशि रूपये दस लाख प्रति परिवार के मान से प्रदाय कर दिया गया है । (ख) नौरादेही अभ्यारण्य से ग्राम कुशयारी एवं रमपुरा (मड़ाज) का विस्थापन किया गया है एवं ग्राम चक्कपीपला का विस्थापन प्रगतिरत है । कलेक्टर सागर के आदेश दिनांक 22.04.2013 द्वारा

गठित समिति द्वारा विस्थापन पैकेज हेतु पात्र परिवार एवं अपात्र परिवार का निर्धारण किया गया है । इस हेतु परिवार की परिभाषा अनुसार पति-पत्नि को एक परिवार माना गया है, जबकि मतदाता सूची में पति-पत्नि दोनों के नाम दर्ज है । मतदाता सूची में सम्मिलित व्यक्ति के एक परिवार का सदस्य होने, उसकी मृत्यु होने या निर्धारण के समय से पूर्व से ही अन्यत्र निवासरत होने के कारण मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के बावजूद भी उन्हें विस्थापन हेतु पात्र नहीं पाया गया । जिन लोगों की मात्र सम्पत्ति इन ग्रामों में थी एवं वे इस ग्राम में निवासरत नहीं थे, उन्हें मात्र सम्पत्ति के मूल्य की पात्रता है । (ग) मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पत्र क्र./एफ-3-8/07/10-2/2129 भोपाल दिनांक 30 अक्टूबर 2008 की कंडिका 2 के अनुसार प्रथम विकल्प पूरा नगद के अनुसार ग्रामीणों ने स्वेच्छा से रूपये दस लाख प्रति परिवार के आधार पर अभयारण्य से विस्थापन की सहमति दी है । ग्रामीणों की मंशा के अनुसार उक्त पत्र की कंडिका (2) (ख) के अनुसार सर्वप्रथम ग्राम के लिये उपलब्ध कुल राशि में से निजी सम्पत्ति जैसे कृषि भूमि, मकान, कुआं, पेड़ इत्यादि का मूल्य संबंधित सम्पत्तिधारियों को भुगतान किया गया तथा शेष राशि सभी पात्र व्यक्तियों/परिवारों को बराबर-बराबर बांट दी गई । इस विकल्प के अनुसार विस्थापित ग्रामीण स्वयं अपने लिये घर, जमीन आदि की व्यवस्था करने के लिये स्वतंत्र है । विस्थापित व्यक्ति को उपरोक्त विस्थापन पैकेज के अतिरिक्त कोई राहत देने की शासन की कोई योजना नहीं है । (घ) जी हां । समस्या आने पर नियमानुसार निवारण किया जावेगा ।

श्री हर्ष यादव—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारी विधानसभा क्षेत्र देवरी के अंतर्गत नौरादेही अभयारण्य है ,उस अभयारण्य क्षेत्र के अंतर्गत कुछ गांव भार्गवजी के क्षेत्र के भी हैं . मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं जो मुआवजा का निर्धारण किया गया है वह भू-अधिग्रहण अधिनियम 2013 के प्रावधान के अंतर्गत किया गया है या कौनसे प्रावधान के अंतर्गत किया गया है.

डॉ.गौरीशंकर शेजवार- अध्यक्ष महोदय,मध्यप्रदेश शासन वन विभाग भोपाल के पत्र क्रं./एफ-3-8/07/10-2/2129 भोपाल दिनां 30 अक्टूबर 2008 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार किया गया है.

श्री हर्ष यादव—अध्यक्ष महोदय, अब चूंकि भू अधिग्रहण अधिनियम 2013 लागू हो गया है तो मेरा ऐसा मानना है कि उसके प्रावधान के अंतर्गत विस्थापितों को मुआवजा का वितरण होना चाहिए, जिसमें लोगों को ज्यादा राशि मिलेगी. वे गरीब वर्ग के लोग हैं, उसमें से कई वंचित भी रह गये हैं. चूंकि यह 2013 का अधिनियम लागू हो गया है उसके प्रावधान का पालन होना चाहिए.

डॉ.गौरीशंकर शेजवार- अध्यक्ष महोदय, 3 ग्रामों का विस्थापन किया गया है ,ग्राम कुशियारी में कुल 110 परिवारों में से 94 परिवार पात्र और 16 अपात्र पाये गये. रमपुरा में 95 में से 81 परिवार पात्र और 14 अपात्र पाये गये. चकपीपला में 288 में से 226 परिवार पात्र और 62 अपात्र पाये गये और इनको मुआवजा दिया गया है.

श्री हर्ष यादव—अध्यक्षजी मेरा जो मूल प्रश्न था उसका जवाब मंत्री जी ने नहीं दिया है. क्या 2013 के प्रावधान के अनुसार मुआवजे का निर्धारण होगा क्या?

डॉ.गौरीशंकर शेजवार- अध्यक्ष महोदय, इसमें प्रक्रिया बड़ी जटिल है और सभी राज्य सरकारों ने नये कानून के संशोधन के लिये केन्द्र सरकार को निवेदन किया है और यह प्रकिया के अनुसार विचाराधीन है. कुछ कठिनाईयों के कारण इसका परिपालन शीघ्र संभव नहीं है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन परिवारों को विस्थापित किया गया है उनकी सहमति ली गई है इसके साथ साथ ग्रामसभा द्वारा यह पारित किया गया है कि कौन से नियम से मुआवजा लेना चाहते हैं और सबकी सहमति से यह किया गया है और आसानी से और शघ्रातिशीघ्र उनको विस्थापित करके उनको मुआवजा शीघ्र देने के लिए ये सरल प्रक्रिया थी. सबकी सहमति से इसको मान्य किया गया है.

श्री रामनिवास रावत- तो क्या आप भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को लागू नहीं करेंगे ?

श्री हर्ष यादव- अध्यक्ष जी, मेरा मूल प्रश्न यही है और इसका जवाब नहीं आया है. मैं जो चाह रहा था उसका जवाब मंत्री जी ने नहीं दिया है.

अध्यक्ष महोदय—आपका जवाब आ गया.

प्रश्न संख्या (17) (अनुपस्थित)

सड़क निर्माण कार्य की प्रगति

18. **(*क्र. 623) श्री लाखन सिंह यादव :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परि.अता. प्रश्न संख्या 69 (क्र. 2507) दिनांक 10 जुलाई, 2014 में जवाब दिया था कि विभागीय कार्यवाही हेतु पत्राचार किया जा रहा है तो अभी तक क्या कार्यवाही हुई है ? (ख) अब कब तक उक्त प्रश्न की पूर्ति कर रोड निर्माण का कार्य कर आम नागरिकों को आवागमन हेतु लोकार्पण करा दिया जावेगा ? क्या इसकी कोई समय-सीमा बताई जा सकती है ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है जानकारी **संलग्न परिशिष्ट** अनुसार। (ख) डबरा-भितरवार-हरसी-नरवर मार्ग के उन्नयन एवं चौडीकरण कार्य हेतु म.प्र. सड़क विकास निगम द्वारा एजेन्सी निर्धारण की प्रक्रिया प्रगति पर है। उत्तरांश 'क' अनुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

परिशिष्ट – "तीन"

श्री लाखन सिंह यादव- अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है. मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं ,इस बारे में मैं लगातार 6 साल से प्रश्नों के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से पूछता रहा हूं. अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि भितरवार विधानसभ क्षेत्र की सड़कों की जर्जर हालत है जिनके बारे में पिछले सदन में माननीय मंत्री गोपाल भार्गव जी और माननीय सरताज सिंह जी ने सम्मिलित डिसकशन में यह घोषणा की थी कि तत्काल इन सड़कों का काम शुरू करवा देंगे और आज के प्रश्न में वही उत्तर आया है कि प्रक्रिया विचारीधीन है. पिछले 6 साल से मैं अनुरोध कर रहा हूं ,आप इन सड़कों का निर्माण कब तक करा देंगे.?

श्री सरताज सिंह – माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी ने 7 सड़कों के बारे में जिक्र किया है, जिसमें से एक रोड़, जो इनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है , डबरा-भितरवार-हरसी-नरवर. इसकी लंबाई 62 किलोमीटर है. इस रोड़ को हमने स्वीकृत कर लिया है. इसका टेंडर भी

मंजूर हो चुका है. के.एन.आर. कंस्ट्रक्शन कंपनी, हैदराबाद ने इसका टेंडर लिया है और इसकी लागत 109.56 करोड़ है. इसका एग्रीमेंट होने वाला है और दो साल में यह सड़क बन जाएगी.

अध्यक्ष महोदय – प्रश्नकाल समाप्त.

(प्रश्नकाल समाप्त)

श्री राम निवास रावत – माननीय अध्यक्ष महोदय, मुरैना में एक पेट्रोल पंप के मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी है और 12 तारीख को पूरे मुरैना जिले के बंद का आहवान व्यापारियों ने किया है. इस संबंध में मैंने स्थगन, ध्यानाकर्षण दोनों ही लगाए हैं, आपकी कृपा होगी. कानून-व्यवस्था पूरी तरह से जिले में बिगड़ चुकी है. उसके सुधार के लिए मैंने स्थगन लगाया है, विचार करें.

11.33 बजे

नियम 267-क के अंतर्गत विषय

(1) इंदौर में केशरबार ब्रिज के निर्माण में विलम्ब होना

श्री जीतू पटवारी (राऊ) : अध्यक्ष महोदय, इंदौर स्थित अन्नपूर्णा मार्ग को मुम्बई-आगरा मार्ग से जोड़ने के उद्देश्य से इंदौर विकास प्राधिकरण ने पश्चिमी क्षेत्र के रहवासियों को केशरबार रेल्वे समपार पर ओवर ब्रिज के रूप में एक सौगात प्रदान करने के उद्देश्य से सन् 2007 में केशरबार ब्रिज का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था, जिसका कार्य कछुए की चाल की गति से भी धीमी गति से चल रहा है. लगभग 7 वर्ष पूर्ण होने एवं 9 बार प्राधिकरण द्वारा निर्माणाधीन एजेन्सी को मोहलत देकर समय-सीमा में वृद्धि करने से ब्रिज की लागत तो निरन्तर बढ़ ही रही है, साथ ही अनुबंध शर्तों का उल्लंघन भी हो रहा है. विगत 7 वर्षों से निर्माण कार्य चलते देख एवं कभी बंद देख जनता की आंखें थक चुकी हैं. वाहनों का धुआं, उड़ती धूल से आसपास की कालोनियों के रहवासी एवं इंदौर की जनता त्रस्त हो चुकी है. इसका असर रहवासियों के स्वास्थ्य पर पड़ने लगा है. क्षेत्रीय रहवासी संगठनों द्वारा कई बार इसके लिये धरना, प्रदर्शन, आंदोलन शंखनाद (प्राधिकरण को जगाने हेतु) एवं चक्का जाम तक किया. क्षेत्रीय रहवासी, माननीय उच्च न्यायालय की शरण में भी गए. किंतु प्राधिकरण ने कभी भी निर्माणाधीन एजेंसी पर लगाम नहीं कसी, बल्कि प्राधिकरण मियाद पूर्ण होने के बावजूद निरंतर समय सीमा में वृद्धि करता रहा. माह जुलाई, 2014 में प्राधिकरण द्वारा निर्माणाधीन एजेंसी को पुन: कार्य करने का वर्कआर्डर जारी करते हुए दिनांक 30 सितंबर, 2014 तक कार्य पूर्ण करने हेतु कहा था, किंतु तय दिनांक के निकल जाने के बावजूद कार्य वर्तमान में अधूरा है एवं प्राधिकरण द्वारा चुपचाप पुन: दसवीं बार मियाद बढ़ाते हुए अब दिनांक 15 फरवरी, 2015 तक कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देश दिए हैं. कार्य पूर्ण नहीं होने से रहवासियों में एवं

इंदौर की जनता में रोष व्याप्त है और यही कारण है कि शायद अब तो इंदौर की जनता को केशरबार ब्रिज दिव्य स्वप्न की तरह नजर आने लगा है.

(2) प्रदेश के महाविद्यालयों में प्राध्यापकों की कमी

श्री मुकेश नायक (पवई) : अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों और शासकीय उच्च शिक्षा संस्थानों (महाविद्यालयों) में शिक्षकों की भारी कमी होने के कारण इस वर्ष उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों की भारी कमी हुई है. सरकारी सूत्रों से ही मिली जानकारी के अनुसार राज्य में महाविद्यालयों में कुल 14630 स्वीकृत पदों में से प्राध्यापकों और सहायक प्राध्यापकों के 3666 पद रिक्त हैं और लगभग 1222 गैर शिक्षाकर्मियों के पद रिक्त हैं और सरकार इन पदों को भरने के लिए कोई कार्यवाही नहीं कर रही है. राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति खस्ता होने के कारण सरकार उच्च शिक्षा के लिये शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर रही है. सरकार ने नये सरकारी महाविद्यालयों के लिये विगत वर्ष 399 शिक्षकों के पद स्वीकृत किये थे लेकिन उनकी भर्ती नहीं की गई. राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानदण्डों का कभी पालन नहीं किया है. कला संकाय में शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 होना चाहिए, लेकिन राज्य में यह अनुपात 1:102 है. शिक्षकों की कमी के कारण उच्च शिक्षा कक्षाओं में अध्ययन का स्तर भी कमजोर और घटिया हो गया है. इस वर्ष इतिहास, भूगोल, अरबी, फारसी, मनोविज्ञान, दर्शनशास्त्र, भाषा विज्ञान जैसे विषयों में महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या चिंताजनक रूप से कम हुई है. इसी तरह जीव-विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, प्राणीशास्त्र जैसे विज्ञान विषयों में भी प्रवेश लेने वाले छात्राओं की संख्या कम हुई क्योंकि कई महाविद्यालयों में इन विषयों के शिक्षक ही नहीं हैं और अतिथि शिक्षक भी उपलब्ध नहीं हैं. एक ओर तो शिक्षकों की कमी है तो दूसरी ओर राज्य सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अनुदान सहायता राशि का पूरा उपयोग नहीं कर पाती है. राज्य में उच्च शिक्षा के गिरते स्तर

और इस ओर सरकार की उदासीनता से युवकों और बुद्धिजीवियों के अलावा आम जनता में भी भारी असंतोष और रोष व्याप्त है.

(3) उत्तरपुस्तिकाओं के बण्डल गायब होना

श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़(इन्दौर-4)—अध्यक्ष महोदय,माह सितम्बर,2014 में स्व. लक्ष्मणसिंह गौड़ कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इन्दौर(मालव कन्या उ.मा.वि.इन्दौर) केन्द्र से डीएड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का बण्डल संभवत: ग्वालियर ले जाते समय रास्ते में कहीं गिर गया. यह बण्डल संभवत: खण्डवा के परीक्षार्थियों का था. उन परीक्षार्थियों के परीक्षाफल और उस बण्डल को गुमाने वाले दोषियों पर कार्यवाही नहीं की जाकर दुबारा परीक्षा के लिए विवश किया जा रहा है.

(4) सिंगरौली के बरका हायर सेकेण्ड्री स्कूल में शिक्षकों की कमी

श्री कमलेश्वर पटेल(सिंहावल)—अध्यक्ष महोदय,

प्रदेश सरकार जहा एक ओर सर्व शिक्षा अभियान स्कूल चलो अभियान चलाकर प्रदेश में शिक्षण स्तर सुधारने की घोषणायें कर रही है वही दूसरी ओर सिंगरौली जिले के बरका हायर सेकेण्ड्री स्कूल में शिक्षकों के अभाव में शिक्षण कार्य समय पर पूर्ण नहीं होने के कारण, विद्यालय के सम्पूर्ण छात्र-छात्राओं द्वारा परीक्षा का सामूहिक बहिस्कार किया गया है, क्योंकि उक्त विद्यालय की प्रभारी प्राचार्य जो कि विगत 02 वर्षो से पदस्थ है, सिंगरौली से लगभग 100 किमी दूर गोरबी में निवासी करने के कारण शिक्षण व्यवस्था पूर्णरूपेण चौपट हो गई है। विगत वर्ष परीक्षा परिणाम सन्तोष जनक नहीं रहा है। यदि तुरन्त प्रभारी प्रार्चाय को स्थानांतरित व जांच कराकर कडी कार्यवाही की गई व समुचित शिक्षण व्यवस्था नहीं की गई तो स्थिती जन आंदोलनक हो सकती है।

(5)पोहरी विधानसभा क्षेत्र में पेयजल संकट

श्री प्रहलाद भारती(पोहरी)—अध्यक्ष महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र पोहरी में अल्प वर्षा के कारण पेयजस की गंभीर समस्या है. हैण्डपम्पों व नलकूपों का जल स्तर काफी नीचे चला गया है या अधिकतर हैण्डपम्प न नलकूप सूख चुके हैं जिससे आम जनता को पेयजल हेतु भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. आने वाले समय में उक्त समस्या और भी विकराल हो सकती है. जिला प्रशासन द्वारा पेयजल प्रतिरक्षण अधिनियम के तहत विधानसभा क्षेत्र पोहरी जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है इसलिए विधानसभा क्षेत्र पोहरी में पेयजल आपूर्ति हेतु विशेष कार्य योजना बनाकर नवीन नलकूप खनन, पाइप बढ़ाये जाने व सिंगल फेस मोटर द्वारा आम जनता को पेयजल उपलब्ध कराया जाए.

6.जुन्नारदेव एवं दमुआ में अतिक्रमण हटाने से लोग बेघर होना

श्री सोहनलाल बाल्मीक(परासिया)-- अध्यक्ष महोदय, जुन्नारदेव के दमुआ नगर में शासन द्वारा हटाये जा रहे अतिक्रमण से लगभग 20,000 जन प्रभावित हो रहे हैं .एक सप्ताह पहले शासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही से आघात पहुंचने के कारण तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई. इसी तरह परासिया एवं जुन्नारदेव में डब्ल्यूसीएल द्वारा भी मकान खाली करवाकर हजारों लोगों को बेघर किया जा रहा है जिसके कारण जुन्नारदेव एवं परासिया विधानसभा क्षेत्र में कानून व्यवस्था प्रभावित हो रही है , इसे अविलंब रुकवाया जाये.

7. प्रदेश के स्कूलों में उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद भी गुरुजियों को वेतन एवं एरियर्स का भुगतान न होना.

श्री हरदीप सिंह डंग(सुवासरा)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश सरकार द्वारा स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई हेतु गुरुजियों की नियुक्ति की गई थी. बाद में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर के द्वारा आदेश क्रमांक डब्ल्यू.पी. नम्बर-14 दिनांक 15.7.2013 को मध्यप्रदेश शासन को निर्देश दिये कि गुरुजियों को शिक्षाकर्मी के समान वेतन एवं एरियर्स नियुक्ति दिनांक से दिया जाय एवं मध्यप्रदेश शासन पंचायत ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भोपाल दिनाँक 13 जनवरी 2014 से जारी पत्र अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद सक्षम अधिकारी के आदेश उपरांत आज दिनांक तक शिक्षा विभाग मंदसौर के द्वारा विकास खण्ड गरोठ एवं सीतामऊ में वंचित गुरुजियों को आज दिनांक तक वेतन एवं एरियर्स का भुगतान नहीं किया गया है. कुछ गुरुजियों को वेतन भुगतान कर दिया गया है.

11.42 बजे **पत्रों का पटल पर रखा जाना**

(क)

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 (वित्त लेखे खण्ड-I तथा वित्त लेखे खण्ड- II एवं विनियोग लेखे),

(ख) मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 11 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वित्तीय वर्ष 2013-2014 की द्वितीय छः माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छः माही समीक्षा विवरण,

(ग) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (क्रमाक-2 सन्1899) की धारा 75 (क) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्र.एफ-बी-4-21-2014-2-पांच-(28) दिनांक 01 नवम्बर, 2014

तथा

(घ) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (क्रमाक 16 सन्1908) की धारा 91 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-4-11-2014-2-पांच-(26) दिनांक 18 जुलाई, 2014, तथा

(ड.) मध्यप्रदेश वैट अधिनियम 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 की अपेक्षानुसार :-

(i) अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-35-2014-1- पांच (30) दिनांक 1 अगस्त, 2014,

(ii) अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-35-2014-1- पांच (40) दिनांक 25 अगस्त, 2014,

(iii) अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-05-2014-1- पांच (41) दिनांक 26 अगस्त, 2014,

(iv) अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-35-2014-1- पांच (43) दिनांक 1 सितम्बर, 2014,

(v) अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-56-2014-1- पांच (47) दिनांक 8 सितम्बर, 2014,

(vi) अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-35-2014-1- पांच (48) दिनांक 10 सितम्बर, 2014, एवं

(vii) अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-20-2013-1- पांच (58) दिनांक 27 नवम्बर, 2014, को पटल पर रखता हूं.

वित्त मंत्री (श्री जयंत मलैया)-- माननीय अध्यक्ष महोदय,

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 (वित्त लेखे खण्ड-I तथा वित्त लेखे खण्ड- II एवं विनियोग लेखे),

(ख) मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 11 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वित्तीय वर्ष 2013-2014 की द्वितीय छः माही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छः माही समीक्षा विवरण,

(ग) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (क्रमाक-2 सन्1899) की धारा 75 (क) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्र.एफ-बी-4-21-2014-2-पांच-(28) दिनांक 01 नवम्बर, 2014 **तथा**

(घ) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (क्रमाक 16 सन्1908) की धारा 91 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-4-11-2014-2-पांच-(26) दिनांक 18 जुलाई, 2014, तथा

(ड.) मध्यप्रदेश वैट अधिनियम 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 की अपेक्षानुसार :-

(i) अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-35-2014-1- पांच (30) दिनांक 1 अगस्त, 2014,

(ii) अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-35-2014-1- पांच (40) दिनांक 25 अगस्त, 2014,

(iii) अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-05-2014-1- पांच (41) दिनांक 26 अगस्त, 2014,

(iv) अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-35-2014-1- पांच (43) दिनांक 1 सितम्बर, 2014,

(v) अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-56-2014-1- पांच (47) दिनांक 8 सितम्बर, 2014,

(vi) अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-35-2014-1- पांच (48) दिनांक 10 सितम्बर, 2014, एवं

(vii) अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-20-2013-1- पांच (58) दिनांक 27 नवम्बर, 2014, को पटल पर रखता हूं.

11.45 बजे

मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन 2013-2014.

श्री उमाशंकर गुप्ता (उच्च शिक्षा मंत्री) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 की धारा 30 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन 2013-2014 पटल पर रखता हूँ.

11.46 बजे

ध्यान आकर्षण.

अध्यक्ष महोदय:- विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यान आकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं, परन्तु सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यान आकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलम्बनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके मैने आज की कार्यसूची में चार सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है, लेकिन इसके साथ ही मेरा अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हो केवल वे ही एक-एक प्रश्न पूछकर इन ध्यान आकर्षण सूचनाओं पर यथा शीघ्र चर्चा समाप्त हो सके, इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी कराने में सहयोग प्रदान करें।

मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति व्यक्त की गई.)

श्री कमलेश्वर इन्द्रजीत पटेल-- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप से एक विशेष निवेदन है. यूरिया जैसे महत्वपूर्ण विषय पर किसान परेशान है और डेली चर्चा बढ़ती जा रही है. आप से मेरा विनम्र निवेदन है कि यह किसानों से जुड़ा हुआ अति महत्वपूर्ण विषय है इस पर आज चर्चा होना चाहिए भले ही रात भर बैठना पड़े और उसका निदान हो..(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- अब आप यह कार्य पूरा होने दें तो उस पर चर्चा प्रारंभ करें...(व्यवधान)..

श्री निशंक कुमार जैन-- अध्यक्ष महोदय, यूरिया और बिजली पर चर्चा नहीं हो पा रही है...(व्यवधान)..आप आश्वस्त कर दें...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- आप बैठ जाएँ तो चर्चा प्रारंभ हो जाएगी...(व्यवधान)..

श्री निशंक कुमार जैन-- अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में किसान हाहाकार कर रहा है...(व्यवधान)..धरने हो रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है...(व्यवधान)..मेरा आप से अनुरोध है कि इस पर चर्चा कराई जाए...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- क्या अभी शुरू करा दें..(व्यवधान)..

श्री निशंक कुमार जैन-- अध्यक्ष महोदय, यूरिया और बिजली पर चर्चा जरूर कराई जाए...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- आप लोग यदि थोड़ा संयम रखेंगे तो चर्चा प्रारंभ हो जाएगी...(व्यवधान)..

श्री हरदीप सिंह डंग-- अध्यक्ष महोदय, आप हमें आश्वस्त कर दें कि बिजली और यूरिया पर चर्चा की जाएगी समय दे दें...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- जो विषय कार्यसूची में हैं उन पर चर्चा होना चाहिए, होगी किन्तु आप ही लोग तो समय जाया करते हैं...(व्यवधान)..

श्री जितू पटवारी-- अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध यह है कि 3 दिन से चर्चा आगे बढ़ रही है...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- कार्य तो कर रहे हैं ना...(व्यवधान)..यही मुश्किल है..(व्यवधान).. आप ही लोग चलने नहीं देते और आप ही चर्चा की बात करते हैं...(व्यवधान)..

संसदीय कार्य मंत्री (डॉ.नरोत्तम मिश्र)-- अध्यक्ष महोदय, चर्चा हमें नहीं कराना होती तो कार्यसूची में क्यों लेते...(व्यवधान)..

श्री जितू पटवारी-- अध्यक्ष महोदय, जो आज प्रदेश का सबसे गरम मुद्दा है..(व्यवधान)..

श्री हरदीप सिंह डंग-- अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर विषय है. यूरिया पर चर्चा कराई जाए...(व्यवधान)..

श्री निशंक कुमार जैन-- अध्यक्ष महोदय, यूरिया और बिजली पर चर्चा जरूर कराई जाए... (व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- पहले तो माननीय सदस्य यह बताएँ कि चर्चा करना चाहते हैं कि नहीं... (व्यवधान)..आप यदि चर्चा चाहते हैं तो कार्यसूची के काम पूरे होने दीजिए. कार्यसूची में है, नहीं चाहते हों तो हल्ला-गुल्ला मचाइये..(व्यवधान)..

श्री बाला बच्चन-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आप से आग्रह है कि विधायकगणों की शंका इसलिए उजागर हो रही है कि 3 दिन से कार्यसूची में खाद से संबंधित कालाबाजारी पर चर्चा कार्यसूची में छप रही है पर उस पर चर्चा नहीं हो पा रही है तो हम सब यह आग्रह करते हैं कि कृपया आज इस पर आप लंच के बाद चर्चा करा लें.

अध्यक्ष महोदय-- मैं आप से सहमत हूँ किन्तु 2 दिन तो स्थगन प्रस्ताव में ही चले गए. आप से मेरा अनुरोध है कि आप चर्चाएँ होने दें.

श्री जितू पटवारी-- अध्यक्ष जी, आज टाइम बढ़ाते हुए जब तक यूरिया...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- आप अभी टाइम आने तो दीजिए. आप अभी से शंकाएँ क्यों कर रहे हैं... (व्यवधान)..

श्री जितू पटवारी-- इसलिए कि 2-3 दिन से आगे बढ़ रही है...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- इतनी देर में तो एक ध्यानाकर्षण हो जाता...(व्यवधान)..

श्री निशंक कुमार जैन-- अध्यक्ष महोदय, आज सदन का समय बढ़ा दीजिए...(व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय-- अभी 5 तो बजने दें तब सदन का समय बढ़ाएँ.

संसदीय कार्य मंत्री (डॉ. नरोत्तम मिश्र)—अध्यक्ष महोदय, शंका वे लोग कर रहे हैं जो सदन के समय को बर्बाद करते हैं अभी भी लगातार.. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—अभी भी चर्चा नहीं करना चाहते हैं. (व्यवधान)

डॉ. नरोत्तम मिश्र—आपके आग्रह के बाद अभी भी खड़े हैं और हम लगातार यह कह रहे हैं कि इस पर चर्चा होनी चाहिये इसीलिए कार्य सूची में जुड़ रहा है. (व्यवधान)

श्री जितू पटवारी—आप हमें आश्वस्त कर दें कि लंच के बाद इसको हम ले लेंगे. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—आप यह काम तो पूरा होने दें.

श्री रामनिवास रावत—आप यही कह दो कि हम देर रात तक बैठने को तैयार हैं. (व्यवधान)

डॉ. नरोत्तम मिश्र—हां हम तैयार हैं.

श्री रामनिवास रावत—बस तो फिर बात खत्म.

डॉ. नरोत्तम मिश्र—कम के कम सदन की चर्चा तो चलने दें. (व्यवधान)

श्री बाला बच्चन—आप इस पर चर्चा करा लें. (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—हम तैयार हैं कार्य सूची में विषय है माननीय सदस्य बोलने दें तब तो. (व्यवधान)

11.51 बजे (ध्यानाकर्षण क्रमश:)

श्योपुर एवं मुरैना जिले के ग्रामीण विद्युतीकरण एवं फीडर विभक्तिकरण के तहत किये जा रहे कार्य में अनियमितता होना.

श्री रामनिवास रावत (विजयपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय,

मेरी ध्यान आकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है:-

श्योपुर एवं मुरैना जिले में म.प्र. मध्य विद्युत कंपनी लिमिटेड भोपाल द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण एवं फीडर विभक्तिकरण योजना के तहत कराए जा रहे कार्य अत्यंत घटिया एवं अमानक स्तर के हैं। विद्युत लाईन के खम्बे कमजोर, और वजन सहने की क्षमता नहीं है। पोल भी 1/6 लंबाई के बराबर गहरे न गाड़े जाकर मात्र दो-दो फीट ही गाड़े गए है। विद्युत खम्बों की बीच की दूरी भी अधिक बढ़ाकर गाड़े जा रहे हैं। विद्युत लाईन के तार एवं केबल अत्यंत घटिया होने से आए दिन विद्युत लाईने टूटने, केबल जलने की शिकायतें मिल रही है। कलेक्शन बॉक्स भी घटिया क्वालिटी के हैं एवं स्टे वायर भी नहीं लगाया गया है। श्योपुर जिले में पिछले एक वर्ष में 400 विद्युत खम्बे टूट गए हैं लगभग 20 ग्रामों की केबिल व स्थापित किए गए कई ट्रांसफार्मर फुंक गए हैं। 50 प्रतिशत से अधिक बिल राशि जमा करने पर ही ट्रांसफर्मर बदले जा रहे हैं इस कारण नियमित बिल जमा करने वाले कृषकों को बिजली नहीं मिल पा रही है इससे ग्रामों में पेयजल का गंभीर संकट हो गया है। स्वयं का ट्रांसफार्मर की योजना बंद किए जाने से कृषक स्वयं का ट्रांसफार्मर स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। इतना ही नहीं श्योपुर जिले में फीडर सेपरेशन का कार्य मार्च, 2013 में पूर्ण हो जाना चाहिए था, जो आज तक पूर्ण नहीं हुआ है। इसी प्रकार ग्राम रघुनाथपुर में स्थापित कराया जा रहा 33/11 के.व्ही. विद्युत सब स्टेशन का कार्य भी 2012 में पूर्ण होना था, जो कि आज तक नहीं हुआ है। तहसील कराहल के ग्राम भूरवाड़ा में स्थपित 33/11 के.व्ही. विद्युत सब स्टेशन हेतु 33 के.व्ही. विद्युत लाइन जो कि गोरस से ले जाना थी वह भी नहीं ले जाई गई है। श्योपुर जिले को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत 29.50 करोड़ रूपये का अतिरिक्त आवंटन प्राप्त हो चुका है, किन्तु अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। श्योपुर एवं मुरैना जिले में किए जा रहे विद्युतीकरण के कार्य अमानक एवं घटिया स्तर के होने एवं सब स्टेशन स्थापना के कार्यो में विलंब की चर्चा जब कंपनी के अधिकारियों से की जाती है तो वह इन कार्यो में उनका हस्तक्षेप एवं कंट्रोल नहीं होने की बात कहकर अपनी मजबूरी दर्शाते हैं। इसी प्रकार विजयपुर के भेवरा फीडर के ग्राम गोहरा, रनावद भारखोह, इटवई आदि गांवों तथा बराठा फीडर के ग्राम काउपुरा, दौलपुरा, मिलावली, दुबावली, वैनपुर ग्रामों में मात्र दो तारों पर विद्युत सप्लाई होने से किसानों के विद्युत पंप नहीं चल पा रहे है । माह अक्टूबर-नवम्बर, 2014 में उक्त फीडरों सहित तहसील कराहल के फरियादेह फीडर पर 10-10 दिनों तक विद्युत सप्लाई बंद रहने से किसानों एवं क्षेत्रीय जनता में आक्रोश व्याप्त है।

मेरी ध्यान आकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है:-

श्योपुर एवं मुरैना जिले में म.प्र. मध्य विद्युत कंपनी लिमिटेड भोपाल द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण एवं फीडर विभक्तिकरण योजना के तहत कराए जा रहे कार्य अत्यंत घटिया एवं अमानक स्तर के हैं। विद्युत लाईन के खम्बे कमजोर, और वजन सहने की क्षमता नहीं है। पोल भी 1/6 लंबाई के बराबर गहरे न गाड़े जाकर मात्र दो-दो फीट ही गाड़े गए है। विद्युत खम्बों की बीच की दूरी भी अधिक बढ़ाकर गाड़े जा रहे हैं। विद्युत लाईन के तार एवं केबल अत्यंत घटिया होने से आए दिन विद्युत लाईने टूटने, केबल जलने की शिकायतें मिल रही है। कलेक्शन बॉक्स भी घटिया क्वालिटी के हैं एवं स्टे वायर भी नहीं लगाया गया है। श्योपुर जिले में पिछले एक वर्ष में 400 विद्युत खम्बे टूट गए हैं लगभग 20 ग्रामों की केबिल व स्थापित किए गए कई ट्रांसफार्मर फुंक गए हैं। 50 प्रतिशत से अधिक बिल राशि जमा करने पर ही ट्रांसफर्मर बदले जा रहे हैं इस कारण नियमित बिल जमा करने वाले कृषकों को बिजली नहीं मिल पा रही है इससे ग्रामों में पेयजल का गंभीर संकट हो गया है। स्वयं का ट्रांसफार्मर की योजना बंद किए जाने से कृषक स्वयं का ट्रांसफार्मर स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। इतना ही नहीं श्योपुर जिले में फीडर सेपरेशन का कार्य मार्च, 2013 में पूर्ण हो जाना चाहिए था, जो आज तक पूर्ण नहीं हुआ है। इसी प्रकार ग्राम रघुनाथपुर में स्थापित कराया जा रहा 33/11 के.व्ही. विद्युत सब स्टेशन का कार्य भी 2012 में पूर्ण होना था, जो कि आज तक नहीं हुआ है। तहसील कराहल के ग्राम भूरवाड़ा में स्थपित 33/11 के.व्ही. विद्युत सब स्टेशन हेतु 33 के.व्ही. विद्युत लाइन जो कि गोरस से ले जाना थी वह भी नहीं ले जाई गई है। श्योपुर जिले को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत 29.50 करोड़ रूपये का अतिरिक्त आवंटन प्राप्त हो चुका है, किन्तु अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। श्योपुर एवं मुरैना जिले में किए जा रहे विद्युतीकरण के कार्य अमानक एवं घटिया स्तर के होने एवं सब स्टेशन स्थापना के कार्यो में विलंब की चर्चा जब कंपनी के अधिकारियों से की जाती है तो वह इन कार्यो में उनका हस्तक्षेप एवं कंट्रोल नहीं होने की बात कहकर अपनी मजबूरी दर्शाते हैं। इसी प्रकार विजयपुर के भेवरा फीडर के ग्राम गोहरा, रनावद भारखोह, इटवई आदि गांवों तथा बराठा फीडर के ग्राम काउपुरा, दौलपुरा, मिलावली, दुबावली, वैनपुर ग्रामों में मात्र दो तारों पर विद्युत सप्लाई होने से किसानों के विद्युत पंप नहीं चल पा रहे है । माह अक्टूबर-नवम्बर, 2014 में उक्त फीडरों सहित तहसील कराहल के फरियादेह फीडर पर 10-10 दिनों तक विद्युत सप्लाई बंद रहने से किसानों एवं क्षेत्रीय जनता में आक्रोश व्याप्त है।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

श्योपुर एवं मुरैना जिलों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना एवं फीडर विभक्तिकरण योजना के तहत कराये जा रहे विद्युतीकरण के कार्य मानकों के अनुरूप किया जाना सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर निरीक्षण की व्यवस्था की गई। इन दोनों जिलों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए योजना के प्रावधानों के अनुसार सामग्री तथा कार्य की गुणवत्ता की जॉच हेतु त्रि–स्तरीय निरीक्षण की व्यवस्था की गई थी। तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी भारत सरकार के उपक्रम मेसर्स वेपकास लिमिटेड, नईदिल्ली को नियुक्त किया गया जिसके द्वारा सामग्री की गुणवत्ता की जॉच के साथ–साथ कार्यों की गुणवत्ता की जॉच भी की गई। इन ग्रामों में खम्बों के गड्ढों की गहराई एवं पोल के बीच की दूरी योजना के निर्धारित मापदण्ड के अनुसार रखी गई है तथा तकनीकी आवश्यकता के अनुरूप लाईन पर स्टे वायर भी लगाया गया है। इसके अतिरिक्त विद्युत लाईन के तार, केबल, जन्शन बाक्स तथा प्रमुख सामग्री का परीक्षण एन.ए.बी.एल. द्वारा प्रमाणित इरेडा बड़ोदरा, क्वालिटी मार्केटिंग एवं टेस्टिंग लैब इंदौर, डेल्टा लेबोरेटरी इंदौर, , केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया। इसके अलावा द्वितीय एवं तृतीय स्तर पर क्रमशः मेसर्स वाइंड साल्युशन प्रायवेट लिमिटेड, नई दिल्ली को आर. क्यू. एम. एवं मेसर्स मेधास टेक्नोक्रेट लखनऊ को नेशनल क्वालिटी मॉनिटर को कार्यों की गुणवत्त्ता की जॉच के लिए नियुक्त किया गया था। इन एजेन्सियों द्वारा की गई जॉच में पाई गई त्रुटि को टर्न–की कान्टेक्टर के द्वारा सुधार किये जाने के उपरांत ही कार्य को कंपनी द्वारा अधिगृहित किया गया था। अतः यह कहना सही नहीं है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण के कार्य मानकों के अनुरूप नहीं किए गए है।

फीडर विभक्तिकरण के कार्य में भी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए श्योपुर तथा मुरैना जिलों में पृथक से प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के लिए मेसर्स आई.सी.टी. नई दिल्ली को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसलटेंट के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसके रेसीडेंट इंजीनियर व फील्ड इंजीनियर कार्यस्थल पर उपस्थित होकर कार्यों की गुणवत्ता व मानक स्तर की जॉच करते हैं। सामग्री की जॉच का कार्य भारत सरकार के उपक्रम मेसर्स वेपकास लिमिटेड नई

दिल्ली को सौंपा गया है। साथ ही दोनों जिलों के लिए म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना तथा फीडर विभक्तिकरण योजना अंतर्गत किए जा रहे कार्यों के कियान्वयन एवं निरीक्षण के लिए वृत्त स्तर पर नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं, जिनके द्वारा भी कार्यों की गुणवत्ता की सतत् मॉनिटरिंग की जाती हैं । इन योजनाओं के कार्य टर्नकी आधार पर दिये गये हैं तथा इन योजनाओं के अंतर्गत ठेकेदार द्वारा ट्रांसफार्मर स्थापित किए जाने के उपरांत इन ट्रांसफार्मरों की गारंटी अवधि 36 माह रहती है। इस अवधि में ट्रांसफार्मर खराब होने पर टर्नकी ठेकेदार द्वारा इन ट्रांसफार्मरों को बदला जाता है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अंतर्गत श्योपुर जिले में कुल 97 ट्रांसफार्मर जले/खराब हुए थे, जिनमें से 52 ट्रांसफार्मर बदले जा चुके हैं तथा शेष 45 ट्रांसफार्मर नियमानुसार विद्युत बिलों की बकाया राशि का 50 प्रतिशत जमा किए जाने के उपरांत बदले जायेंगे। मुरैना जिले में इस योजना में कुल 99 ट्रांसफार्मर जले/खराब हुए । इनमें से 11 ट्रांसफार्मर बदल दिये गये हैं तथा शेष 88 ट्रांसफार्मर 50 प्रतिशत बकाया राशि जमा करने के उपरांत बदल दिये जायेंगे। फीडर विभक्तिकरण योजना अंतर्गत श्योपुर जिले में कुल 55 ट्रांसफार्मर जले/खराब हुए थे, जिनमें से 36 ट्रांसफार्मर बदले जा चुके हैं तथा शेष 19 ट्रांसफार्मर नियमानुसार विद्युत बिलों की बकाया राशि का 50 प्रतिशत जमा किए जाने के उपरांत बदले जायेंगे। मुरैना जिले में इस योजना में कुल 137 ट्रांसफार्मर जले/खराब हुए । इनमें से 90 ट्रांसफार्मर बदल दिये गये हैं तथा शेष 47 ट्रांसफार्मर 50 प्रतिशत राशि जमा करने के उपरांत बदल दिये जायेंगे।

श्योपुर जिले में मई 2014 में आंधी तूफान के कारण कुल 380 खम्बे टूटे थे। इन स्थानों पर सुधार कार्य कराकर इन्हें जुलाई 2014 तक विद्युत प्रदाय सुचारू कर दिया गया था। जिन ग्रामों में केबल जलने की शिकायत प्रकाश में आई थी वहां भी केबल बदलकर विद्युत प्रदाय सुचारू किया गया था।

यह कथन सही नहीं है कि ट्रांसफार्मरों के बंद होने से इन ग्रामों में पेयजल का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है । इन क्षेत्रों में किसी भी नल–जल कनेक्शन का विद्युत प्रदाय बंद नहीं है। म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अंतर्गत स्वयं का ट्रांसफार्मर स्थापित करने की योजना पूर्ववत् लागू है । उल्लेखनीय है कि स्वयं का ट्रांसफार्मर योजना के तहत् श्योपुर जिले में नवंबर 2014 में ही 229 ट्रांसफार्मर वितरण कंपनी द्वारा स्वीकृत किए गए। जिसमें से 199 ट्रांसफार्मर स्थापित हो गये है। मुरैना जिले में भी स्वयं के ट्रांसफार्मर की योजना के अंतर्गत 250 ट्रांसफार्मर स्वीकृत किये गये जिसमें से 210 ट्रांसफार्मर स्थापित हो गये है। अतः यह कथन सही नहीं है कि स्वयं का ट्रांसफार्मर योजना बंद कर दी गई है।

जिसकी एफ.आई.आर. भी विजयपुर थाने में दर्ज की गई है। फीडर पर कुल 45.18 लाख रूपये की राशि बकाया होने के कारण तार चोरी होने के उपरांत बदले नहीं गये हैं। उपभोक्ताओं से बकाया राशि वसूली हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। उपभोक्ताओं से राशि जमा होने पर 11 के.व्ही. का तार लगाकर तीन फेस पर विद्युत प्रदाय चालू किया जाएगा। बरोठा फीडर की कुल लंबाई 5 कि.मी. है । इस फीडर का भी एक तार चोरी हो गया था, जिसकी सूचना कनिष्ठ यंत्री द्वारा पुलिस थाने में दी गई थी। इस फीडर पर 35.11 लाख रूपये बकाया होने के कारण वर्तमान में दो फेस पर ही विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। उपभोक्ताओं द्वारा बकाया राशि जमा किए जाने के उपरांत तीन फेस पर विद्युत प्रदाय प्रारभ किए जाने की कार्यवाही की जाएगी।

यह कथन सही नहीं है कि अक्टूबर–नवंबर 2014 में इन फीडरों सहित तहसील कराहल के करियादेह फीडर पर 10–10 दिनों तक विद्युत प्रदाय बंद रहा। इन फीडरों पर माह नवंबर 2014 में औसतन 20 घंटे से अधिक विद्युत प्रदाय किया गया है। श्योपुर जिले में इस वर्ष अक्टूबर, एवं नवम्बर माहों में कुल 1152 लाख यूनिट विद्युत प्रदाय की गई जबकि गत वर्ष इसी अवधि में 832 लाख यूनिट विद्युत प्रदाय की गई थी। इस तरह इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में 38 प्रतिशत अधिक विद्युत प्रदाय की गई। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में इस वर्ष अक्टूबर एवं नवम्बर माहों में कुल 11367 मिलियन यूनिट विद्युत प्रदाय की गई जो कि गत वर्ष इसी अवधि में प्रदायित विद्युत से 19 प्रतिशत अधिक रही। नवम्बर माह में अधिकांश दिनों में लगभग 2000 लाख यूनिट प्रतिदिन विद्युत प्रदाय प्रदेश में सुनिश्चित किया गया तथा दिनांक 9 दिसम्बर, 2014 को अभी तक की प्रदेश में सर्वाधिक 9847 मेगावाट विद्युत की उच्चतम मांग की पूर्ति की गई।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में यह कहना सही नहीं है कि सूचना में उल्लेखित क्षेत्र में किसानों एवं क्षेत्रीय जनता में विभागीय अधिकारियों के प्रति तीव्र रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अध्यक्ष महोदय - मेरा माननीय सदस्यों से और माननीय मंत्रीगणों से अनुरोध है कि वे संक्षेप में ही अपने काल अटेंशन लाएं और संक्षेप में ही उनके उत्तर दिये जाएं तो सदन का समय बचेगा और आपका काम भी होगा.

श्री रामनिवास रावत – अध्यक्ष महोदय, मैंने जो काल अटेंशन दिया था उसमें इतने उत्तर की आवश्यक्ता नहीं थी. आपने पालिसी, अपनी पूरी भाषा सब कुछ लिख दिया है. मैंने जो पूछा उसके अलावा भी सब कुछ.

अध्यक्ष महोदय – आपका भी छोटा नहीं था.

श्री रामनिवास रावत – अपने क्षेत्र से संबंधित था.

श्री गोपाल भार्गव – डॉ.शेजवार से दिलवा दें उत्तर.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा – पूर्व ऊर्जा मंत्री हैं.

श्री रामनिवास रावत – माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हम भी जानते हैं कि शासन का उत्तर किस तरह से आता है. यह कहना सही नहीं है. सदस्य जो भी आरोप लगाते हैं वह सभी सही नहीं है शासन जो कह रहा है सही है. मैंने कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाए. माननीय मंत्री जी ने कार्य की गुणवत्ता की, निरीक्षण की व्यवस्था बता दी. सारी बातें बता दीं और मैंने यह भी बात उठाई कि कार्य की गुणवत्ता ठीक न होने से खम्बे टूटे, ट्रांसफार्मर फुंके और केबल जली. इस बात को उन्होंने स्वीकार किया है लेकिन गुणवत्ता ठीक नहीं है इस बात को भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया. समय ज्यादा लगेगा मैं अगर मंत्री जी से पूछूं कि कौन-कौन सी तारीख को इन कंपनियों ने किस-किस गांव में कार्य की गुणवत्ता देखी और निरीक्षण किया है तो जवाब नहीं होगा न कोई अधिकारी दे पाएगा न मंत्री जी दे पाएंगे. मैं अपने क्षेत्र तक संबंधित रहूंगा. जब मंत्री जी ने ही कसम खा ली है कि हमें व्यवस्था सुधारनी ही नहीं है तो हम क्या करें. माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने स्वीकार किया कि 380 खम्बे टूटे और 97 ट्रांसफार्मर फीडर सेपरेशन के जले, आरजीजीवाय के जले.

मुरैना के अलग जले सभी जगह का बता दिया. कार्य की गुणवत्ता अगर ठीक होती तो मैं समझता हूं कि यह जले फुंके नहीं होते और 380 खम्बे नहीं टूटते और केबलें नहीं जलतीं. माननीय मंत्री जी ने खुद बताया है कि फीडर सेपरेशन का काम 2013 में पूर्ण होना था. आज तक पूर्ण नहीं हुआ और मेरे विधान सभा क्षेत्र विजयपुर में फीडर सेपरेशन का काम केवल 20 प्रतिशत हुआ है. सारे गांवों की हालत खराब है. आप जो बता रहे हैं. सभी गांवों में खम्बे नहीं हैं. सब अंधेरे में डूबे हुए हैं. आप फीडर सेपरेशन का कार्य़ कब तक पूर्ण करा देंगे यह समय सीमा बताएं. मैं ठेकेदार पर नहीं जाना चाहता. आप सक्षम हैं. आपका कांट्रेक्टर काम नहीं करता. आपका विभागीय सिस्टम है. कांट्रेक्टर का ठेका निरस्त करके आप विभाग से कराएं. आप एक रघुनाथपुर सबस्टेशन की है जो मार्च ,2013 में पूर्ण होना था. आज पूरे क्षेत्र में हाहाकार मचा है. उस क्षेत्र को बिजली नहीं मिल पा रही आप कुछ भी कहें. पूरा विभाग कहता है कि हम ठेकेदार से कड़ाई से करवा रहे हैं. अगर आप असहाय हैं तो उस ठेकेदार का ठेका निरस्त करके इसको जल्दी से जल्दी पूर्ण करा दें माननीय मंत्री जी.

श्री राजेन्द्र शुक्ल—अध्यक्ष महोदय, फीडर सप्रेशन जैसा कि मैंने अपने जवाब में बताया कि अक्टूबर 2015 तक पूरा हो जाएगा.

श्री रामनिवास रावत—अध्यक्ष महोदय,समय तो बढ़ता जा रहा है पिछली बार भी जवाब दिया था तब समय कम बताया था वह जवाब भी मेरे पास में है.

श्री राजेन्द्र शुक्ल—अध्यक्ष महोदय, आप भरोसा कर सकते हैं अक्टूबर 2015 तक पूरा हो जायेगा.

श्री रामनिवास रावत—माननीय अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण प्रश्न 50 प्रतिशत राशि जमा होने के बाद ही आप ट्रांसफार्मर बदलेंगे. मैंने यह भी पूछा कि जिन गांवों में 2 फेस पर लाईट दी जा रही है उसके कारण ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाएंगे. कई ट्रांसफार्मरों के विद्युत उपभोक्ता इस प्रकार के हैं कि किसी ट्रांसफार्मर पर एक लाख रूपये बकाया है औ र एक उपभोक्ता पर 55

हजार रूपये बकाया है वह इसलिये बकाया है कि उसका ट्यूबवेल सूख गया है इसलिये पैसा जमा नहीं करना चाहता. तीन उपभोक्ताओं के 48 हजार या 45 हजार रूपये जमा हैं तो यह तीनों उपभोक्ताओं को परेशान करने का काम यह कर रहे हैं. (XX) आपका उपभोक्ता पैसा जमा कर देता है उसको विद्युत दिलाने की व्यवस्था करेंगे और आपका जो 50 प्रतिशत वाला (XX) है.

डॉ.गौरीशंकर शेजवार—अध्यक्ष महोदय, इनकी शब्दावली क्या है (XX) तो यहां पर संसदीयता से नहीं बोला जाएगा. क्या आपको ऐसा बोलना चाहिये?

अध्यक्ष महोदय—इसको कार्यवाही से निकाल दें.

श्री रामनिवास रावत—क्या आप अपने दिल पर हाथ रखकर के कहें कि नहीं करवा रहे हैं.

डॉ.गौरीशंकर शेजावार—देखिये यहां पर विधान सभा दिल से नहीं दिमाग से चलती है. (हंसी)

श्री रामनिवास रावत—अध्यक्ष महोदय, मैं, समझता हूं कि सत्तापक्ष का एवं विपक्ष का हर सदस्य इस बात को लेकर के दुःखी है आप केवल बिजली विभाग एवं व्यापार को मत देखिये, किसानों को भी देखिये जो लोग पैसे जमा कर रहे हैं उनको विद्युत सप्लाई करने की व्यवस्था करेंगे?

श्री राजेन्द्र शुक्ल—अध्यक्ष महोदय, श्योपुर, मुरैना जिले का सवाल है इसमें बिजली विभाग बहुत उदार है यदि आप आंकड़ें देखेंगे.

श्री रामनिवास रावत—मुझे मेरे प्रश्न का जवाब चाहिये.

श्री राजेन्द्र शुक्ल—अध्यक्ष महोदय, आपका जवाब बिजली की सप्लाई से जुड़ा है पहले मुझे यह बताना जरूरी है कि श्योपुर जिले में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 40 प्रतिशत से ज्यादा बिजली की सप्लाई की गई है और मुरैना जिले में 21 प्रतिशत बिजली पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा सप्लाई की गई है बिजली विभाग कितना उदार है श्योपुर जिले के लिये इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं.

श्री रामनिवास रावत—यह तो भाषण दे रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय—इनका उत्तर आने दें आपने भी तो भाषण दिया.

श्री राजेन्द्र शुक्ल—अध्यक्ष महोदय, श्योपुर जिले में सीआरपीओ होता है जो मिनिमम साढ़े तीन रूपये होता है हर जिले में और हर जिले में है भी वह श्योपुर जिले में 67 पैसा है, साढ़े तीन रूपये की जगह 67 पैसा है इसका मतलब है कि यह 96 करोड़ रूपये का बिल जाता है तो 28 करोड़ रूपये भी नहीं आता और मुरैना में 186 करोड़ की जगह 83 करोड़ 1 रूपया आरपीओ है उसके बाद भी हम ज्यादा बिजली दे रहे हैं हमने इस प्रकार की व्यवस्था की है यदि 50 प्रतिशत भी बिजली का बिल जमा हो जाए तो हम ट्रांसफार्मर को बदलेंगे. यदि हमने यह प्रशासनिक नियंत्रण के लिये यह व्यवस्था की है तो यह इस बात को प्रमाणित नहीं करता है कि 24 घंटे बिजली देने के लिये हमें कोयला एवं बिजली भी खरीदना है और यदि हम कोयले का पेमेन्ट समय से नहीं करेंगे तो हम किसानों को भरपूर बिजली कैसे दे पाएंगे जिन किसानों की चिन्ता करते हुए आपने कहा है.

(व्यवधान)

श्री कमलेश्वर पटेल—अभी बिजली दे दें क्यों कि अभी तो बोनी का समय है.

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय—माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि अभी तीन ध्यानाकर्षण रह गये हैं 139 की चर्चा का आपने ही आग्रह किया है. कृपया करके आप लोग बैठ जाएं और अगला ध्यानाकर्षण लेने दें.

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय--हो गया जवाब अब. श्री सूबेदार सिंह रजौधा अपना ध्यानाकर्षण पढ़ें (व्यवधान) नहीं अब नहीं (व्यवधान) माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है बैठें.

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय--अब नहीं अब कोई बात नहीं होगी अब दूसरा ध्यानाकर्षण लिया जायेगा (व्यवधान) अब कोई बात नहीं होगी कृपया बैठ जायें (व्यवधान) नहीं कुछ भी नहीं लिखा जायेगा, श्री सूबेदार सिंह रजौधा जो बोलेंगे वही लिखा जायेगा बाकी जो बोलेंगे उनका बिल्कुल नहीं लिखा जायेगा. रिकार्ड में नहीं आएगा.

श्री रामनिवास रावत--(XXX)

श्री हरदीप सिंह डंग (XXX)

श्री सुंदरलाल तिवारी--(XXX)

श्री रामकिशोर दोगने (XXX)

श्री यादवेन्द्र सिंह--मेरा एक मिनट सुन लें आप.

अध्यक्ष महोदय--नहीं, अब किसी की नहीं सुनेंगे (व्यवधान) बाला बच्चन जी कुछ कह रहे हैं.. (व्यवधान).

बहिर्गमन

श्री बाला बच्चन--माननीय अध्यक्ष महोदय, हम मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं और हम इस पर बहिर्गमन करते हैं.

(श्री बाला बच्चन के नेतृत्व में कांग्रेस पक्ष के सदस्यगणों द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया)

अध्यक्ष महोदय--श्री सूबेदार सिंह रजौधा अपना ध्यानाकर्षण पढ़ें. (व्यवधान)

(XXX) आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

श्री यादवेन्द्र सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ठेकेदार के लड़के हैं किसानों की पीड़ा नहीं जानते.

अध्यक्ष महोदय--यह निकाल दीजिये कार्यवाही से. (व्यवधान) श्री सूबेदार सिंह रजौधा अपना ध्यानाकर्षण पढ़ें. (व्यवधान)

(2) मुरैना जिले के पहाड़गंज वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार किया जाना

श्री सूबेदार सिंह रजौधा (जौरा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यान आकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है..

वन परिक्षेत्र पहाडगढ जिला मुरैना में वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार एवं अनियमितताएं की जा रहीं है। शासन की विभिन्न योजनाएं जैसे बिगड़े वनो का सुधार जीवित बागड़ सी.पी.टी. कूप तलैया, पौधा रोपण आदि कार्यो में नियमों को ताक पर रखकर एक ही व्यक्ति के नाम लाखों रूपये का फर्जी भुगतान किया गया है जबकि मौके पर कोई भी कार्य नहीं हुआ है। उक्त अधिकारी द्वारा पूरे जंगल को बर्बाद किया जा रहा है जिससे वन परिक्षेत्र अधिकारी पहाड़गढ़ के प्रति क्षेत्र के नागरिकों एवं मजदूरों में आक्रोश व्याप्त है

वनमंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार)--माननीय अध्यक्ष महोदय,

यह सही नहीं है कि वन परिक्षेत्र पहाडगढ़, जिला मुरैना में वन परिक्षेत्र अधिकारी पहाडगढ़ द्वारा भ्रष्टाचार एवं अनियमितताऐं की जा रही हैं एवं शासन की विभिन्न योजनाओं जैसे बिगड़े वनों का सुधार, जीवित बागड़, सी.पी.टी., कूप तलैया, पौधा रोपण आदि कार्यों में नियमों को ताक पर रखकर एक ही व्यक्ति के नाम लाखों रुपये के फर्जी भुगतान किये गये हैं। यह भी सही नहीं है कि मौके पर कार्य नहीं हुये हैं एवं परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा पूरे जंगल को बर्बाद किया जा रहा है।

वास्तविकता यह है कि कार्यरत वन परिक्षेत्र अधिकारी, पहाड़गढ़ के विरूद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितता संबंधी कोई शिकायत वन विभाग में प्राप्त नहीं हुई है। वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में पहाडगढ़ परिक्षेत्र के अन्तर्गत किये गये कार्यों में एक लाख रुपये से अधिक का भुगतान ई–पेमेन्ट द्वारा कुल 10 विभिन्न व्यक्तियों को उन के बैंक खातों में किया गया है अतः भुगतान फर्जी होने का प्रश्न ही नहीं है। परिक्षेत्र पहाड़गढ़ में कराये गये समस्त कार्यों का सत्यापन उप वन मंडलाधिकारी, सबलगढ़ द्वारा करने एवं समस्त कार्य मौके पर पाए जाने के उपरांत ही इन कार्यों का भुगतान किया गया है। समय–समय पर उच्च अधिकारियों द्वारा भी इन कार्यों का निरीक्षण किया गया है तथा कार्यों में न तो कोई अनियमितता पाई गई और न ही उच्च अधिकारियों के भ्रमण के समय भुगतान न होने अथवा फर्जी भुगतान होने की कोई शिकायत मिली। जंगल में अपेक्षित कार्य किये जा रहे हैं। एक नई परिक्षेत्र अधिकारी, जो महिला है, द्वारा साहसपूर्वक कार्यवाही करते हुए वर्ष 2014 में वन अपराध में उपयोग किये गये 2 डम्पर, 4 ट्रेक्टर एवं 3 आरामशीनें जप्त की गई हैं।

वन परिक्षेत्र अधिकारी पहाड़गढ़ के विरुद्ध क्षेत्र के नागरिकों एवं मजदूरों में कोई आक्रोश व्याप्त नहीं है।

श्री सूबेदार सिंह रजौधा--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिल्कुल मौके की बात कर रहा हूं जहां मैं अपने भ्रमण के दौरान गया हूं. जैसे रकैरा है, मानपुर है, कन्हार है, आरेठी है इन गांवों में लाखों रूपये के काम दर्शाये गये हैं और ऐसे सैकड़ों गांवों में काम दर्शाये गये हैं और कोई भी काम मौके पर नहीं हुआ. माननीय अध्यक्ष महोदय, भूपेन्द्र और भूकन नाम का एक व्यक्ति है उसके अलग अलग दो बैंकों में खाते खोले हैं और वही मजदूर के नाम पर फर्जी मस्टर बनवाता है. न कोई वहां श्रमिक तैनात है. जंगल पूरी तरह से बर्बाद हो गया है. न कोई नये बीज रोपण का काम हुआ है. उसी ने अपनी जो भूपेन्द्र और भूकन नाम बता रहा हूं. इस व्यक्ति ने अपनी जेसीबी वहां लगा रखी है और वहीं मजदूरों के नाम केलारस में रहता है और लिखता है. ..

अध्यक्ष महोदय -- कृपया प्रश्न पूछें.

श्री सूबेदार सिंह रजौधा -- अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को यह प्रमाणित रुप से कह रहा हूं. मैं भी आपका विधायक हूं. मैं अपने यह भ्रमण के दौरान देखी हुई बातें कह रहा हूं. वहां पर पूरी तरह से 90 प्रतिशत जो काम हुए हैं, उनमें भ्रष्टाचार किया गया है. मंत्री जी, क्या मौके पर किसी सीएफ लेविल के अधिकारी को भोपाल से भेजकर जांच करायेंगे?

डॉ. गौरीशंकर शेजवार -- अध्यक्ष महोदय, जो मुझे शासन से उत्तर प्राप्त हुआ है, शासन से अर्थात् मेरे अधिकारियों से. और विधायक जी यहां सदन में कह रहे हैं, दोनों में विरोधाभास है. मुझे कोई आपत्ति नहीं है इसमें भौतिक सत्यापन करवा सकते हैं और हम भोपाल से किसी...

श्री रामनिवास रावत -- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री, शेजवार जी यहां सरकार की तरफ से उत्तर दे रहे हैं. जो अभी शेजवार साहब ने कहा कि मैंने जो उत्तर दिया है, अधिकारियों की तरफ से आया है. क्या अधिकारी सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं हैं या आप सरकार में नहीं हैं. क्या आप मंत्री नहीं हैं. यहां पूरे शासन की तरफ से जवाब दिया जाता है.

अध्यक्ष महोदय -- आपकी बात आ गयी.

श्री रामनिवास रावत -- अध्यक्ष महोदय, बात नहीं. जिस तरह से कह रहे हैं. यह कोई तरीका है, आपका नियंत्रण नहीं है. आप क्यों नहीं जवाब ठीक करवाते.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार -- अध्यक्ष महोदय, नहीं, दो चीजें हैं.

श्री रामनिवास रावत -- अध्यक्ष महोदय, क्या आपकी सामूहिक जिम्मेदारी नहीं है.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार -- अध्यक्ष महोदय, है.

श्री रामनिवास रावत -- अध्यक्ष महोदय, अधिकारियों का उत्तर आपका उत्तर नहीं है. बस आप यह बता दें.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार -- अध्यक्ष महोदय, आप बैठें तो.

अध्यक्ष महोदय -- आपने आधा सुना. उन्होंने बाद में यही कहा कि यानि मेरा ही उत्तर है. आधी बात काम की आपने अपनी सुन ली.

श्री रामनिवास रावत -- अध्यक्ष महोदय, आपने सम्भाल लिया, कोई बात नहीं.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार -- रावत जी, उनका काम है संरक्षण देना आपको भी और हमें भी. आपने जो बात कही, निश्चित रुप से कहना चाहिये. उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है और आपकी बात जो आपने कही है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं विधान सभा में जवाब दे रहा हूं. यदि जवाब गलत है, तो उसकी एक प्रक्रिया है. आप उस पर भविष्य में उस प्रक्रिया के अंतर्गत यहां कार्यवाही कर सकते हैं. लेकिन मैंने जो बात कही कि कल ध्यान आकर्षण आया, मेरे पास आया. विभाग में गया, वभाग ने संबंधित अधिकारियों को भेजा. वहं से जवाब आया. उसको मैंने पढ़ा. अब यह प्रक्रिया से कहां अलग है बताओ आप. इसके बाद भी मैं कह रहा हूं कि विधायक जी ने जो बात बोली और मैंने जो उत्तर दिया, उसमें विरोधाभास है. मैंने क्या गलत कहा, रावत जी बताइये. शायद आप मंत्री होते, तो इतनी हिम्मत बोलने की नहीं कर पाते और न भविष्य में कभी कर पाओगे.

इंजी. प्रदीप लारिया -- अध्यक्ष महोदय, अब इसलिये नहीं कर पायेंगे कि भविष्य में कभी मंत्री तो बनना नहीं है. रावत जी को वहीं स्थाई रुप से बैठना है.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार -- नहीं कर पाओगे, तो अर्थ यह है कि कभी, मैंने इनकी तो लाइन देखी है,लकीर जो है, वह मिट गयी. ..(हंसी)..

अध्यक्ष महोदय -- मंत्री जी, कृपया कनक्ल्यूड करें.

डॉ. रामकिशोर दोगने -- जिनको मंत्री बनना है, शेजवार जी से हाथ दिखवा लें. भाजपा के विधायक गण शेजवार जी से हाथ दिखवा लें, जिनको मंत्री बनना है.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार -- अध्यक्ष महोदय, मैं किसी सबसे बड़े अधिकारी से मतलब पीसीसीएफ से जो कम होते हैं, एपीसीसीएफ और उनके साथ में एकाउंट की बात कही

है, तो कोई बड़े एकाउंट ऑफिसर को भोपाल से भेज दूंगा और विधायक जी से सम्पर्क करेंगे और जो काम कागजों पर लिखे हैं, उनका मौके पर सत्यापन विधायक जी के सामने होगा.

श्री रामनिवास रावत -- अध्यक्ष महोदय, यह तो आप कल गेलरी में ही कह रहे थे.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार -- अध्यक्ष महोदय,यदि सत्यापन नहीं हो पाया और उसमें कोई कमी निकली तो जिन अधिकारियों ने यह गड़बड़ की है, उनके खिलाफ यदि सबूत मिलते हैं. तो मैं सख्त से सख्त कार्यवाही करुंगा, यह मैं आपके माध्यम से विधायक जी को आश्वासन देना चाहता हूं.

अध्यक्ष महोदय --श्रीमती योगिता नवलसिंग बोरकर अपने ध्यान आकर्षण की सूचना पढ़ें.

श्री सूबेदार सिंह रजौधा-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मै मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं ओर ..

अध्यक्ष महोदय-- अब हो गया, अब इसके बाद और क्या चाहिये. आपकी बात पूरी हो गई, आपकी मांग पूरी हो गई.

श्री सूबेदार सिंह रजौधा --मैं मंत्री जी से एक आग्रह करना चाहता हूं समय सीमा बताने का कष्ट करें.

श्री बहादुर सिंह चौहान -- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी समय सीमा तो बतायें कि 1 सप्ताह, 15 दिन या 1 माह में. मेरा नाम भी इसमें था.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार -- एक महीने में कार्यवाही पूरी करवा दूंगा.

श्री सूबेदार सिंह रजौधा -- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं . जिसने फर्जीबाड़ा किया है उसके रहते हुये निष्पक्ष जांच संभव नहीं है.

डॉ. गौरीशंकर शेजवार -- उसको अटैच कर देंगे अलग, जांच के समय.

अध्यक्ष महोदय-- श्रीमती योगिता नवलसिंह बोरकर अपने ध्यानाकर्षण की सूचना को पढ़ें.

12.21 बजे **उपाध्यक्ष महोदय(डॉ.राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुये**

(3) खण्डवा जिले के पंधाना क्षेत्र में अवैध एवं जहरीली शराब की बिक्री से उत्पन्न स्थिति

श्रीमती योगिता नवलसिंह बोरकर(पंधाना)- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात सदन में रखने से पूर्व लोकतंत्र के मंदिर को प्रणाम करती हूं. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है :-

खंडवा जिले के पंधाना क्षेत्र के अंतर्गत लायसेंसधारी ठेकेदारों के द्वारा ग्राम बरूड, छिरवेल, दीवाल, पंधाना, सिंगोट, छैगांवमाखन आदि ग्रामों में अवैध एवं जहरीली शराब की बिक्री विगत कई दिनों से की जा रही है। इस संबंध में जिला आबकारी अधिकारी, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक खंडवा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पंधाना एवं क्षेत्र के थाना प्रभारियों को कई बार लिखने के उपरान्त भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। लायसेंसधारी ठेकेदारों के द्वारा गांव-गांव जाकर कच्ची झोपड़ियों में मोटर सायकल एवं फोर व्हीलर के माध्यम से शराब बेची जा रही है, जिससे कुसुम्बिया, नीमखेड़ा, बरूड, पंधाना छैगांवमाखन में निर्दोष लोगों की जान भी जा चुकी है, परन्तु प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से क्षेत्र की जनता में आक्रोश व्याप्त है।

वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री(श्री जयंत मलैया)-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

खण्डवा जिले के पंधाना विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बरुड, छिरवेल, पंधाना, सिंगोट, छेगांवमाखन में देशी मदिरा एवं पंधाना तथा छेगांवमाखन में विदेशी मदिरा दुकानों के लायसेंस स्वीकृत है। देशी मदिरा दुकान पंधाना, दीवाल एवं विदशी मदिरा दुकान पंधाना के लायसेंसी श्री राजकुमार जायसवाल, देशी मदिरा दुकान बरुड छीरवेल एवं छेगांवमाखन के लायसेंसी श्री जयप्रकाश सिंह, देशी मदिरा दुकान सिंगोट के लायसेंसी श्री लक्ष्मीनारायण पटेल एवं विदशी मदिरा दुकान छेगांवमाखन के लायसेंसी अंकित सेल्स, पार्टनर श्री प्रमोद पुरी है। उक्त ग्रामों में स्थित लायसेंसियों द्वारा स्वीकृत लायसेंस परिसर में शासकीय ड्यूटी पेड मदिरा का ही विक्रय किया जाता है।

2/ खण्डवा जिले के पंधाना विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक महोदय श्रीमति योगिता बोरकर द्वारा अवैध मदिरा की शिकायत की गई थी जिसकी जांच कराई जाकर कार्यवाही की गई। उल्लेखित क्षेत्र में जहरीली शराब का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया। सिविल सर्जन खण्डवा से प्राप्त जानकारी अनुसार क्षेत्र में जहरीली शराब से किसी की मृत्यु नहीं हुई है। जिले के स्टाफ द्वारा लगातार क्षेत्र में सघन गश्त एवं अवैध मदिरा विक्रेताओं के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। दिनांक 01.04.2014 से 30.11.2014 तक उक्त क्षेत्र में कुल 435 प्रकरण म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 35 के तहत पंजीबद्ध किया जाकर कुल 103 बल्क लीटर देशी एवं विदेशी मदिरा, 1295 बल्क लीटर, कच्ची शराब, 6690 किलोग्राम महुआ लाहन जप्त किया गया।

3/ इस प्रकार पुलिस विभाग खण्डवा द्वारा छेगांवमाखन, पंधाना एवं पिपलोद में कुल 20 प्रकरण म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 के अन्तर्गत पंजीबद्ध किये गये।

4/ खण्डवा जिले में 64 देशी मदिरा तथा 14 विदेशी मदिरा दुकान है। दिनांक 01.04.2014 से नवम्बर 2014 तक देशी मदिरा 13,91,899.5 प्रुफ लीटर, विदेशी मदिरा 4,12,958.4 प्रुफ लीटर तथा 7,56,392.4 बल्क लीटर बीयर की खपत हुई है। जिससे शासन को रुपये 53,09,61,430/– की आय हुई है। खण्डवा में 01.04.2014 से नवम्बर 2014 तक देशी एवं विदेशी मदिरा के अवैध मदिरा के आबकारी विभाग द्वारा कुल 1300 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं, जिनमें से कुल 545 प्रुफ लीटर देशी एवं विदेशी मदिरा, 3433 बल्क लीटर कच्ची शराब एवं 27354 लीटर महुआ लाहन जप्त किया गया।

5/ उपर्युक्त ग्रामों मे एवं शेष खण्डवा जिले मे दिनांक 01.04.2014 से से 10.12. 2014 तक जहरीली शराब की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जहरीली शराब से किसी की मृत्यु नहीं हुई है। जहरीली शराब का कोई प्रकरण पंजीबद्ध नहीं हुआ है। अतः यह कहना सही नहीं है कि प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाने से जिले में शराब की अवैध बिक्री को लेकर जनता में तीव्र रोष एवं आक्रोष व्याप्त है।

श्रीमती योगिता बोरकर—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई है वह असत्य है. मेरे ही गांव कुसुम्या के कोटवार की शराब पीने से मृत्यु हुई है. मेरे ही गांव के 4 किलोमीटर दूर ग्राम नीमखेड़ा में मांगीलाल दादा के बेटे की मृत्यु हुई है. उसका खंडवा में ही उसका पोस्टमार्टम हुआ है अगर यह रिपोर्ट दी है तो सिविल सर्जन ने गलत रिपोर्ट दी है. मैं उपाध्यक्षजी से संरक्षण चाहूंगी कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाये जो मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं. मैं मंत्रीजी से निवेदन करुंगी कि दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हो. ठेकेदारों के लायसेंस निरस्त हो और भविष्य में मेरे विधानसभा क्षेत्र में शराब बिक्री नहीं होना सुनिश्चित किया जाये.

श्री जयन्त मलैया—उपाध्यक्ष महोदय, यह संभव नहीं है. मैं यहां पर निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस के पास कोई भी रिपोर्ट जहरीली शराब से मृत्यु की नहीं है और जो सिविल सर्जन का लेटर है उसमें लिखा है **विषय—**जहरीली मदिरा पीने से मृत्यु न होने विषयक. "**उपरोक्त विषय में अवगत कराया जाता है कि विगत दो वर्षों में जिला चिकित्सालय में जहरीली मदिरा पीने से कोई मरीज जिला अस्पताल में भर्ती नहीं हुआ है और न ही किसी मृत्यु हुई है.**

श्री कैलाश जाटव—माननीय मंत्रीजी, जहरीली शराब का विषय दूसरा है. यहां पर अवैध शराब पूरे क्षेत्र में बिक रही है. गांव-गांव में बिक रही है. उस पर प्रतिबंध होना चाहिए. पुलिस विभाग और आबकारी विभाग के अधिकारी मिलकर यह कार्य कर रहे हैं. इस पर रोक लगना चाहिए.

श्री योगेन्द्र निर्मल—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या जो बात कह रही है वह बिलकुल स्पष्ट है कि अवैध शराब पूरे जगह बिक रही है. (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी पंधाना विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय—आप सब बैठ जायें. आप सब लोग एक साथ बोलेंगे तो कैसे किसी चीज का निराकरण होगा.

श्री देवेन्द्र वर्मा—शराब के कारण कई लोगों की मृत्यु हुई है..(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय—आसंदी से यह व्यवस्था दी गई थी कि जिस माननीय सदस्य का ध्यानाकर्षण होगा, वह ही एक प्रश्न पूछेगा. (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य—इस बात की जांच होना चाहिए कि अवैध शराब गली-कूचों में बिक रही है या नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय—आप लोग बैठ जायें. जिस माननीय सदस्य का ध्यानाकर्षण है, उनकी बात पूरी होने दें.

श्रीमती शीला त्यागी—उपाध्यक्ष महोदय, यह सच है कि जितने भी माननीय सदस्यगण हैं उनके क्षेत्र में अवैध शराब बिक रही है.

उपाध्यक्ष महोदय—उसका असर सदन में दिख रहा है.

श्रीमती योगिता बोरकर—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मंत्री महोदय से आश्वासन चाहिए कि इस पर कड़ी कार्रवाई हो और शराब की अवैध बिक्री बंद हो.

श्री कैलाश जाटव—उपाध्यक्षजी, पूरे प्रदेश के लिए यह बात होना चाहिए. शराब गली-कूचों और रोड्स पर बिक रही है.

श्री जयन्त मलैया—उपाध्यक्ष महोदय, जो अवैध परिवहन होता है इस पर रोक लगना चाहिए. मैंने अपने उत्तर में यह निवेदन करने की भी कोशिश की कि जितने भी अवैध परिवहन हुए हैं उनसे देशी शराब, विदेशी शराब,बीयर और महुआ भी जब्त किया गया है. यह सतत चलने वाली कार्रवाई है. यह निरन्तर जारी रहेगी. (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र वर्मा – माननीय उपाध्यक्ष महोदय यह पंधाना विधान सभा क्षेत्र का खण्डवा का मामला है....(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय – आप सभी माननीय एक साथ बोलेंगे तो कैसे किसी चीज का निराकरण होगा. आसंदी से यह व्यवस्था दी गई थी कि जिस माननीय सदस्य का ध्यानाकर्षण होगा वह ही एक प्रश्न पूछेगा....(व्यवस्था) – आप लोग बैठ जायें...(व्यवधान)

श्री वैल सिंह भूरिया – मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है..(व्यवधआन)—

उपाध्यक्ष महोदय – जिस माननीय सदस्य का ध्यानाकर्षण है उनकी बात पूरी होने दें.

श्रीमती योगिता नवल सिंह बोरकर – माननीय उपाध्यक्ष महोदय मुझे माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहिए कि इस पर कड़ी कार्यवाही हो और अवैध बिक्री बंद हो...(व्यवधान)—

श्री योगेन्द्र सिंह निर्मल – उपाध्यक्ष महोदय पूरे प्रदेश के लिए यह बात होना चाहिए. गली कूचों में बिक रही है अवैध शराब रोड़ों पर बिक रही है शराब...(व्यवधान)..

श्री जयंत मलैया – उपाध्यक्ष महोदय यह सही है कि जो अवैध परिवहन होता है इस पर रोक लगना चाहिए मैंने अपने उत्तर में यहनिवेदन करने की कोशिश की कि जितने भी अवैध परिवहन हुए हैं उनसे देशी शराब विदेशी शराब बीयर और महुआ भी जब्त किया गया है यह सतत् चलने वाली कार्यवाही है...(व्यवधान)...

श्री रामेश्वर शर्मा – उपाध्यक्ष महोदय यह गली गली में अवैध शराब बिक रही है इससे हमारे देश का भविष्य बर्बाद हो रहाहै. इसके बारे में कोई कठोर कार्यवाही करना चाहिए. (.....व्यवधान...)...

उपाध्यक्ष महोदय – मैं समझ सकता हूं शराब ऐसी चीज है जिससे इतनी उत्तेजना यहां पर हो रही है....(व्यवधान)..

श्री देवेन्द्र वर्मा – यह खण्डवा जिले से संबंधित है ...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय – आप सभी लोग बैठ जायें वैल सिंह जी को ध्यानाकर्षण पढ़ने दें.

श्री रामेश्वर शर्मा -- हम यहां र कोई हमारा व्यक्तिगत नहीं बोल रहे हैं...(व्यवधान)चौराहे चौराहे पर दुकान खोल दी गई हैं.. लोग मर रहे हैं आखिर कौन उसकी जवाबदारी लेगा... (व्यवधान)..

उपाध्यक्ष महोदय – रामेश्वर शर्मा जी आप बैठ जायें यह उचित नहीं है. कृपा करके बैठ जायें. आसंदी से पूर्व में व्यवस्था दी जा चुकी है कि एक प्रश्न पूछेंगे माननीय सदस्य ने .. रामेश्वर जी आप बैठ जायें यह व्यवहार गलत है. आपको प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं है. आप बैठ जायें.(श्री रामेश्वर शर्मा जी लगातार जोर जोर सेबोलते रहे...)...(व्यवधान...)..सदन की कार्यवाही चलने दें सभी लोग बैठ जायें.....(व्यवधान)... यह शराब के विषय पर आप मंत्री जी से अलग से चर्चा कर लें शाम को...(व्यवधान)...

श्री अजय सिंह – माननीय शर्मा जी कहरहे हैं कि बहुत नौजवान बिगड़ रहे हैं मंत्री जी हिम्मत करके कह दें कि शिवराज सिंह जी की सरकार है(XX)..(व्यवधान)..

श्री विश्वास सारंग -- उपाध्यक्ष महोदय यह बहुत आपत्तिजनक है बहुत गंभीर विषय है. उसको राजनीतिक रंग देने का नजरिया यह समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा जो भी अजय सिंह जी ने कहा है उसको विलोपित करावें..(व्यवधान).....

(व्यवधान)..

श्री विश्वास सारंग - उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि श्री अजय सिंह जी ने जो बोला है वह आप विलोपित कराइए.

श्री रणजीत सिंह गुणवान - उपाध्यक्ष महोदय, यह कांग्रेस की सरकार ने विदेशी शराब लाई है और ऐसी शराब लाए हैं जो मालूम ही नहीं पड़ती है कि वह शराब है कि जहर है. (व्यवधान)..

उपाध्यक्ष महोदय - विश्वास जी, अब आप बैठ जाएं.

श्री विश्वास सारंग - उपाध्यक्ष महोदय, वह विलोपित होना चाहिए.

उपाध्यक्ष महोदय - देखिए, आधे वाक्य में तो कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए कि सरकार शिवराज सिंह जी की है. बाकी का हिस्सा विलोपित है.

(व्यवधान)...

श्री के.पी. सिंह - श्री रामेश्वर शर्मा जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर वास्तव में आप इसकी बात कर रहे हैं. (व्यवधान)..

श्री विश्वास सारंग - उपाध्यक्ष जी, यहां पर सदन में कोई भी सदस्य यदि बोल रहा है उसको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बात करना चाहिए. कांग्रेस के सदस्य हर समय विषय का विषयांतर करते हैं.

उपाध्यक्ष महोदय - देखिए, यह भाषण का वक्त नहीं है. विश्वास जी आपकी बात आ गई है, आप बैठ जाइए. आप सहयोग करिए. यह गलत बात है.

श्री के.पी. सिंह - माननीय श्री रामेश्वर शर्मा जी, जिस जोर-शोर से आप बात कर रहे थे, यह सरकारी पॉलिसी के तहत ही सब चलता है. अगर आप ईमानदारी से चाहते हैं तो मैं भाजपा के लोग और श्री विश्वास सारंग जी आपसे कहना चाहता हूं कि इसकी शुरुआत मध्यप्रदेश के मुख्यालय भोपाल से करिए . हम आपके साथ धरने पर बैठेंगे.

(व्यवधान)..

श्री विश्वास सारंग - आप भी सरकार में थे. (व्यवधान)..

उपाध्यक्ष महोदय - श्री के.पी. सिंह जी, आपकी बात आ गई. आप बैठ जाएं. अगला ध्यान आकर्षण श्री वेल सिंह भूरिया जी. आप अपना ध्यान आकर्षण पढ़े. (व्यवधान)..

श्री विश्वास सारंग - आपने कौन-सी पहल की?

(व्यवधान).

उपाध्यक्ष महोदय - इस शराब के विषय में इतने माननीय सदस्य रुचि क्यों ले रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं?

श्री रामनिवास रावत - (व्यवधान)..इससे प्रदेश में व्यवस्था खराब हो रही है.

उपाध्यक्ष महोदय - श्री रामनिवास रावत जी बैठ जाएं (व्यवधान)..श्री रामेश्वर जी आपकी पूरी बात आ गई. श्री के.पी. सिंह जी बात आ गई. सबकी बातें आ गई हैं.

श्रीमती योगिता बोरकर - उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं मिला है. यदि इस लोकतंत्र के मंदिर में हमारी समस्याएं हल नहीं होंगी तो वह हम किसके सामने रखेंगे? मेरे प्रश्न का जवाब यहां पर नहीं मिला है. जनता की बात इस लोकतंत्र के मंदिर में भी पूरी नहीं होगी तो यह हम कहां पर रखेंगे? वह जो सिविल सर्जन ने रिपोर्ट दी, वह भी गलत है. उस पर कार्यवाही की जाय और अवैध शराब की मेरे क्षेत्र में अवैध बिक्री बंद हो, क्योंकि मेरे पास इतनी महिलाओं के पत्र रखें हैं.

उपाध्यक्ष महोदय - आप तो भाषण दे रही हैं. इसमें प्रश्न नहीं है. अब आप बैठ जाइए.

एक माननीय सदस्य - उपाध्यक्ष महोदय, वह भाषण नहीं है, वह कार्यवाही चाहती हैं. अवैध शराब नहीं बिकना चाहिए, वह सिर्फ इतना चाह रही हैं.

श्री सुन्दरलाल तिवारी - उपाध्यक्ष महोदय, यह पूरे प्रदेश का मामला है. गांव-गांव में 10-10, 20-20 दुकानें अवैध शराब की खुली हुई हैं. (व्यवधान)..

उपाध्यक्ष महोदय - आप बैठ जाएं. कृपा करके सहयोग करें. बजट में विभाग की मांगों में यह बात रखिएगा. या इस विषय पर चर्चा के लिए अलग से सूचना दीजिए. श्री वेल सिंह जी..

(4) धार जिले में सड़क निर्माण में अनियमितता होना

श्री वेल सिंह भूरिया (सरदारपुर) - उपाध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यान आकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है -

धार जिले के राजगढ़ नगर से बाग तक एवं मांगौद से मनावर तक सड़क निर्माण का कार्य मध्य प्रदेश सड़क विकास कार्पोरेशन के माध्यम से करवाया जा रहा है। उक्त कार्य स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार नहीं हो रहा है तथा कार्य की गुणवत्ता अत्यंत निम्न स्तर की है। स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार सड़क मार्ग में पड़ने वाले ग्रामों में आर.सी.सी. की सड़क मय नालियों के बनाया जाना प्रावधानित है, परन्तु मध्य प्रदेश सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा मार्ग में पड़ने वाले ग्रामों में आर.सी.सी. की सड़क व नालियों का निर्माण नहीं करवाया जा रहा है जिससे क्षेत्र की जनता में आक्रोश व्याप्त है।

श्री सरताज सिंह- उपध्यक्ष महोदय,

ए.डी.बी. वित्त पोषित परियोजना एम.पी.एस.आर.पी.–III अन्तर्गत म.प्र. सड़क विकास निगम द्वारा धार जिले के सरदारपुर राजगढ–बाग लम्बाई 50.43 किलोमीटर एवं मनावर से मांगोद लम्बाई 49.63 किलोमीटर मार्ग का निर्माण किया जा रहा है दोनो सड़कों का निर्माण कार्य (दो लेन) लागत रू. 178.9 करोड़ से कराया जा रहा है।

अंतराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त गुणवत्ता नियंत्रक सलाहकार मेसर्स आई.सी.टी., नई दिल्ली के तकनीकी देखरेख में मार्गो का निर्माण कार्य संपादित कराया जा रहा है। मार्ग का निर्माण कार्य स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप ही कराया जा रहा है। कार्य की गुणवत्ता मानक स्तर की है एवं गुणवत्ता की सतत् जांच की जा रही है।

स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार मार्गो मे पड़ने वाले ग्रामों में सीमेंट क्रांकीट की सड़क मय नालियों के बनायी जा रही है। यह कहना सही नही है कि म.प्र. सड़क विकास निगम द्वारा मार्ग निर्माण में पड़ने वाले ग्रामों मे सीमेंट क्रांकीट व नालियों का कार्य नही किया जा रहा है। मार्ग निर्माण होने से आम जनता में कोई आक्रोश व्याप्त नही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर अनुमति दें तो मैं बताना चाहूंगि कि आरोप लगाया गया है कि नालियां और सी.सी.रोड़ नहीं बनाया जा रहा है. मैं उन गांवों के नाम गिना सकता हूं जहां पर सी.सी.रोड़ और नालियों का काम हो रहा है.

राजगढ़ शहरी क्षेत्र 600 मीटर, इसमें सीमेन्ट कांक्रीट में नाली बनाई जा रही है. रिंगोद 360 मीटर, काण्डला 850 मीटर, बाग बाईपास 1070 मीटर, मनावर शहर 520 मीटर, अवालदा -410 मीटर. दीरावार्ड 420 मीटर, अमझेरा 190 मीटर और राजपुरा 480 मीटर,इसमें नाली का निर्माण हो रहा है.

श्री वैलसिंह भूरिया- उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं हूं. मेरे घर के सामने से रोड़ निकल रही है और मनावर वाली, माननीय विधायक रंजनाजी बघेल के क्षेत्र से भी निकल रही है दोनों रोड़. लेकिन उपाध्यक्ष महोदय,मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वह घुमा फिरा कर दिया है, वह गोलमोल है. बिलकुल असत्य है. भोपाल से एक कमेटी गठित करके इसकी जांच करा ली जाय. दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा. मंत्री जी को विभागीय अधिकारी गुमराह कर रहे हैं. उन्होंने ऐसा गड्डा साईड में बना कर रखा है और निम्नस्तर का कार्य किया जा रहा है. मेरी खुद की गाड़ी जिसको मैं रात में चला कर जा रहा था तो वह गड्ढे में गिर गयी थी, मैं बाल बाल बचा. उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि राजगढ़ से बाग तक और मांगोद मनावर से बाग तक एक भी गांव में अभी तक नाली निर्माण का कार्य चालू नहीं किया है और रिंगोद में 100 मीटर का बताया है , वह 600 मीटर से अधिक लम्बा चौड़ा गांव है ,वहां दोनों तरफ नाली बनना है. वहां पर एक भी नाली का निर्माण चालू नहीं हुआ है और यह बिलकुल घटिया स्तर का काम चल रहा है. मैं मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं हूं. मंत्री जी चाहें तो एक प्रदेश स्तर से उच्च स्तरीय कमेटी बना कर जांच करा लें. क्योंकि यह आदिवासियों के हित का मामला है, आदिवासी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. उपाध्यक्ष महोदय, उस रोड़ का ठेका होकर तीन से चार साल हो गए हैं. एक कंपनी भाग गई, दूसरी कंपनी भाग गई और ये तीसरी कंपनी आ गई, यह भी घटिया किस्म का कार्य करके लीपा पोती करके समय सीमा में भागना चाहती है.

उपाध्यक्ष महोदय—आपका प्रश्न आ गया है, मंत्री जी जवाब देंगे.

श्री सरताज सिंह – माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निर्माण कार्य चल रहा है और जहां-जहां सी.सी. रोड़ बनाई जानी है, नाली बनाई जानी है, उन सब गांवों के नाम मैंने बता दिए हैं, लंबाई भी मैंने बता दी है.

उपाध्यक्ष महोदय – प्रश्न इस बात का है कि इनका गांव आता है कि नहीं ?

श्री सरताज सिंह – इन्होंने रिगनोद का बताया. रिगनोद में 360 मीटर की बनेगी. ये जानकारी मैं दे चुका हूँ.

उपाध्यक्ष महोदय – माननीय सदस्य, आपको माननीय मंत्री जी सारी जानकारी दे देंगे. आप अलग से भी चर्चा कर लीजिए.

श्री वैलसिंह भूरिया – माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूँ कि प्रदेश से एक उच्चस्तरीय कमेटी बनाकर इसकी जांच कराई जाए. दोनों सड़कों की गुणवत्ता की जांच की जाए. दोनों सड़कों की लीपापोती की जा रही है. जो पुरानी पुलिया बनी हुई है, उसकी लीपापोती की जा रही है.

उपाध्यक्ष महोदय – आपकी बात आ गई है, अब आप बैठ जाएं.

श्री वैल सिंह भूरिया – माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार भी मैंने ध्यानाकर्षण लगाया था, राजोद में भी दोनों तरफ नालियां बनाने का आदेश था, लेकिन दोनों तरफ नालियां नहीं बनाई गई हैं, इसकी जांच होनी चाहिए.

उपाध्यक्ष महोदय – आपने अपनी बात कह दी है, अब आप बैठ जाएं. माननीय मंत्री जी, क्या जांच कराएंगे ?

श्री सरताज सिंह – उपाध्यक्ष महोदय, इसकी जांच करवा ली जाएगी और माननीय विधायक जी भी जांच के समय उपस्थित रहें तो ज्यादा उचित होगा.

उपाध्यक्ष महोदय – आपका जवाब आ गया है. माननीय मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि जांच होगी.

श्री वैल सिंह भूरिया – माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो जांच की कमेटी बनाई जाएगी, उसमें मैं भी रहूं और क्षेत्र के एक-दो व्यक्ति भी उपस्थित रहें तो बेहतर होगा ताकि असलियत का पता लगाया जा सके.

श्री सरताज सिंह – जांच का समय और तारीख की सूचना आपको दे देंगे.

उपाध्यक्ष महोदय – आपको सूचना दे दी जाएगी, आप शामिल हो जाइयेगा.

श्री वैल सिंह भूरिया – माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सवाल और है कि मांगौद से मनावर रोड़ और राजगढ़ नगर से बागरोड़ के प्लान इस्टीमेट की जानकारी से अवगत होना चाहेंगे.

श्री सरताज सिंह – उपाध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण में जिन दों सड़कों का उल्लेख किया गया है, उनके बारे में विस्तार से जानकारी दी जा चुकी है.

उपाध्यक्ष महोदय – माननीय मंत्री जी ने जानकारी दे दी है. आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आप मिलकर उनके कक्ष से जानकारी ले लीजिएगा.

12.48 बजे

प्रतिवेदनों की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

(1) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन

श्री रामलाल रौतेल (अनुपपूर) – माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ.

प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

शुक्रवार, दिनांक 12 दिसम्बर, 2014 को चर्चा के लिये आने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित समय अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिए निर्धारित करने की सिफारिश की है:-

1. डॉ. गोविन्द सिंह 50 मिनट

2. श्री के.पी. सिंह 50 मिनट

3. श्री यशपाल सिंह सिसोदिया 50 मिनट

श्री रामलाल रौतेल – उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन से सहमत है.

उपाध्यक्ष महोदय – प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

प्रश्न यह है कि सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन से सहमत है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(2) याचिका समिति का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदन

डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (सभापति) – माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनता के द्वारा अपनी क्षेत्रीय जनआवश्यकताओं की पूर्ति और समस्याओं के निराकरण के लिए माननीय सदस्यों के द्वारा सदन में याचिकाएं प्रस्तुत की जाती हैं. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, याचिका समिति ने पूरी गंभीरता और सक्रियता के साथ में कार्य किया है और मैं याचिका समिति का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ.

12.49 बजे

याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) रीवा जिले के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्य

श्रीमती नीलम अभय मिश्रा (सेमरिया) – उपाध्यक्ष महोदय, मैं रीवा जिले के सेमरिया क्षेत्र के --

(क) ग्राम झिरिया के पूर्व माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(ख) ग्राम चचाई के पूर्व माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(ग) ग्राम कटकी के माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने तथा

(घ) ग्राम दादर के माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने के

संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करती हूँ.

(2) मंदसौर जिले के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्य

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया (मंदसौर) – उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंदसौर शहर के --

(क) मुख्य सड़क पर प्रकार व्यवस्था किये जाने,

(ख) वार्ड क्र. 32 में ट्यूबवेल खनन किये जाने,

(ग) वार्ड क्र. 26 में चार भुजा मंदिर के पास 4 विद्युत पोल (एल टी) हटाये

जाने,

(घ) वार्ड क्र. 23 में ट्यूबवेल खनन किये जाने तथा

(ड.) नन्दावता में स्टाप डेम का निर्माण किये जाने के

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करता हूँ.

12.50 बजे **शासकीय विधि विषयक कार्य**

(1) मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना(संशोधन)विधेयक,2014

श्रम मंत्री(श्री अंतरसिंह आर्य)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना(संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाए.

उपाध्यक्ष महोदय—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना(संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाए.

श्री बाला बच्चन(राजपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को और ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकता था या प्रभावी बनाया जाना चाहिए था. मैं यह बताना चाहता हूँ, धारा 6 का संशोधन,उसमें मैं उल्लेख करना चाहता हूँ- धारा 6 की उपधारा 3 में विहित काल अवधि के भीतर निरीक्षक द्वारा पंजीयन न करने पर, अभी सिर्फ इतना किया है कि निरीक्षक द्वारा कोई विपरीत आदेश पारित नहीं किया जाता हैं तो सम्यक रुप से पंजीयन कर दिया समझा जाएगा, यह लिखा है. इसकी जगह इसमें संशोधन यह भी होना चाहिए कि धारा 6 की उपधारा 3 में विहित काल अवधि के भीतर निरीक्षक द्वारा द्वारा पंजीयन न करने पर उसे दण्डित करने का भी प्रावधान किया जाना चाहिए. ऐसे ही धारा 33 इसमें आग तथा परिसंकटों से बचाव के लिए पूर्वोपाय, इसमें मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान धारा 33 में हुई गलती की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ, पूर्व की धारा 33 के अनुसार ही नयी धारा में भी आपने अभी उल्लेख किया है, उसमें संशोधन करने की बात यह है कि प्रत्येक स्थापना में आग से बचाव के लिए ऐसे पूर्वोपाय छप गया है, केवल पूर्वोपाय छपा है तो पूर्वोपाय में तो आग का ही उल्लेख था, इसमें संशोधन करने की जो बात हो,मैं आपको बताना चाहता हूँ जब कि इसके स्थान पर प्रत्येक स्थापना में आग तथा परिसंकट से बचाव

छपना था. यह इसमें संशोधन करने की बात है. ऐसे ही धारा 53 का स्थापन के बारे में जो आपने उल्लेख किया है, उसके बारे में भी मैं मंत्री जी का आकर्षित कराना चाहता हूँ कि अपराध का समझौता, आपने केवल ये इसमें उल्लेख किया है, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धारा 53 में समझौते के प्रावधान की समस्या एवं जवाबदेही भी तय होनी चाहिए, जवाबदेही भी जुड़ना चाहिए और समझौते की समय सीमा भी होना चाहिए. दूसरा अधिकारियों के विवेक पर छोड़ने की जो बात आपने की है इससे निश्चित ही अगर हम किसी समझौते को अधिकारियों के विवेक पर ही छोड़ेंगे तो जरुर ही हमारे विधेयक का, हमारे कानून का दुरुपयोग होने के चान्सेस रहेंगे तो माननीय मंत्री जी ये मेरे सुझाव थे और इससे संबंधित मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि दुकानों तथा स्थापनाओं में कार्यरत महिलाओं के हितों का ध्यान भी अगर आप रखते, आपने वह ध्यान नहीं रखा और इससे संबंधित भी अगर प्रावधान करते तो निश्चित ही आपका यह विधेयक और ज्यादा प्रासंगिक होता, इतने मेरे सुझाव है.धन्यवाद.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया(मंदसौर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्रम मंत्री जी को इस बात की बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (संशोधन) विधेयक जो वह लाये हैं वह स्वागत योग्य है. धारा 6 की उपधारा(3) में स्थापना पंजीयन को लेकर के जो उपबंध किये गये थे,पंजीयन को लेकर कोई समयसीमा सुनिश्चित नहीं थी, सीमा विहित नहीं है . अनिश्चतकाल के लिए प्रकरण लंबित रहते थे और लंबित होने के कारण से दुकान और संस्थान वालों को बड़ी परेशानी होती थी . इस संशोधन के माध्यम से पंजीयन की प्रक्रिया में पारदर्शिता सामने आई है. लंबित प्रकरणों को स्थाई रूप से निपटारा करने की इसमें जो कालावधि सुनिश्चित की गई है वह भी स्वाग्त योग्य है. उपाध्यक्ष महोदय, धारा 33 में कर्मचारी हितों को देखते हुए स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को इसमें स्थापित किया गया है ,यह भी एक उचित निर्णय है. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी दुकान,संस्थाएं जिसमें 10 से कम कर्मचारी नियोजन का कार्य

करते थे , उसको श्रमायुक्त के पास अथवा अन्य प्राधिकृत अधिकारी के पास पूर्व अनुमति के बिना वह निरीक्षण नहीं करा पाता था आज इस संशोधन के माध्यम से इसमें जो संशोधन आया है वह स्वागत योग्य है और त्वरित निपटारा इस संशोधन से सुनिश्चित होगा.जो शासकीय मशीनरी तथा नियोजक का बहुमूल्य समय खपता था, न्यायालयों में भी प्रकरण लंबित हुआ करते थे, अब उन न्यायालयों में अभियोजन प्रकरण लंबित नहीं होंगे और जो प्रकियाएं जटिल हुआ करती थी और बहुत-सी पंजियाँ रखना पड़ती थी उस जटिलता में भी इससे लाभ होगा. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धारा 54 में प्राधिकारों के शोषण से बचने के लिए जो संशोधन आया है और विशेषकर पर्यावरण हितैषी उपबंध इस विधेयक में सम्मिलित किये गये हैं. मैं समझता हूं कि यह जो अधिनियम में संशोधन आया है इसको सर्वानुमति से स्वीकार करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है मैं मंत्री जी को पुनः बधाई देता हूं.

श्री रामनिवास रावत(विजयपुर)-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (संशोधन) विधेयक 2014 प्रस्तुत किया गया है, निश्चित रूप से जो वह संशोधन लाये हैं. धारा 2 का जो संशोधन है वह काफी महत्वपूर्ण है लेकिन इसमें जो समयसीमा है, उसका उल्लेख नहीं किया गया है. इसमें आपने विहित कालावधि डाल दिया है, फिर सरकार अलग-से नियम बनाएगी, फिर उसमें कालावधि डालेगी. अगर आप इसी अधिनियम में व्यवस्था कर देते कि आवेदन प्राप्त होने के बाद एक माह या दो माह के भीतर वह निराकरण नहीं करता है तो वह स्वतः पंजीयत हुआ माना जाएगा. अब विहित कालावधि का आशय क्या है, इन्हीं चीजों का दुरुपयोग होता है. कानून तो सब प्रकार के बने हैं लेकिन दुरुपयोग इन्हीं चीजों को डालकर के होता है इसलिए दुरुपयोग से बचने के लिए मैं मंत्री को सुझाव दूंगा कि इस पर विचार कर लें अधिकारियों से भी चर्चा कर लें कि विहित कालावधि की जगह आप समय सीमा डाल दे 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन, तो निश्चित रूप से इसका दुरुपयोग नहीं होगा या तो उसको निराकरण करना पड़ेगा या पंजीयत हुआ माना जायेगा.या अगर आपका पहले से ही नियम बना हुआ है अलग से

समयावधि हो तो आप वह बता दें. मैं समझता हूं कि अभी संशोधन किया है तो समयावधि तो होगी नहीं. तो वह अलग से आप नियम बनाओगे तो बजाय नियम बनाने के वह इसी में डाल देते. इस चीज पर जरा गौर कर लें. बाकी यह ठीक है कि अनुज्ञा के बिना नहीं जा पाएगा. धारा 32 सुरक्षा से संबंधित है और इसमें आपने स्वास्थ्य को भी जोड़ा है यह निश्चित रूप से अच्छी बात है और बाकी आपके सब संशोधन ठीक हैं. यह समझौते वाला जो संशोधन है इसमें आप दिशा निर्देश ठीक से दें कि जो समझौता करने जा रहा है उसका भी शोषण न हो, अधिकारी उसका शोषण न करें इसमें आप दिशा तय कर दें तो समझौतों से भी प्रकरणों का जल्दी निपटारा होगा. आपने कहा है कि अभियोजन के बाद समझौते से अपराधी दोषमुक्त हो जाएगा . लेकिन यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ एक बार अभियोजन किया , दो बार किया, तीन बार किया और समझौते में हमेशा मुक्त रहेगा. कम से कम यह व्यवस्था बना दें कि अगर किसी दुकान वाले के खिलाफ ,किसी गोदाम वाले के खिलाफ, किसी मॉल वाले के खिलाफ दो से अधिक बार या तीन से अधिक बार अभियोजन संस्थित होता है तो उसे समझौते के बाद भी अपराधी माना जाएगा और उस पर विशेष नजर रखी जाएगी. नहीं तो वह फिर बार-बार समझौता करता रहेगा, अपराध करता रहेगा और दोषमुक्त भी होता रहेगा तो इसकी व्यवस्था करें. आपने अच्छा किया है लेकिन वह आदतन न बने.

उपाध्यक्ष महोदय--- विधेयक पर चर्चा जारी रहेगी. सदन की कार्यवाही अपराह्न 2.30 बजे तक स्थगित.

(1.00 बजे से 2.30 बजे तक अंतराल)

2.35 बजे विधान सभा पुनः समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (डॉ.सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए}

अध्यक्ष महोदय-- श्री अन्तर सिंह जी आर्य बोलिए.

श्रम मंत्री (श्री अन्तर सिंह आर्य)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2014 के ऊपर माननीय हमारे प्रतिपक्ष के नेता, हम तो यही मानेंगे प्रतिपक्ष के नेता माननीय बाला भाई ने भी कुछ अच्छे सुझाव दिए साथ में रामनिवास रावत जी ने भी कुछ सुझाव दिए हैं तथा हमारे सत्तापक्ष से यशपाल सिसोदिया जी ने भी इसके ऊपर चर्चा की. माननीय बाला भाई ने धारा 53 के बारे में जो बोला था, इसमें 50 प्रतिशत राशि देने पर ही प्रशमन होगा. अतः अधिकारियों का विवेकाधिकार नहीं है. यह मैं स्पष्ट करना चाहूँगा. दूसरा प्वाईंट था, धारा 6 को लोक सेवा गारंटी में लिया गया है और इसमें दंड का भी प्रावधान किया गया है. माननीय रामनिवास रावत जी ने धारा 53 के संबंध में जो बात कही है 2 वर्ष में केवल एक ही समझौता होगा माननीय रावत जी. दूसरा उनका सुझाव था धारा 6 में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत 30 दिन का समय निर्धारित है और एक महत्वपूर्ण धारा का जो संशोधन हम कर रहे हैं, धारा 41 का संशोधन 10 से कम कर्मचारी नियोजित स्थापना में निरीक्षक व्यक्तियों का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि पहले कई बार हमारे विभाग में भी शिकायत आती थी, जनप्रतिनिधि के पास भी शिकायत आती थी कि कुछ इंस्पेक्टर लोग, जहाँ 10 से कम कर्मचारी नियोजित हैं उसमें जाकर वे निरीक्षण करते थे. जिससे नियोजकों को भी बहुत परेशानी उठाना पड़ती थी. अब हमने यह निर्णय किया कि वहाँ पर इंस्पेक्टर निरीक्षण नहीं करेंगे. हमारे कमिश्नर की अनुमति के बिना ये लोग वहाँ पर निरीक्षण नहीं कर सकेंगे आदि. इस प्रकार से 5 धाराओं का संशोधन है और एक नई धारा इसमें स्थापित की जा रही है.

अध्यक्ष महोदय-- प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा.

प्रश्न यह है कि खंड 2 से 8 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 2 से 8 इस विधेयक का अंग बना.

प्रश्न यह है कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री अन्तर सिंह आर्य-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाए.

अध्यक्ष महोदय-- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाए.

प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 30 सन् 2014).

परिवहन मंत्री(श्री भूपेन्द्र सिंह)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाए.

अध्यक्ष महोदय-- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाए.

श्री रामनिवास रावत (विजयपुर)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी द्वारा मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2014 प्रस्तुत किया गया है. माननीय मंत्रीजी ने संक्षेपिका में लिखा है कि वर्ष 2013 में भारत सरकार की परिवहन विकास परिषद की 45 वीं बैठक के अनुरूप विधेयक को प्रस्तावित किया गया है. मैं माननीय मंत्रीजी से एक बात स्पष्टत: जानना चाहता हूँ क्या इस परिषद् में यह निर्णय हुआ था कि देश के सभी प्रदेशों में एक जैसा कर हो अगर ऐसा हुआ है कि देश के सभी प्रदेशों में एकरुपता का कर लगाया गया है तब तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है ऐसा नहीं है तो आपत्तियां ही आपत्तियां हैं. एक तरफ आपने कर निर्धारण में कर को काफी मात्रा में बढ़ाने का प्रयास किया है कुछ चीजों पर कम भी किया है. जो अनुसूची दी गई है प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची तीनों अनुसूचियों का स्थापन किया गया है और जो पूर्ववर्ती अनुसूची हैं उनके स्थान पर नवीन अनुसूची स्थापित की गई हैं.

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रथम अनुसूची में मोटर साइकल पर मोटरयानों की करों की दर 90 रुपये प्रति तिमाही किया है जो पूर्व में 18 रुपये प्रति तिमाही थी. इतना कर एक साथ बढ़ाना, पांच गुना बढ़ाना मैं समझता हूँ यह कतई उचित नहीं है इस पर पुनर्विचार करें कम के कम पांच गुना कर न बढ़ायें. मानते हैं कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति खोखली हो गई है, खस्ता है और आप कर राजस्व में वृद्धि के लिए करों का बोझ प्रदेश की जनता पर डाल रहे हैं. मोटर साइकल सामान्य से सामान्य व्यक्ति खरीद लेता है लेकिन आप जो करों को बढ़ा रहे हैं यह निश्चित रुप से औचित्यपूर्ण नहीं है इस पर पुनर्विचार करें.

इसी तरह से पूर्व की अनूसूची में भार के लदान रहित वजन के साथ था इसमें आपने बैठक क्षमता के अनुसार बता दिया है जिसमें 64 रुपये प्रति तिमाही था उसमें 90 रुपये प्रति सीट प्रति तिमाही कर दिया है. ऐसे मोटरयान जिनकी बैठक क्षमता 3+1 से अधिक नहीं है इन पर 90 रुपये

प्रति सीट प्रति तिमाही. अगर मैं इसका आशय समझ रहा हूँ तो 3+1 है तो 360 रुपये प्रति तिमाही हो जाएगा. इसके पूर्व भार से लदान रहित वजन 800 किलोग्राम से अधिक नहीं है 64 रुपये, एवं 800 किलोग्राम से अधिक किंतु 1600 किलोग्राम से अधिक नहीं है पर 94 रुपये इस तरह से बढ़ाया गया है. अशक्त यात्री गाड़ी विनिर्माताओं द्वारा बनाई गई इस पर भी 9 रुपये प्रति तिमाही आपने कर लगा दिया है कम से कम निशक्तों के लिए तो कर मुक्त होना चाहिए. इसी तरह से सभी बसों पर शहरी मार्गों पर, नगर सेवा सिटी बस के रुप में चलाने के लिए 90 रुपये प्रति तिमाही लगाया गया है जबकि इसके पूर्व में भार के हिसाब से आपने लगाया था. डीलक्स बसों व वातानुकूलित बसों पर आपने कर कम किया है.

इसी तरह से रजिस्ट्रेशन की स्थिति है. आप कर वसूली में क्यों पिछड़ रहे हैं आपके पास के राज्यों में जो रजिस्ट्रेशन की दर है वह बहुत कम है. मध्यप्रदेश में हम देखते हैं हरियाणा पास गाड़ियां बहुत घूम रही हैं इसका मुख्य कारण यह है कि वहां कर कम है वहां वे रजिस्ट्रेशन कराते हैं और रजिस्ट्रेशन के बाद गाड़ी यहां चलाते हैं. यह व्यवस्था जरुर है कि ऐसी गाड़ी तीन दिन से अधिक या जो समय सीमा निर्धारित है उससे अधिक यहां रहेगी तो हम उनसे कर वसूलेंगे लेकिन वसूल नहीं पाते हैं. इस तरह की हमारे और तुम्हारे पास भी बहुत सारी गाड़ियां हैं इसलिये यदि कर की दर को कम करेंगे तो अच्छा होगा. इसलिये इस की दर को आप कम करेंगे, तो अच्छा होगा और द्वितीय अनुसूची रजिस्ट्रेशन के संबंध में है, इसमें द्वितीय अनुसूची थी वाहन के कास्ट का दो प्रतिशत कोस्टक में पांच भी लिखा है, अब यह दो है या पांच हैं यह स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसको अब आप सीधे सात प्रतिशत कर रहे हैं। यह बहुत ज्यादा शुल्क आप बढ़ा रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसको कम करेंगे या अन्य राज्यों की तुलना में अन्य राज्यों से इनकी रजिस्ट्रेशन के शुल्कों को बुलवाकर उनके समान करेंगे तो मध्यप्रदेश में वाहन खरीदने वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन बाहर नहीं करायेंगे, यहीं रजिस्ट्रेशन होगा तो निश्चित रूप से आपके राजस्व में वृद्धि होगी, कर भले ही कम हो, लेकिन राजस्व कर वसूली में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय

मंत्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है मैं उसका विरोध करता हूं और में निवेदन करता हूं कि इस पर पुन: विचार किया जाए । इसमें आपने ट्रैक्टर को भी नहीं छोड़ा है ।

श्री भूपेन्द्र सिंह :- इस पर कर नहीं लगाया है।

श्री राम निवास रावत :- अच्छा इसको हटा दिया है इसके लिये धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा की इस कर निर्धारण के संबंध में जो विधेयक प्रस्तुत किया है उस पर पुन: विचार करें।

श्री रामेश्वर शर्मा(हुजूर):-माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्री आदरणीय भुपेन्द्र सिंह जी द्वारा जो विधेयक दिया गया है, उसके संबंध में कुछ निवेदन है , इस संबंध में आदरणीय रावत साहब ने भी कुछ मांगे उठायी है। मैं भी एक दो निवेदन इसलिये करना चाहता हूं ,वैसे तो परिवहन विभाग में शुरू से जनता की डिमाण्ड और उसके बीच में हमेशा संघर्ष रहा है , लेकिन विगत दिनों से हम देंखे तो मध्यप्रदेश में सरकार भी नान स्पाट चल रही है और परिवहन विभाग भी नान स्टाप जनता की सेवा कर रहा है। इसलिये इसकी एक सबसे बड़ी सुविधा यह है कि जब हम कहते हैं कि वातानुकूलित बस चलती है तो उनकी अधिक वृद्धि होती है और मंहगी है लेकिन देखने में यह उल्टा आता है कि अगर आप प्रायवेट बसों से या सरकार ने जो अनुबंधित बसें की हैं , उन बसों में जब आप वातानुलूति बसों से आप चलेंगे तो सस्ती उसमें आपको सस्ती बसों में चलने में अधिक सुविधा मिलेगी और आपको उसकी सुविधा सस्ती नहीं मिलेगी बल्कि आपके नानस्टाप मिलेगी जो सफर अगर तीन चार स्टापेज होते हैं, तो उसमें आधे या पौन घंटे का विलंब होता है उनके स्टापेज कम करके आपको कम समय में और कम लागत में आपको अधिकतम दूरी तय कराने का काम निश्चित रूप से हमारी हमारी सरकार और हमारे मंत्री जी ने किया है। उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं , मैंने बजट भाषण में कहा था कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र का भी सरकार लगातार ध्यान रख रही है। जैसे शहर में उसने बीआरटीएस बस को संचालित करने के लिये कहा है की शहर में बस सुविधा बढ़े नागरिकों की संख्या अधिक है तो ग्रामीण क्षेत्र में भी एक बहुत बढ़िया जो अतिमहत्वकांक्षी योजना है, मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन सेवा यह जो लाने की सरकार की मंशा है

तो मैं निश्चित रूप से चाहूंगा कि यह सदन क्योंकि 70 प्रतिशत जनता लगभग देहात में बसती है इसलिये इसकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को माननीय मंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं कि जहां पर एप्रोच नहीं थी जहां पर आवागमन की सुविधा नहीं थी, वहां पर आपने सुविधा पहुंचाने का काम किया है। लेकिन मैं मंत्री जी से एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि क्योंकि हम लोग जैसे मांग कर चरिये जैसे भोपाल है , इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन है इसमें एक परेशानी शायद तकनीकी रूप से से आ रही है की हमारे जो क्षेत्र हैं । मैं मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि हमारे क्षेत्र में शहरीकरण क्षेत्र ज्यादा हो गया है और ग्रामीण क्षेत्र कम रह गये हैं। ग्रामीण और क्षेत्र की जो नगरीय सीमाएं हैं उन सीमाओं में और ग्रामीण क्षेत्र की सीमाओं में मात्र 15 किलोमीटर की दूरी का अंतर रह गया है। जब माननीय मंत्री जी यहां पर जो ग्रामीण बस सुविधा संचालित करेंगे तो वहां पर मांर्ग उनके सुनिश्चित नहीं हो जायेंगे क्योंकि अधिकतर गांव की सुविधा खत्म गयी है और वहां पर पहले से बसे संचालित हैं तो कोई 2 किलोमीटर, पांच किलोमीटर और 10 किलोमीटर के लिये परमीट नहीं लिया जायेगा और इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूं कि शहरी क्षेत्र से लगे जो ग्रामीण मार्ग हैं , उनको मार्गों के रूप में अधिसूचित किया जाए और जिनकी अधिकतम दूरी 15 कि.मी. हों ऐसे गांव जो नगर निगम,नगर पालिका की सीमा से लगे हुए हों. उनको बीआरटीएस बस योजना के अंदर डाला जाए और उसको अधिसूचित किया जाए. मैं मेरे क्षेत्र का भी उदाहरण दे सकता हूं. मेरे क्षेत्र में कुछ गांव ऐसे हैं जैसे कोलार क्षेत्र में कालापानी एक गांव है जिसकी मात्र 7 कि.मी. की दूरी है पर वहां बस नहीं जाती. जब मैं पूछूंगा कि वहां ग्रामीण बस जाएगी तो वहां ग्रामीण बस भी नहीं जा सकती. ऐसे ही हमारा भैंसाखेड़ी क्षेत्र है कोलूखेड़ी उसके आगे नगरीय क्षेत्र आ गया. उससे जब हम फंदा जाएंगे जो भोपाल का ब्लाक केंद्र कहलाता है. वहां पर कोई आगे गांव नहीं है. वहां पर भी बस सुविधा नहीं हो सकती. शहरी क्षेत्र से अगर 10 कि.मी. दूर है तो उसको गांव का और शहर का दोनों का लाभ नहीं मिल पाएगा वह बीच में अधर में लटका रहेगा तो मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि ऐसे गांव जिनकी अधिकतम दूरी

15 कि.मी. है जो शहरी क्षेत्र से लगे हुए हैं उनको अधिसूचित किया जाए उनको उससे जोड़ा जाए. एक बात रावत जी ने उठाई मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने परमिट का बहुत सरलीकरण किया. साथ ही ड्राईविंग लाईसेंस का बहुत सरलीकरण किया लेकिन में दो पहिया वाहन के बारे में मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं. व्यक्तिगत तौर पर भी हमारी एक बार बात हुई है कि आजकल हम माननीय हाईकोर्ट या माननीय सुप्रीम कोर्ट के आधार पर हेलमेट चेकिंग का बड़ा तेज अभियान चलाते हैं और उस अभियान के तहत् जगह-जगह पुलिस चौकियां बन जाती हैं. पुलिस चेकिंग करती है और उस डर के कारण लोग हेलमेट खरीद लेते हैं. हेलमेट भी जगह-जगह बिकने लगते हैं और वह हेलमेट लोगों की सुरक्षा की जगह लोगों की मौत का कारण बनते हैं. यदि मंत्री जी चाहें तो जो कंपनियां दो पहिया वाहन बेच रहे हैं उनको अनिवार्य रूप से बढ़िया कंपनी का हेलमेट उसी के साथ देना अनिवार्य किया जाना चाहिये. यह मेरा नेक सुझाव है और यह देना चाहिये यह मेरी प्रार्थना है. इससे लोगों की सुरक्षा होगी. हेलमेट का उल्लेख भी होना चाहिये क्योंकि हम जल्दी में कोई भी आईएसआई मार्क लगा देते हैं उसके हेलमेट बिकने लगते हैं पता चला कि उसको हेड इंजुरी कैसे हुई तो पता चला कि हेलमेट टूटने के कारण हुई. हेलमेट टूटने के कारण मृत्यु हुई. अगर हम उसकी मौत को रोक सकते हैं तो हमारा एक बड़ा कर्तव्य होगा कि हमने नागरिक की सुविधा और सुरक्षा दोनों को ध्यान में रखा. इस दिशा में करेगें तो अच्छा रहेगा. मैं एक और प्रार्थना माननीय मंत्री भूपेन्द्र सिंह जी से करना चाहता हूं कि एक ओर बच्चों की पढ़ाई को लेकर पूरे परिजन परेशान रहते हैं उनके बस के दिन प्रति दिन किराये बढ़ते जाते हैं. वह कहते हैं कि परमिट शुल्क बढ़ गया. मैं चाहूंगा कि पूरा सदन माननीय श्री भूपेन्द्र सिंह जी को इस बात के लिये धन्यवाद दे कि जो आपने बसों को टैक्स फ्री कर दिया. जीरो परसेंट टैक्स पर ला दिया. एक रुपये कोई बड़ा टैक्स नहीं होता और प्रार्थना करूंगा कि आपने बच्चों की जान की सुरक्षा के लिये जो गैस किट से चलने वाली बसें या वैन संचालित होती थीं उस पर भी आपने बड़ी सख्ती से कार्यवाही की है और उसको भी सुरक्षित व्यवस्थित करने की दृष्टि से परिवहन विभाग ने अच्छा काम किया है

इसके लिये मैं आपको धन्यवाद दूंगा. क्योंकि आपने भारत के भविष्य को सुरक्षित किया है अर्थात देश और समाज को सुरक्षित किया है इसके लिये मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं. सबसे बड़ी घोषणा मध्यप्रदेश सरकार की यह है कि सरकार चाहती है कि आम आदमी की जनभागीदारी हो. सरकार चाहती है कि आम आदमी को न्याय मिले और आम आदमी को न्याय ही न मिले बल्कि अध्यक्ष महोदय, आम आदमी न्याय करे और इस दृष्टि से मध्यप्रदेश सरकार की एक उल्लेखनीय घोषणा है वह है चालक परिचालक बोर्ड का गठन करना. अर्थात् चालन परिचालक में से ही व्यक्तियों का चयन करके उनका एक बोर्ड बनाकर उनकी जो प्राथमिक समस्याएं हैं उसके समुचित निराकरण के लिये जो सोचा है यह बहुत बढ़िया व्यवस्था मध्यप्रदेश सरकार ने की है. हम समझते हैं कि टैक्सियों के कारण जगह-जगह कभी अपराधिक घटनाएं घटित होती हैं. हाल ही में एक घटना घटित हुई. पूरा देश चिंतित हुआ. टैक्सी में जो माताएं,बहनें,बुजुर्ग बैठें वह सुरक्षित रहें उनके साथ किसी प्रकार की लूटपाट न हो उनके साथ किसी प्रकार की आपराधिक घटना घटित न हो और उनका जीवन भी सुरक्षित रहे और उनका मान-सम्मान भी सुरक्षित रहे इस दिशा में भी आपने सुरक्षा की दृष्टि के लिये टैक्सी के लिये,कैब के लिये बहुत अच्छा प्रबंधन किया है.मैं इस बात के लिये आपको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो मैंने शहरी समस्या बताई है शहरी और ग्रामीण विकास के बीच का जो दर्द आपको बताया है उस पर आप अधिसूचित करके अधिकतम दूरी जो 15 किलोमीटर ग्रामीण की है उनको शहरी बस सुविधा में जुड़वाने का अगर आदेश करेंगे तो बहुत अच्छा होगा मैं एक बार फिर से आपको बधाई देता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो विधेयक रखा है उसको आप लोग सर्व-सम्मत्ति से स्वीकार करेंगे और यह मध्यप्रदेश के हित में भी होगा. पर एक बात जरूर है कि ट्रेक्टर के बारे में हम सबको विचार करना चाहिए. यहां पर अधिकतर बैठे हुए लोग सब किसान हैं मैं एक बात सदन के अंदर कहना चाहता हूं कि सभी लोग इस पर विचार करें और इस बारे में भविष्य में विचार करना कि 14 लाख की टाटा सफारी तीन भागों में कटकर 11 लाख, 13 लाख, 14 लाख रूपये के बीच में आ गई 9 लाख का ट्रेक्टर 4 भागों में कटकर 7 लाख, 8

लाख और 9 लाख से, 11 लाख रूपये तक पहुंच गया क्या बात है कि किसानों का जो सामान है. कृषि में उत्पादन करने वाला यंत्र है वह महंगा हो रहा है और लग्जरी चीजें सस्ती हो रही हैं एक बार इस पर विचार जरूर हो, जिससे किसानों का भला हो आपने समय दिया धन्यवाद.

श्री शैलेन्द्र जैन (सागर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय परिवहन मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक 2014 का मैं समर्थन करता हूं. आपके माध्यम से मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इसके माध्यम से उन्होंने लाईफ टाईम टेक्स की जो परिधि थी, उस परिधि में ट्रक्स को भी लेकर के आए हैं मैं समझता हूं कि बस को छोड़कर के शायद ही ऐसा कोई वाहन होगा जो लाईफ टाईम टेक्स की परिधि में नहीं आता है इससे निश्चित रूप से न केवल राजस्व की प्राप्ति करने में आसानी होगी, बल्कि शासन को भी लाभ होगा, वरन् जो इनका संचालन करने वाले लोग हैं उनको भी निश्चित रूप से सुविधा होगी. अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि मैं इसका उल्लेख करना चाहता हूं कि सागर की कनेक्टिविटी ट्रेन के साथ उतनी बेहतर नहीं है हालांकि पूर्ववर्ती वर्षों में काफी कुछ सुविधाओं का विस्तार हुआ है, लेकिन आज भी आवश्यकताओं और परिवहन व उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए जो सुविधाएं हैं वह कम हैं. परिवहन मंत्री जी के द्वारा सागर से इन्दौर, भोपाल, जबलपुर, छिन्दवाड़ा के लिए यह जो नॉन स्टाप बसों की सुविधाएं की हैं, यह स्वागत योग्य है. मैं इन लाईनों के साथ इनको बधाई देना चाहता हूं कि—

"हे वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है.
कुछ चलते हैं पदचिन्हों पर, कोई पदचिन्ह बनाता है".

अध्यक्ष महोदय, बच्चों के लिये स्कूली बसों के लिये जो कार्य किया है उससे निश्चित रूप से शिक्षा जगत के लिये एक खुशखबरी है मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारे निशक्तजन हैं उनके उपयोग में आने वाले वाहन हैं, उन वाहनों को भी अगर कर मुक्त किया जाएगा

तो यह एक साहसिक कदम होगा. इसके साथ में जो हमारी एम्बूलेंस हैं जो चिकित्सा के क्षेत्र में काम आने वाली हैं, जो हमारे शव वाहन हैं ऐसे तमाम जनपयोगी वाहनों को भी अगर आप कर मुक्त की श्रेणी में लेकर के आएंगे तो बहुत अच्छा काम होगा. ग्लोबल वार्मिंग के बारे में चिन्ता बहुत ही प्रशंसनीय है इसके हेतु उन्होंने जितने ईको फ्रेंडली वाहन हैं जैसे कि सीएनजी बस, बेट्री से चलने वाले, एल.पी.जी से चलने वाले वाहन हैं उन वाहनों पर जो प्रचलित कर था उस कर में 2 प्रतिशत की कमी की है, यह एक साहसिक कदम है इससे ग्लोबल वार्मिंग बहुत कम होगी यह एक अच्छा निर्णय उन्होंने लिया है उनको भी बधाई देना चाहता हूं. एक बात और कहना चाहता हूं कि सागर में जो आर.टी.ओ की बिल्डिंग है वह बहुत समय से बनने के इंतजार में बांट जो रही है, आज उपयुक्त समय है. सागर में जो आरटीओ की बिल्डिंग है वह बहुत समय से बनने के इंतजार में बांट जोह रही है आज उपयुक्त समय है परिवहन मंत्री महोदय ने हालांकि उसके लिये राशि का आबंटन कर दिया है शीघ्रता से वह हो लेकिन एक कमी बहुत समय से देखी जा रही है वह हमारे ड्रायविंग ट्रैक की है, मैं समझता हूं पूरे मध्यप्रदेश में सिवाय इन्दौर के मध्यप्रदेश में कहीं भी इस तरह के ड्रायविंग ट्रैक नहीं हैं, सागर में चूंकि हमारा नया आरटीओ आफिस बन रहा है उसी के साथ में ड्रायविंग ट्रैक बनाने की भी अगर वह व्यवस्था करेंगे, तो भी बहुत अच्छा होगा.

अध्यक्ष महोदय--समाप्त करें. विधेयक पर बात हो गई अब क्षेत्र पर बात नहीं होगी.

श्री शैलेन्द्र जैन--आरटीओ आफिस के बारे में निवेदन है.

अध्यक्ष महोदय--नहीं, अब वह क्षेत्र की बात है उससे विधेयक का संबंध नहीं समाप्त करें.

श्री शैलेन्द्र जैन--माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विषय महत्वपूर्ण है और जो लोगों की जानमाल से जुड़ा हुआ है जो हमारे ट्रक हैं, जो हमारे ट्रेक्टर्स हैं, उनके पीछे जो है, टेल लाइट और रेडियम प्लेट का इंतजाम आम तौर पर नहीं होता है इस तरह की मोबाइल यूनिट बनाई जानी चाहिये जो सतत निगरानी करे और ऐसे जो भी वाहन जिनमें टेल लाइट या रेडियम प्लेट ना हो, ऐसे वाहनों पर कार्यवाही की जाये और चाहे शासकीय खर्चे से या उनके खर्चे पर रेडियम लाइट

और टेल लाइट जरूर लगाना चाहिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं और हमारे माननीय बुंदेलखंड के शेर भूपेन्द्र सिंह जी का एक बार हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं .

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया (मंदसौर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान संशोधन अधिनियम, 2014 विधेयक माननीय मंत्री जी द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है, मैं इसका समर्थन करता हूं. माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की मंशा के अनुरूप वर्ष 2013 परिवहन विकास परिषद की 35 वीं बैठक में जो निर्णय लिये गये थे ...

श्री मुकेश नायक--अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मंत्री जी आदमी हैं कि शेर हैं?

श्री शरद जैन--आपको अभी तक समझ नहीं आया क्या ?

श्री शैलेन्द्र जैन--आदमी हैं, शेर जैसा जिगर है बुंदेलखंड के हैं वह. आप भी बुंदेलखंड के हैं नायक जी.

श्री भूपेन्द्र सिंह--एक जगह दो शेर भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको भी मालूम है.

श्री शरद जैन--दूसरा शेर सर्कस का भी हो सकता है.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया--माननीय अध्यक्ष महोदय, 35 वीं बैठक में जो विनिश्चय किया गया था पूरे देश भर को लेकर के, मैं पुन: मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि 2013 और 2014 बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, लेकिन 2013 में जब भारत सरकार की परिवहन नीति को लेकर के और विकास परिषद की बैठक में जो विषय सामने सुनिश्चित किये गये थे , उनका अमल करने में 14 वीं विधान सभा में वर्ष 2014 में जो संशोधन आया है, वास्तव में स्वगत योग्य है. माननीय अध्यक्ष महोदय, परिवहन विभाग का सिर्फ यही काम नहीं है कि करों की वसूली करना, हां उनका काम जरूर है कि बगैर टैक्स के सरकार नहीं चलती, लेकिन कर करों की वसूली के साथ साथ यात्रियों को सुविधायें देना वाहन मालिकों को ....

अध्यक्ष महोदय--कृपया, सिर्फ विधेयक पर चर्चा करें .

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया--इसी में है अध्यक्ष महोदय, मैं विषय पर ही बोल रहा हूं. यह जो कर संग्रहण की प्रक्रिया को जो सरलीकरण किया गया है, इसको व्यवहारिकता प्रदान की गई है, इस पर समग्र चिन्तन और समग्र व्यवस्था का नया आयाम निरोपित किया गया है. माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्देश्य अपने आप में स्पष्ट है वाहनों की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है, अत्यधिक कृ वृद्धि के साथ साथ नित नये वाहनों का प्रकार , उनके माडल्स हमारे सामने आ रहे हैं. उनकी सुरक्षा को लेकर के सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था को लेकर, आरामदायक सेवाओं से यात्री किस प्रकार से लाभ ले सकें, इसको लेकर जो चिन्ता की गई है, इसको लेकर जो संशोधन आया है, वह वास्तव में स्वागत योग्य है. माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में मोटरयान कर की दरों का सरलीकरण करते हुए युक्तिसंगत बनाया जाना भी प्रस्तावित किया गया है. जिस प्रकार से वायु प्रदूषण हो रहा है, वाहनों की आवाजाही के कारण से और वाहनों की संख्या के कारण से वायु प्रदूषण को रोकने के लिये विद्यमान कर की दर में 2 परसेंट की कमी की गई है और वास्तव में यह भी बड़ा प्रशंसनीय निर्णय है. माननीय अध्यक्ष महोदय, तिमाही कर की जमा की राशि का विकल्प फिर खोजा है और उसको समाप्त करते हुए अनेक वाहन के प्रकारों के साथ साथ जीवनकाल, आजीवन, जीवन पर्यन्त कर जमा कराने का जो इसमें संकल्प है, वह भी वास्तव में स्वागत योग्य है. डीलक्स, वातानुकूलित वाहन राज्यों के भीतर चलने वाली, राज्यों के बाहर चलने वाली इन सबको लेकर के जिस प्रकार से प्रति सीट प्रति माह जो कर का निर्धारण किया गया है, वह भी स्वागत योग्य है. ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली समस्त बसों के करों को भी कम किया गया है. स्कूल के वाहन बसों की प्रति सीट प्रति माह एक रुपया किया जाना, स्वागत योग्य है.

अध्यक्ष महोदय, पर्यटन, पर्यावरण को लेकर प्रोत्साहित किया गया है. मैं मंत्री जी से निवेदन करुंगा और मेरा सुझाव भी है कि मध्यप्रदेश सीमा क्षेत्र में अन्तर्राज्यीय सीमा रेखाओं को छूता है. उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात. मैं जिस जिले से प्रतिनिधित्व करता हूं मंदसौर

जिला. मेरा जिला तीन तरफ से राजस्थान की सीमा रेखाओं से जुड़ा हुआ है. राजस्थान में मोटरयान मोटर मालिकों का, मोटर प्रबंधकों का जो कर का निर्धारण है, वह कर का निर्धारण के हिसाब से वहां की बसें जब हमारे यहां मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले की सीमा में आती हैं,रतलाम में आती हैं. तो उनका जो टैक्स है, उनका जो कर का निर्धारण है और हमारे मध्यप्रदेश के मंदसौर या रतलाम जिले के आसपास के जिले के बसों के कर का भार वाहन मालिकों पर पड़ रहा है, यह विसंगति है. मैं रावत जी की इस बात को लेकर के सहमत हूं कि करों का निर्धारण युक्तियुक्तकरण भी होना चाहिये और समानता के आधार पर होना चाहिये. इसलिये मैं मंत्री जी से आग्रह करुंगा कि इसमें कहीं अगर लगता हो और इसकी कहीं सुविधा मिल सकती हो, तो मध्यप्रदेश के मोटर मालिकों के लिये, सीमावर्ती राज्यों में जाने वाली मोटर वाहन के मालिकों के जो करों में अंतर है, इस अंतर को दूर करने की यदि कोशिश होगी, तो एक अच्छा निर्णय होगा. अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद.

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह) -- अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक,2014 पर हमारे माननीय सदस्य सर्वश्री रामनिवास रावत जी, रामेश्वर शर्मा जी, शैलेन्द्र जैन जी एवं यशपाल सिंह सिसोदिया जी के बहुत महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए हैं. यह जो विधेयक लाया गया है, इस विधेयक के पीछे जो मुख्य उद्देश्य है, वह यह है कि हमारे राज्य में जो हमारे कर हैं, उन करों का सरलीकरण हो और युक्तियुक्तकरण हो. मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमने अधिकांश करों में छूट देने का काम इस विधेयक के माध्यम से किया है. हमारे प्रदेश के अंदर, हमारे प्रदेश के नागरिकों को अच्छी बस सुविधा मिले, वे टूटी बस में न जाएं, बिना कांच की गाड़ी में न जाएं. इसलिये हमने यह तय किया है कि जो हमारे प्रदेश के अंदर एसी बसें और डीलक्स बसें चलती थीं, उनका जो पहले टैक्स था, वह 230 रुपये पर सीट था. हमारे प्रदेश का हर नागरिक एसी बस में जाए, डीलक्स बस में जाए, अच्छी चेयर पर बैठकर जाए. इसलिये

हमने 230 से घटाकर 180 रुपये हमारे प्रदेश के अन्दर जो एसी एवं डीलक्स बसें हैं, उनका करने का निर्णय इस विधेयक के माध्यम से लिया है. इससे हमारे प्रदेश का जो आम नागरिक है, यात्री है, उसको अच्छी बस सुविधा इस विधेयक के प्रावधान के माध्यम से मिल सकेगी.

श्री रामनिवास रावत -- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो निश्चित रूप से मंत्री जी ने डीलक्स बसों का टैक्स कम कर दिया है और अच्छी परिकल्पना की है . लेकिन किराया कन्ट्रोल करने का आपका कोई सिस्टम नहीं है. डीजल के रेट लगातार कम होने के बाद भी यात्री बसों ने किराया कम नहीं किया है .

श्री भूपेन्द्र सिंह -- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने प्रदेश के अंदर जो हमारी स्कूल की बसें हैं जिनमें हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं और पूरे प्रदेश में इस समय अभियान चला हुआ है कि हमारा हर बच्चा स्कूल में जाए. हमारे राज्य का हर बच्चा स्कूल में जाए इसके लिये सरकार ने अनेकों योजनायें बनाई हुई हैं. महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग सब लगातार इसके लिये प्रयास कर रहे हैं. इसलिये हमारे विभाग ने भी यह तय किया है कि प्रदेश के अंदर जो स्कूल की बसें हैं जिन पर पहले 360 रूपये टैक्स लगता था उसको हमने समाप्त करके मात्र प्रतीकात्मक रूप से 1 रूपये टैक्स करने का निर्णय सरकार ने लिया है. यह अपने आप में अभूतपूर्व निर्णय है और एक तरह से हमारे प्रदेश के अंदर स्कूल की बसों पर कोई टैक्स परिवहन विभाग की तरफ से नहीं लगेगा जिससे कि प्रदेश के अंदर बच्चों को अच्छी बस की सुविधा उपलब्ध हो.

श्री जितू पटवारी -- माननीय अध्यक्ष महोदय, स्कूल की बसों के टैक्स संबंधी मंत्री जी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं. अध्यक्ष महोदय, इंदौर, जबलपुर, भोपाल जो बड़े शहर हैं वहां स्कूल बस के अलावा टैक्सी और छोटी वेन भी चलती हैं जिनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाता है, स्कूल बस पर जो टैक्स लागू होता है वह भी इनसे नहीं लिया जाता है . दूसरा टैक्स लागू होता है जिससे स्कूल संचालक उनको प्रेशराइज करते हैं . उस पर मैंने आपका ध्यान भी आकर्षित करवाया था. उस पर भी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छा होगा.

श्री भूपेन्द्र सिंह -- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय जितु पटवारी जी ने जो विषय रखा है. मैंने इसके लिये पहले दिन से ही प्रयास किये. इसमें जो कठिनाई है वह यह है कि हमारा जो सेन्ट्रल मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें यह प्राविजन है कि जब तक स्कूल एग्रीमेंट करके नहीं देता तब तक हम वेन या अन्य वाहन को स्कूल बस की परमिट हम नहीं दे सकते. और इसलिये हमने इसके बारे में भारत सरकार को भी लिखा है कि हमारे देश का जो मानव संसाधन विभाग है, वह इस बारे में विचार करे और स्कूलों के बारे में हम यह अनिवार्यता करें कि स्कूल की मान्यता जब हम देते हैं तो उसमें यह अनिवार्यता हो कि वह यह भी तय करे कि हमारे यहां पर यह यह वाहन अनुबंधित रहेंगे. अभी अनुबंधित न होने के कारण हम उनको परमिट नहीं दे पा रहे हैं फिर भी हमने अभियान चलाया हुआ है और आपने देखा होगा कि कई जगह पूरे प्रदेश के अंदर जो वेन थीं , जो अवैध रूप से चल रही थीं उनको जब्त करने की कार्यवाही की है, बड़ी संख्या में हमने कार्यवाही की है पर जब तक यह प्रावधान नहीं होगा यह कठिनाई हम लोगों के समाने आयेगी.

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश के अंदर जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, अध्यक्ष जी आप भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं , उस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर प्रदेश के हर ग्रामीण को अच्छी बस सुविधा उपलब्ध हो, अच्छी यात्री सुविधा उपलब्ध हो, और इसलिये हम ग्रामीण परिवहन नीति लेकर के आये हैं और ग्रामीण परिवहन नीति में हमने पूरी तरह से यह तय किया है कि जो वाहन ग्रामीण क्षेत्र में चलेंगे उन वाहनों को हमने एक तरह से टैक्स फ्री कर दिया है 5 वर्ष में एक बार हम उनका परमिट देंगे, इसके बाद 5 साल तक उनको हमारे विभाग में आना नहीं पड़ेगा. और 5 साल में भी हम जो उनसे टैक्स लेंगे जो टैक्स अभी 7 प्रतिशत लगता था उसको घटाकर के हमने 1 परसेंट करने का निर्णय लिया है .इससे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो छोटे छोटे वाहन हैं , आटो हैं, मैक्सीकेप है, फोरव्हीलर है, बुलेरो है, मार्शल है इस तरह की जो गाड़ियां है यह हमारे प्रदेश के अंदर चल सकेंगी. इसी तरह से हमने करों के सरलीकरण करने का काम भी किया है .

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमारे रामनिवास रावत जी ने मोटर सायकिल के बारे में बताया तो उस पर मैं कहना चाहता हूं कि रावत जी उसमें पहले बड़ी कठिनाई आती थी इसमे जो प्रावधान था वह किलो के हिसाब से था 75 किलो का अलग था, 80 किलो का अलग था, 90 किलो का अलग था इसकी गणना करने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था इसके कारण से विसंगतियां भी पैदा हो गई थीं. इसलिये हमने उनको सीट के आधार पर किया है हमने टैक्स नहीं बढ़ाया है, हमने सीट के आधार पर कर दिया.अध्यक्ष महोदय, रावतजी ने लाईफ टाइम टेक्स के बारे में कहा जो पूरे प्रदेश में लगता है. रावतजी मैंने पूरे देश के सभी राज्यों में जो टेक्स की दरें हैं वह बुलवायी थीं. परिवहन विभाग भारत शासन की जो 45 वीं बैठक हुई थी उसमें भी यह निर्णय लिया गया था कि पूरे देश में जो टेक्स की दरें वह एक सी हों और 7 प्रतिशत का निर्णय हुआ था. हमारे यहां पहले से यह था. हमने उसको उतना ही रखा. उसको बढ़ाने का काम नहीं किया है.

अध्यक्ष महोदय, जो दूसरी अनुसूची टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन के लिए है. इस तरह से हमने कृषि यंत्रों पर किसी प्रकार का कोई कर नहीं रखा है.

अध्यक्ष महोदय, हमारे सदस्य माननीय रामेश्वर शर्माजी ने कहा है कि जो बीआरटीएस की बसें चल रही हैं या शहरों में नगर निगम सीमा में बसें चल रही हैं, अगर वह ग्रामीण क्षेत्र की कुछ दूरी तय करती हैं तो माननीय रामेश्वर शर्माजी भोपाल के जिन रुटों के बारे में लिखकर देंगे, उन सभी रुटों का हम परमिट देने का काम करेंगे.

श्री रणजीत सिंह गुणवान(आष्टा)—अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क पर निजी बसें संचालित करें.

श्री भूपेन्द्र सिंह—आप अलग से बता देना. श्री रामेश्वर शर्मा जी भोपाल के जिन मार्गों के बारे में कहेंगे उन मार्गों का हम सूत्रीकरण करके उसको शहरी बस सेवा में जोड़ने का काम करेंगे, कोई टेक्स अलग से लगाने का काम नहीं करेंगे.

श्री रामेश्वर शर्मा—धन्यवाद मंत्रीजी.

श्री भूपेन्द्र सिंह—अध्यक्ष महोदय, हेलमेट के बारे में माननीय रामेश्वर शर्माजी ने कहा है. हमारे यहां पहले से ही निर्देश हैं कि जो डीलर वाहन देगा उसको हेलमेट देना हमने पहले से अनिवार्य किया हुआ है. इसका हम फिर से और परीक्षण करा लेंगे. मैं इस सुझाव का स्वागत करता हूं. हम इसका कड़ाई से पालन करायेंगे.

श्री सचिन यादव—अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष महोदय—नहीं, अब कोई बात नहीं होगी. समय नहीं है. बजट पर बहस नहीं हो रही है. विधेयक पर चर्चा हो रही है. कृपया धेर्य रखें.

श्री सचिन यादव—अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हेलमेट अनिवार्य करने की बात है तो इस प्रकार का कोई भी लिखित आदेश किसी डीलर को नहीं मिला है.

श्री भूपेन्द्र सिंह—मुझे मालूम है कि आपकी डीलरशिप है.

श्री सचिन यादव—मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस तरह का कोई लिखित आदेश हमारे पास नहीं आया है.

श्री भूपेन्द्र सिंह—मैं आपको आज ही उपलब्ध करा दूंगा. कल से उसका पालन करायेंगे. अभी कॉपी भिजवाता हूं. अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय विधायक श्री शैलेन्द्र जैन जी ने भी बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं. इसमें निःशक्त जनों के बारे में सुझाव दिया है. इसका भी हम परीक्षण करा लेंगे.

अध्यक्ष महोदय, सीएनजी पर चलने वाले वाहनों पर 2 प्रतिशत टेक्स कम किया है. सागर आरटीओ की बिल्डिंग का काम प्रारंभ हो गया है. अब हमने तय किया है कि जहां पर भी हमारी बिल्डिंग बनेगी उसमें ड्रायविंग ट्रेक बनाना अनिवार्य होगा. इसलिए जो भी नई बिल्डिंग बन रही है सभी में ड्रायविंग ट्रेक बनाने का काम होगा. सभी जिलों में हम टेस्टिंग ट्रेक बनाने का भी काम कर रहे हैं.

अध्यक्षजी, पिछले दिनों दिल्ली में एक दुर्भाग्यजनक घटना हुई. एक केब गाड़ी में एक बच्ची के साथ घटना हुई है. मध्यप्रदेश सरकार ने तत्काल इस संबंध में कार्रवाई की है. मैंने मंत्री के नाते कल ही यह निर्देश जारी किये हैं कि हमारे प्रदेश में जितनी भी कंपनियां हैं जो टेक्सी का व्यापार करती है, उन सारी कंपनियों की जानकारी हमने मांगी है. हमने यह भी तय किया है कि अब हमारे प्रदेश में जितनी भी टेक्सियां रजिस्ट्रर्ड होंगी और जो पहले से रजिस्टर्ड हैं उन सभी में हमने अनिवार्य रुप से जीपीएस लगाने का निर्णय हमारे विभाग ने लिया है. जीपीएस लगाने का निर्णय हमारा है. इसके साथ साथ हमने यह भी तय किया है कि गाड़ियों में, टेक्सियों में जो ड्रायवर हैं उन सभी का हम पुलिस वेरिफिकेशन कराने का कार्य भी कर रहे हैं.एक भी ड्राइवर बिना पुलिस वेरिफिकेशन के हम किसी भी गाड़ी में चाहे वह बस हो या टैक्सी हो हम नहीं चलने देंगे यह आश्वासन हम आपके माध्यम से सदन में देने चाहते हैं. हमारे विभाग के द्वारा कम अमले के बाद में भी जो हमारा राजस्व है उस राजस्व में लगातार वृद्धि की है, जो लक्ष्य हमारा पिछले वर्ष का था वह लक्ष्य भी हमने प्राप्त किया है इस वर्ष के जो लक्ष्य हैं वह भी हमारा विभाग प्राप्त करने का काम करेगा.

माननीय अध्यक्ष महोदय हमने एक और बड़ा निर्णय लिया है हमने प्रदेश के अंदर जो एचएसआरपी प्लेट लगाने का काम पिछले चार वर्षों से चल रहा था जिसकी शिकायतें लगातार माननीय सदस्यों की तरफ से आ रही थी कि घटिया स्तर की प्लेट लगाने का काम उस कंपनी के द्वारा पूरे प्रदेश में किया गया है. इसलिए मैंने मंत्री बनते ही उस कंपनी का टेण्डर निरस्त करने का काम किया है हमने उसको निरस्त किया है और नये सिरे से हम टेण्डर कर रहे हैं. इस तरह से हमारा विभाग हमारे प्रदेश के यात्रियों को अच्छी सुविधा मिले यह हमारा प्रयास है. अध्यक्ष महोदय सभी माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि यह जो विधेयक लेकर आये हैं इसे सर्सम्मति से पास करें.

अध्यक्ष महोदय – प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान(संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा.

प्रश्न यह है कि खण्डज 2, 3 तथा 4 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 2, 3 तथा 4 इस विधेयक का अंग बने.

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बना.

श्री भूपेन्द्र सिंह – अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय.

अध्यक्ष महोदय – प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय.

प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक, 2014

श्रम मंत्री (श्री अंतर सिंह आर्य) – अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय.

अध्यक्ष महोदय – प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय.

श्री बाला बच्चन (राजपुर) – माननीय अध्यक्ष महोदय,मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन संशोधन विधेयक के अंतर्गत उद्योगों में 20 से 50 कर्मचारियों की संख्या की जा रही है. हमें सरकार का यह तर्क समझ में नहीं आ रहा है. मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि जो छोटे उद्योग है जो कि 20 कर्मकारों के हिसाब से हैं उन उद्योगों का बहुत कम पंजीकरण है और जो अभी कर्मकार हैं उनके ही हितों की रक्षा सरकार नहीं कर पा रही है. उसे बढ़ाकर संख्या 50 करेगी तो बढ़े हुए कर्मकारों के हितों की रक्षा में सरकार कैसे काम कर पायेगी, उनको स्वास्थ्य लाभ दे पायेगी और भविष्य में जो उनको फायदे मिलना है वह कैसे मिलेंगे. मेरे हिसाब से 20 कर्मचारियों के हिसाब से जो व्यवस्थित नहीं है तो मुझे 50 करने का कोई तर्क समझ में नहीं आता है. 20 से 50 करने से और बहुत सारे उद्योग सीमा से बाहर हो जायेंगे तो पंजीकरण से बाहर हो जायेंगे तो बचे हुए कर्मचारियों के हितों के बारे में क्या होगा सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है या नहीं दिया जब मंत्री जी अपना उत्तर दें तो इस बात पर जरूर ध्यान दें.सरकार ने इस ओर ध्यान दिया कि नहीं दिया, जब मंत्री जी बोले तो इस बात को स्पष्ट करें और यह सीधी-सीधी बात लगती है कि बजाय कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखने के कंपनियों का ध्यान इस संशोधन विधेयक के माध्यम से रखा गया है. कंपनियों को लाभ पहुंचाने वाला यह विधेयक है. वह कैसे है, यह मैं बताना चाहता हूं कि जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम है, उनकी तरफ से कर्मचारियों को 4.75 प्रतिशत लाभ दिया जाता है और प्रॉविडेंट फंड की तरफ से 12 प्रतिशत लाभ दिया जाता है तो टोटल मिलाकर कर्मचारियों का 17 प्रतिशत का नुकसान होगा. कंपनियों को सीधा-सीधा लाभ पहुंचाने का मामला है कि 17 प्रतिशत उनको इसका लाभ होगा.

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि वे इस पर विचार करें और बजाय कंपनियों को लाभ पहुंचाने के आप कर्मचारियों के हितों का भी ध्यान रखें, जिससे उनका भविष्य संरक्षित रहे, ऐसा मेरा आग्रह है, धन्यवाद.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया (मंदसौर) - अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक, 2014 माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है. मैं उसका समर्थन करता हूं. अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 1 के खण्ड (क) में यह स्पष्ट उल्लेख है कि इस संशोधन के बाद यह समस्त उपक्रमों पर लागू होगा. जहां पिछले 12 मास के दौरान किसी दिन भी 20 कर्मकारों ने या श्रमिकों ने काम किया है तो छोटी इकाइयों को मानते हुए उसकी सारी औपचारिकताएं सुनिश्चित कर उन तमाम कठिनाइयों को जो कठिनाइयां महसूस की जाती है, उनको दूर करने में यह संशोधन कारगर होगा.

अध्यक्ष महोदय, उपबंधों का पालन सुनिश्चित करने के लिए यह अधिनियम लागू किया जा रहा है. निश्चित रूप से इस संशोधन के कारण से छोटी इकाइयों के नियोजकों को सुविधा के दृष्टिकोण से 20 कर्मकारों की सीमा को इसमें सुनिश्चित करते हुए यह संशोधन हमारे सामने लाया गया है, जो स्वागत योग्य है. मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं. अक्सर देखा गया है कि आपसी करार समझौता या प्रमाणीकरण के अस्थायी आदेश की आड़ में जिस प्रकार से परेशानियां उठाना पड़ती थी, या बार-बार नियोजक कर्मकार को परेशानी झेलना पड़ती थी, उसको लेकर इस संशोधन में स्थायी आदेश का जो प्रॉविजन किया गया है. यह भी प्रशंसनीय है. सरकारी तंत्र और साथी कर्मकारों का बहुमूल्य समय इसमें लग जाता है. इसलिए इस विधेयक की धाराओं में उल्लेख करते हुए जो संशोधन प्रस्तुत किया जा रहा है, मैं उसका स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं. बहुत-बहुत धन्यवाद.

श्री दुर्गालाल विजय (श्योपुर) - अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक, 2014 प्रस्तुत हुआ है, उसका मैं समर्थन

करता हूं. इस अधिनियम में जो व्यवस्थाएं की हैं और इस संशोधन के माध्यम से जो प्रावधान किये हैं, यह प्रावधान निश्चित रूप से अधिनियम का सरलीकरण करने की दृष्टि से और लोगों को कम कठिनाई उत्पन्न हो, उनकी परेशानियों का निवारण हो सके. छोटी-छोटी जानकारी और श्रम निरीक्षकों की जो प्रवृत्ति रहती है, उनसे वे बचें. ऐसी छोटी इकाइयों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से और उन इकाइयों का कामकाज ठीक से चल सके, उसके लिए यह अधिनियम लाया गया है.ऐसा इसके अंदर किये गये प्रावधान से लगता है. अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन के माध्यम से तीन प्रावधान किये गये हैं और इन तीनों प्रावधानों पर एक एक करके विचार करते हैं तो यह बात समझ में आती है कि सरकार आमलोगों और विशेष करके जो छोटा व्यवसाय करने वाले लोग हैं ,जो अपनी आजीविका बहुत छोटे छोटे कार्यों के माध्यम से चलात हैं उन लोगों को कोई कठिनाई न आए,उनको श्रम निरीक्षक या अन्य अधिकारियों के माध्यम से कोई परेशानी न आए इस बात को दृष्टिगत रखते हुए इस अधिनियम को लाया गया है. माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जो 20 से 50 कर्मकारों की संख्या सुनिश्चित की गई है ये इसी कारण से की गई है कि और कम संख्या रहती है और उसमें कुछ और अधिक कर्मकार काम करते हैं अधिनियम के अंतर्गत प्रावधानों के आने से उनको बार बार कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है उसका निवारण करने के लिए एक प्रावधान किया है. और दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान यह किया गया है कि अधिनियम के अंदर पहले से कोई अगर उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है और उस पर कोई प्रकरण कायम हो गया है अथवा उसमें कार्यवाही हो गई है तो उसमें समझौता करने का कोई प्रावधान नहीं था. यह प्रावधान होना चाहिए था. वैसे हर अधिनियम में ऐसी व्यवस्था करने का प्रयत्न होता है कि किसी कारण से अगर किसी व्यक्ति से कोई गलती हो गई है तो उसका समाधान समझौते के माध्यम से संभव हो सके तो उससे कोई बेहतर बात नहीं हो सकती. इसके कारण इस समझौते का प्रावधान इस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है. अध्यक्ष महोदय, इसमें एक विशेष प्रावधान यह किया गया है कि अदालत में तो समझौता होता ही है , न्यायालय में समझौता करने की प्रक्रिया है ही. लेकिन इस संशोधन के

माध्यम से मामला कायम होने के बाद और न्यायालय में मामला पहुंचने के पहले भी समझौता करने की व्यवस्था की गई है. जिसके कारण से न्यायालय में पहुंच कर बिना कारण की कठिनाई न आये. तीसरा जो प्रावधान किया गया है वह यह किया गया है कि आपसी करार समझौता स्थयी आदेश जो कभी भी कोई प्राप्त कर लेते थे और बाद में कहीं किसी प्रकार की जब बात आती तो उन आदेशों की आड़ लेकर वे लोग यह प्रयत्न करते थे कि इस अधिनियम के प्रावधानों से बचा जायें. अध्यक्ष महोदय, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि इस प्रकार के श्रम आदेश ,करार ,समझौते उसके अन्दर सम्मिलित कर लिये जायेंगे और वह स्थायी आदेश इस अधिनियम के अन्तर्गत माने जायेंगे. ये तीनों प्रावधान करने के कारण से ये बात पूरी तरह से स्पष्ट होती है कि मध्यप्रदेश की सरकार, माननीय मंत्री जी और इस प्रदेश में काम करने वाले लोगों के लिये, दुकानदारों के लिये और कर्मकारों के लिये भी यह लाभकारी होगा. अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जो बोलने का समय दिया उसके लिये धन्यवाद.

श्री अन्तर सिंह आर्य- अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदश) संशोधन विधेयक के ऊपर अभी हमारे तीन माननीय सदस्य , हमारे प्रतिपक्ष के नेता माननीय बाला बच्चन जी, यशपाल सिंह सिसोदिया जी और माननीय दुर्गालाल जी ने इस संशोधन विधेयक पर चर्चा की. हमारे माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने जो चिन्ता की है वह जायज है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रदेश के श्रमिकों, न्यूनतम वेतन तथा अन्य सेवाशर्तों का अन्य अधिनियमों में हित संरक्षित है, इसमें किसी प्रकार से कर्मकार, श्रमिकों का कोई अहित नहीं होगा. EPF (भविष्य निधि) एवं ESI लागू रहेगा. क्योंकि मध्यप्रदेश के अन्दर कई वर्षों से श्रम कानून में कोई संशोधन ...

श्री बाला बच्चन – अध्यक्ष महोदय, वह तो लागू रहेगा लेकिन अभी उसकी सीमा 20 थी, 20 से अधिक होगा तो लागू होगी, 20 से कम वालों पर लागू नहीं होगी और आप उसको बढ़ा कर 50 करोगे तो बीच के 30 वालों का नुकसान होगा.

श्री अंतर सिंह आर्य – माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश के अंदर उद्योग और श्रमिकों के बीच में एक अच्छा सामंजस्य बने, प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध हो, इसलिए श्रम कानून का संशोधन हम विधानसभा में लाए हैं. इससे मध्यप्रदेश के अंदर उद्योगों का निवेश भी होगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त होगा और श्रम कानून के कारण कई छोटी-छोटी ईकाइयों को कई प्रकार की परेशानियां आती थीं, इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही यह संशोधन हम विधानसभा में पारित कराने के लिए लाए हैं, मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि श्रम कानून के अंदर जो संशोधन लाये गये हैं, उन्हें सर्वसम्मति से पारित करें.

अध्यक्ष महोदय – प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक, 2014 पर विचार किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा.

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 5 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 2 से 5 इस विधेयक का अंग बना.

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री अंतर सिंह आर्य – माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) संशोधन विधेयक, 2014 पारित किया जाए.

अध्यक्ष महोदय – प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) संशोधन विधेयक, 2014 पारित किया जाये.

प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) संशोधन विधेयक, 2014 पारित किया जाये.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

(4) रजिस्ट्रीकरण (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2014

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री जयंत मलैया) – अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि रजिस्ट्रीकरण (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाए.

अध्यक्ष महोदय – प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि रजिस्ट्रीकरण (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाए.

श्री राम निवास रावत – माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा रजिस्ट्रीकरण (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2014 प्रस्तुत किया गया है. उन्होंने निश्चित रूप से प्रयास किया है कि फर्जी रजिस्ट्रियों पर रोक लगे और फजी रजिस्ट्रियां न हों और स्टाम्प शुल्क की जो रजिस्ट्रियों में चोरी होती है, उसमें भी रोक लगे. लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आपने इलैक्ट्रॉनिक फॉर्म की व्यवस्था की है, इलैक्ट्रॉनिक सिस्टम की जो कल्पना की है, मैं समझता हूँ कि पूरे प्रदेश में लोगों को आप ट्रेंड नहीं कर पाए हैं. आपके दस्तावेज लेखक किस तरह से दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे, किस तरह ऑन लाइन होंगे, तो इस सबकी व्यवस्था आप कैसे करेंगे, यह आप बताएं और जब तक आप

यह नहीं कर पाएंगे, तब तक मैं समझता हूँ कि आपके इलैक्ट्रॉनिक फार्म पर रजिस्ट्री कराने का, इलैक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन दस्तावेज प्रस्तुत करने का ज्यादा कोई अर्थ नहीं है. कई ऐसी जगह हैं, जहां आपका पूरा सिस्टम ही नहीं है, अभी भी वही रजिस्टर, वही हस्ताक्षर, बाकी जो आपने संशोधन किए हैं, वसीयत में सभी चिह्न, फोटो, संपत्ति का चिह्न, जो वसीयत निर्वसीयत की जाती है उसमें सभी दर्ज हों, तो निश्चित रूप से ठीक है. कभी-कभी केवल हस्तलिखित और वसीयत अपनी संपत्ति का विवरण देते हुए कर देते हैं लेकिन आपने सभी चिह्नों का और मानचित्रों का, फोटो चित्रों का हवाला दिया है, उचित ही है कि इससे फर्जी वसीयतों पर रोक लगेगी. मैं केवल इसी तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आपकी जो इलैक्ट्रॉनिक सिस्टम की या इलैक्ट्रॉनिक फार्म की जो परिकल्पना है, इसे आप कैसे पूर्ण करा पाएंगे ? बाकी आपने जो 16 धाराओं में, 15 धाराओं में संशोधन किया है, और कोई विशेष संशोधन नहीं है. बाकी समय रजिस्ट्रीकरण के लिए उपस्थिति,भूमि का मानचित्र, व्यक्तियों का फोटो, पहले भी फोटो था. अंगुल चिह्न पहले भी लगाये जाते थे. अब आपने अंगूठा जोड़ दिया है. मैं समझता हूँ कि लगभग पूरा उसी तरह का संशोधन है और आपने जो संशोधन करके इलेक्ट्रॉनिक फार्म पर दस्तावेज प्रस्तुत करने पर होगा, उसमें आपने दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले को उपस्थिति से छूट प्रदान की है. इसमें है, राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित कोई दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक फार्म में उपस्थापित किया जाता है तो व्यक्तिगत रुप से उपस्थित ह्रो होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी . यह एक तरह से छूट ही है.मैं समझता हूँ कि यह छूट नहीं दी जानी चाहिए. या तो फर्जी काम होने लगेंगे. आप घर बैठे ही रजिस्ट्री करा रहे हो. कम से कम वह व्यक्ति नहीं जाए उसका आम मुख्तार जाए, उसका प्रतिनिधि जाए. कम से कम आपके कार्यालय तक रजिस्ट्री कराने के लिए तो पहुंचे. माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी यही बातें हैं.माननीय मंत्री जी इस पर कुछ बोलें.

श्रीमती उषा चौधरी—माननीय अध्यक्ष महोदय, 30 डिसमिल, 50 डिसमिल की रजिस्ट्रीकरण बंद हो गयी हैं, इस पर भी विचार किया जाए.

वाणिज्यिक कर मंत्री(श्री जयंत मलैया)—माननीय अध्यक्ष महोदय,यह विधेयक पूर्व में विधानसभा में लाया जा रहा था परन्तु विधानसभा समय से पहले स्थगित हो गयी इसलिए इसको अध्यादेश के रुप में लाये और इसके साथ ही 6 महीने में इसे विधानसभा से पारित कराना है इसलिए यह विधेयक लाये हैं और इस विधेयक के जो महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, मैं इनकी ओर सभी माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा-विभाग की ई-पंजीयन परियोजना के तहत धारा 2 में "इलेक्टॉनिक सिग्नेचर" को परिभाषित किया गया है. पंजीयन अधिनियम की धारा 17 में पंजीयन के लिए अनिवार्य दस्तावेजों का उल्लेख है. इस धारा में संशोधन कर किसी भी वर्तमान विधि में पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज का पंजीयन कराया जाना धारा 17(1) के तहत अनिवार्य बनाया जा रहा है. पूर्व में धारा 17(3) में सिर्फ "पुत्र" के दत्तक ग्रहण के पंजीयन का प्रावधान था. अब इस धारा में संशोधन कर "पुत्र" शब्द के स्थान पर "संतान" शब्द स्थापित किया जाकर "पुत्री" को भी दत्तक लिया जाना पंजीयन योग्य बनाया जा रहा है. पूर्व में धारा 20(1) में किसी दस्तावेज में errors का अभिप्रमाणन(attestation) सिर्फ निष्पादक(executant) द्वारा किये जाने का प्रावधान था. अब संशोधन द्वारा निष्पादक के साथ साथ दावेदार(claiment) के द्वारा भी attestation किए जाने का प्रावधान किया जा रहा है. संशोधन द्वारा धारा 21(1) तथा 22(1) के तहत दस्तावेज के साथ सम्पत्ति का मानचित्र तथा फोटो लिया जाना भी आवश्यक बनाया जा रहा है. धारा 24 में विभिन्न समयों पर निष्पादित(execute) होने वाले दस्तावेजों के संबंध में पूर्व में हर एक निष्पादन की तारीख से चार माह के अंदर दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किए जा सकने का प्रावधान था. अब संशोधन द्वारा दस्तावेज के अंतिम निष्पादन की तारीख से चार माह के भीतर पंजीयन कराए जा सकने का प्रावधान किया जा रहा है.धारा 25 में दस्तावेज के निष्पादन के चार माह की अवधि के उपरांत जुर्माने के साथ आगामी चार माह तक पंजीयन के लिए दस्तावेज प्रस्तुत कर सकने के लिए जिला पंजीयक की अनुमति आवश्यक होने के स्थान पर, अब इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रीकरण व्यवस्था के माध्यम से उप पंजीयक द्वारा ही उक्त जुर्माने के साथ दस्तावेज का पंजीयन कर सकने का प्रावधान किया जा रहा है. पूर्व में धारा 32-क में

सम्पत्ति के अंतरण दस्तावेजों में क्रेता एवं विक्रेता के ही फोटो तथा अंगूठे का निशान लेने का ही प्रावधान था. अब संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया जा रहा है कि अचल सम्पत्ति के स्वामित्व के हस्तांतरण से संबंधित दस्तावेजों में प्रत्येक निष्पादक(executant) तथा दावेदार(claiment) के पासपोर्ट आकार के फोटो तथा अंगूठे का निशान लिए जाने के साथ-साथ उनके हस्ताक्षर भी लेने का प्रावधान किया जा रहा है. प्रदेश की "ई-पंजीयन" परियोजना को दृष्टिगत रखते हुए धारा 34(1) में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी दस्तावेज के इलेक्ट्रॉनिक फार्म में प्रस्तुत किए जाने पर उसकी व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होने का प्रावधान किया जा रहा है. पूर्व में धारा 34(2) के तहत दस्तावेज के पक्षकारों की अपीयरेंसेस से एक ही समय पर या विभिन्न समयों पर हो सकने का प्रावधान था . अब संशोधन द्वारा ई-पंजीयन के तहत पक्षकारों की अपीयरेंसेस को एक ही समय पर किया जाना प्रावधानित किया गया है.

पूर्व में पंजीयन अधिनियम के तहत उप पंजीयक के लिए ड्यूली स्टैम्प्ड दस्तावेज को ही स्वीकार किया जाना बंधनकारी नहीं था. अब धारा 34(3) में संशोधन कर उप पंजीयक के लिए ड्यूली स्टैम्प्ड दस्तावेज ही पंजीयन के रुप में स्वीकार किया जाना आवश्यक बनाया जा रहा है. पंजीयन अधिनियम की धारा 49 में ऐसे दस्तावेजों, जिनका पंजीयन धारा 17 के तहत अनिवार्य है,का पंजीयन न कराए जाने का यह परिणाम बताया गया है कि ऐसा संव्यवहार साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जा सकता है. इस धारा में संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया जा रहा है कि किसी भी वर्तमान विधि अनुसार पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज का पंजीयन न कराए जाने पर ऐसा संव्यवहार साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जा सकेगा. इस संशोधन विधेयक द्वारा नई धारा 63-क जोड़ी जा रही है. इसके द्वारा इलेक्ट्रानिक रजिस्ट्रीकरण व्यवस्था के तहत प्रक्रियाओं को इलेक्ट्रानिक फार्म में किया जाना विधिक रूप से मान्य किये जाने का प्रावधान है. इसके साथ ही समस्त पुस्तकों तथा इंडेक्सेस जिनका सार्वजनिक निरीक्षण किया जा सकता है, उन्हें शासकीय वेबसाईट या इलेक्ट्रानिक रजिस्ट्रीकरण प्रणाली के माध्यम से निरीक्षण किया जा सकेगा.

यदि पंजीयन के लिए किसी दस्तावेज में साशय (intentionly) कोई मिथ्या विवरण दिया जाता है, या किसी दस्तावेज की मिथ्या प्रति या अनुवाद या नक्शा दस्तावेज के साथ लगाया जाता है तो इसके लिए धारा 82 के तहत दण्डात्मक प्रावधान रखा गया है. अध्यक्ष महोदय, पूर्व में धारा 82-क में लायसेंस के बिना दस्तावेज लिखने पर दो सौ रुपए के जुर्माने का प्रावधान था. अब इसके साथ 10 हजार रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है. अध्यक्ष महोदय, आदरणीय रावत जी, कुछ शंकाएं उठाई हैं इन्हें मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि हमारे ई-पंजीयन के लिए अभी तक 1500 से अधिक शासकीय अधिकारी कर्मचारी और 500 से ज्यादा सर्विस प्रोवाइडर को ट्रेनिंग दी जा रही है और यह लगातार ट्रेनिंग चल रही है . 8 से 12 दिसंबर तक ट्रेनिंग हो रही है. एक और निवेदन था हमारे प्रदेश के अंदर 5 जो कार्यालय हैं वह ट्रायल के ऊपर काम कर रहे हैं और आगामी 15 दिसंबर सो पांच ही जगहों पर उसका शुभारंभ किया जा रहा है. अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि आगामी दो तीन वर्षों के अंदर हम पूरे प्रदेश में इसको लागू कर देंगे.

अध्यक्ष महोदय-- प्रश्न यह है कि **रजिस्ट्रीकरण(मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक 2014 पर विचार किया जाय.**

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा.

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 16 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 2 से 16 इस विधेयक का अंग बना.

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जयंत मलैया-- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि रजिस्ट्रीकरण(मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय.

अध्यक्ष महोदय-- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि **रजिस्ट्रीकरण(मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय.**

प्रश्न यह है कि **रजिस्ट्रीकरण(मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय.**

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

(5) भारतीय स्टाम्प(मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2014(क्रमांक 28 सन् 2014)

वाणिज्यिक कर मंत्री(श्री जयंत मलैया)-- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि **भारतीय स्टाम्प(मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2014** पर विचार किया जाय.

अध्यक्ष महोदय-- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि **भारतीय स्टाम्प(मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2014** पर विचार किया जाय.

श्री बाला बच्चन(राजपुर)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के ये दो संशोधन विधेयक सरकार के दोहरे चेहरे को उजागर करते हैं. एक मोटरयान संशोधन विधेयक, जो मोटर मालिकों के लिए लाया गया है. जिसमें लाखों करोड़ों का बिजनेस करने वाले मोटर मालिकों का टैक्स आधे से भी कम कर दिया है.

3.51 बजे

{उपाध्यक्ष महोदय (डॉ.राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए}

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मोटरयान मालिकों के लिए जो संशोधन विधेयक आया उस पर लाखों करोड़ों का बिजनेस करने वाले मोटर मालिकों के लिए लगने वाला टेक्स सरकार ने आधे से

भी कम किया और स्टांप शुल्क पर 10 गुना एक सरकार बढ़ा रही है और दोनों के नाम युक्तियुक्तकरण के नाम से दोनों संशोधन विधेयक रखे हैं जिसको मैंने पढ़ा है, मैंने जो समझा है, वह मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ. उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के दोहरे चेहरे को ये दोनों संशोधन विधेयक उजागर कर रहे हैं. ऐसा क्यों किया गया यह सरकार जानें. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ. उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए. 2002 की दरों को वर्तमान मूल्य सूचकांक के नाम पर 100-100 गुना बढ़ा दिया है. मैं उसको स्पष्ट करना चाहता हूँ. इस विधेयक की अनुसूची 1 का "क" देखें, उसमें यह स्पष्ट लिखा है कि लिखितों पर स्टाम्प शुल्क वर्ष 2002 में निर्धारित थी वर्तमान मूल्य सूचकांक के अनुरूप युक्तियुक्तकरण किए जाने के नाम पर 100-100 गुना तक बढ़ाया गया है. माननीय मंत्री जी, कहीं अगर मैं गलत हूँ तो जब आप अपना जवाब देंगे तब आप बताना. संसदीय कार्य मंत्री जी भी मेरी बात को सुन रहे हैं. उपाध्यक्ष महोदय, 100-100 गुना बढ़ा है. मैं समझता हूँ कि यह प्रदेश की जनता के साथ एक धोखा है. क्या 2002 की दरें 12 साल में 100 गुना बढ़ी हैं. यदि हाँ तो फिर कर्मचारियों की तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ाई गई है. मजदूरों की मजदूरी की दर क्यों नहीं बढ़ी है. किसानों की फसलों के दाम क्यों नहीं बढ़े हैं. उपाध्यक्ष महोदय, बात यहीं समाप्त नहीं होती है अनुसूची 1 क में अभिस्वीकृति जिसे पूर्व में रजिस्ट्रीकृत किया गया है. जिसमें 2 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है. माननीय मंत्री जी, मैं ठीक बोल रहा हूँ. 2 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिए हैं, उपाध्यक्ष महोदय, कितना अंतर है. मैं समझता हूँ कि यह सीधी-सीधी लूट है. यह फिजूलखर्ची और नकली ग्लोबल मीट के नाम पर अरबों रुपये की बर्बादी यह सरकार ने की है.

इंजी.प्रदीप लारिया-- उपाध्यक्ष महोदय, यह किसने लिखा है बता दें. आप पढ़कर बोल रहे हैं.

श्री बाला बच्चन-- यह आपकी सरकार का जो संशोधन विधेयक आया है...

इंजी.प्रदीप लारिया-- प्रभारी नेता प्रतिपक्ष हैं लिख कर बोल रहे हैं.

श्री बाला बच्चन-- लिख कर नहीं. माननीय एमएलए साहब इसमें लिखा है. आपने पढ़ना. मैंने धाराओं का उल्लेख किया है आप इसको पढ़ना. 2 रुपये से 5000 रुपये. यही चीज तो है समझने की. यह जो नकली ग्लोबल मीट जिसमें अरबों रुपये जो खर्च किए. मैं समझता हूँ कि यह उसी का परिणाम है और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को रोक दिया गया है. दूसरी ओर मध्यप्रदेश स्थापना दिवस पर 100 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. मैं समझता हूँ यह जो स्टाम्प शुल्क के रूप में जो शुल्क बढ़ाया जा रहा है यह इसीलिए बढ़ाया जा रहा है. इसी में यह फिर लिखितों का उल्लेख किया है कि लिखितों पर स्टाम्प शुल्क. इसका मैं उजागर करना चाहता हूँ. लिखितों पर स्टाम्प शुल्क इसलिए लगाया जाता है कि लिखितों को कानूनी मान्यता प्राप्त हो और अनावश्यक परेशानियों से बचें इसकी और मैंने जो जानकारी जुटाई वह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ कंपनियों की जमीन के बड़े-बड़े हस्तांतरण को युक्तियुक्तकरण के नाम पर छूट दी गई. उपाध्यक्ष महोदय, सुनिएगा मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ. कंपनियों को जो छूट दी गई है चार प्रतिशत से घटाकर आपने प्वाईंट पाँच प्रतिशत कर दिया है. मतलब कितने प्रतिशत की कंपनियों को आपने छूट दी है. 7 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत तक कर दिया गया है वहीं दूसरी ओर आम जनता की आवश्यकता पर स्टाम्प शुल्क दो रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया है. धारा 33 का आपने जो उल्लेख किया है उसको मैंने पढ़ा है धारा 33 में विवाह प्रमाण-पत्र की प्रविष्टि का शुल्क 5 रुपये हुआ करता था उसे बढ़ाकर आपने 100 रुपये कर दिया है. धारा 32 में आपने उल्लेख किया है अगर किसी तरह से विवाह के रजिस्ट्रीकरण में कोई परिवर्तन होता है और उसका फिर से रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसको जीरो से बढ़ाकर एक हजार रुपये कर दिया है.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ कंपनियों को सीधा-सीधा फायदा पहुंचाने के लिए 4 प्रतिशत से 0.5 प्रतिशत तक शुल्क कम कर रहे हैं 7 प्रतिशत को 5 प्रतिशत कर रहे हैं और जनता के लिए जीरो से हजार रुपये तक का शुल्क आप बढ़ा रहे हैं. इससे स्पष्ट होता है कि आप मध्यप्रदेश की जनता के हितों का कितना ध्यान रख पा रहे हैं. इसके अलावा सभी में 5 से 10 गुना की न्यूनतम

वृद्धि की गई है. मैं समझता हूँ यह कैसा युक्तियुक्तकरण है प्रदेश के स्टाम्प शुल्क के नाम पर प्रतिवर्ष 4 हजार करोड़ रुपये की वसूली की जा रही है और इस अध्यादेश के बाद 5 हजार करोड़ की अतिरिक्त वसूली होगी जिसका जनता पर सीधा-सीधा इसका भार पड़ेगा और महंगाई में वृद्धि होगी. इसमें बहुत सारी कमियां और खामियां हैं इसमें बड़े परिवर्तन हैं इसलिए इस संशोधन विधेयक को बड़े सत्र में लाना चाहिए लंबी बहस कराना चाहिए उसके बाद इसको पास करना चाहिए जिससे कि इसमें लंबी चर्चा हो और सभी विधायक इस चर्चा में भाग लें.

उपाध्यक्ष महोदय—चर्चा में कोई बंधन नहीं है.

श्रीमती ऊषा चौधरी—उपाध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू टिकट बिलकुल नहीं मिल रही हैं गरीब तबके के लोग जब एक-दो लाख रुपये लोन लेना चाहते हैं तो उनको रेवेन्यू टिकट नहीं मिलती है रेवेन्यू टिकट की कालाबाजारी हो रही है पान के ठेलों पर रेवेन्यू टिकट मिल रही है.

श्री बाला बच्चन—उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान में स्टाम्प पंजीयन शुल्क की सबसे अधिक वृद्धि दर 30 प्रतिशत है उसमें औसतन 10 गुना की वृद्धि कर दी गई है इतना बड़ा परिवर्तन किया गया है. मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जब वे इस हाउस को संबोधित करें तो मैंने जितनी बातों को उजागर किया है कृपया उसको आप स्पष्ट करें मेरा यह साफ कहना है कि युक्तियुक्तकरण संशोधन विधेयक के नाम से सरकार का दोहरा चेहरा सामने आता है इसको आप स्पष्ट करें और इस स्टाम्प शुल्क संशोधन विधेयक के माध्यम से मध्यप्रदेश की जनता का जो गला घोंटने का काम आप करने जा रहे हैं कृपया इसको रोकें दूसरे सत्र में इस संशोधन विधेयक को लायें जिससे सभी विधायक चर्चा में भाग ले सकें ताकि जनता के हित में यह कानून बन सके. आपने बोलने का समय दिया उसके लिए धन्यवाद.

उपाध्यक्ष महोदय—प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अब, विधेयक के खण्डों पर विचार होगा.

वाणिज्यक कर मंत्री (श्री जयंत मलैया) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 में नवीन स्टाम्प अनुसूची -1 का भारतीय स्टाम्प मध्यप्रदेश संशोधन अध्यादेश 2014 के द्वारा दिनांक 16.09.2014 से प्रभावी की गयी है। भारतीय स्टाप मध्यप्रदेश संशोधन अध्यादेश 2014 की समय सीमा 6 माह होने के कारण इसे विधेयक के रूप में इसे वर्तमान विधान सभा सत्र में इसे लाया जा रहा है। अध्यादेश के कतिपय प्रावधानों में किये गये कुछ मुख्य संशोधन जिन्हें इस संशोधन जो इस विधेयक में प्रस्तुत किये गये हैं , वह इस प्रकार हैं -

"केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी उपक्रम के द्वारा या उनकी और से निष्पादित किये जाने वाले पट्टे की लिखत में दर्शाये गये मूल्य प्रीमियम तथा भाटक को ही बाजार मूल्य माना जाएगा ।" नेता प्रतिपक्ष जी आपको समझ में आया कुछ ।

श्री बाला बच्चन :- माननीय मंत्री जी , हम इसको समझे और भाईयों के बंटवारे पर भी आपने कितना शुल्क लगाया है , वह तो समझ में आया लेकिन आपने 2000 रूपये से 5000 रूपये किया है, वह दस गुना आपने टैक्स बढ़ाया है।

श्री जयंत मलैया:- नई कालोनियों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखे गये प्लाट भवन के बंधक अभिलेखों में सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित तथा दस्तावेज में उल्लेखित विकास व्यय को प्रतिभूति राशि मान्य किया जाएगा । फ्रेंचाईजी एग्रीमेंट पर शुल्क की दर को 25000 रूपये से घटाकर पूवर्वत 10000 रूपये किया जाता है। इस विधेयक के शेष मुख्य प्रावधान निम्नानुसार हैं :-

परिवार के सदस्यों के मध्य निष्पादित होने वाले दान कि लिखत पर स्टाम्प शुल्क की दर को साधारण दान पत्र का आधा करते हुए 5 प्रतिशत के स्थान पर 2.5 प्रतिशत किया जा रहा है। इसको आधा किया जा रहा है। परिवार के सदस्यों के मध्य निष्पादित होने वाले विभाजन निर्मुक्ति

तथा व्यवस्थापन में लिखतों पर पूर्व के 4 प्रतिशत के स्थान पर कम करते हुए 2.5 प्रतिशत किया जा रहा है, तथा अन्य मामलों में इसे 5 प्रतिशत किया गया है। परिवार की परिभाषा में माता, पिता, पत्नी, पुत्री, पुत्र, बहन, भाई के साथ साथ पोता/ पानी एवं पोती / नातिन को भी सम्मिलित किया गया है, जो कि पहले नहीं था। पट्टा विलेखों पर स्टाम्प शुल्क की संगणना हेतु सम्पत्ति के बाजार मूल्य को आधार बनाकर शुल्क की दरों को युक्तियुक्त किया गया है। केवल शासन या शासकीय उपक्रमों द्वारा निष्पादित पट्टों के लिए इस प्रावधान से छूट दी की गयी है। इस विधेयक के द्वारा निम्न लिखि प्रकार के नए दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क प्रभारित करने का प्रावधान किया जा रहा है :-

बैंक गारंटी दस्तावेज हेतु रकम का 0.25 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क जिसकी अधिकतम 25000 रूपये शुल्क राशि रखी गयी है। मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम, 2000 के तहत बिल्डर द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले घोषणा पत्र पर 10 हजार रूपये का स्टाम्प शुल्क का प्रावधान किया जा रहा है। पंजीयन के उपरांत दस्तावेज में कोई ऐसा संशोधन या सुधार करने हेतु प्रस्तुत दस्तावेज, जिसके द्वारा कोई सारवान परिवर्तन नहीं होता हो , तो ऐसे दस्तावेज पर एक हजार रूपये का स्टाम्प शुल्क लिया जायेगा । बिना किसी प्रतिफल के सम्मति विलेख, जब किसी संपत्ति अंतरण के दस्तावेज के संबंध में बिना किसी consideration सहमति दी गई हो तो एक हजार रूपये का stamp शुल्क देय होगा । Acknowledgement of receipt of payment of consideration अर्थात ऐसा दस्तावेज जिसके द्वारा पहले से रजिस्टर्ड किसी दस्तावेज के भुगतान की अभिस्वीकृति दी गई हो और पांच हजार रूपये का स्टाम्प शुल्क होगा। पार्टनरशिप के दस्तावेज में , जब शेयर को अचल सम्पत्ति के रूप में शामिल किया गया हो, तो अचल सम्पत्ति के ऐसे शेयर पर बाजार शुल्क का दो प्रतिशत स्टाम्प शुल्क देय होगा। एक बात और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कही आर्टिकल 22-क में स्टाम्प शुल्क की दर का किया है मात्र दो प्रतिशत है, और इसकी सीलिंग हमने 5000 रूपये रखी है। धन्यवाद् ।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाए .

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय .

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ .

विधेयक पारित हुआ .

(6) **मध्यप्रदेश वेट(द्वितीय संशोधन) विधेयक,2014(क्रमांक 29 सन् 2014)**

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री जयंत मलैया) – माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश वेट(द्वितीय संशोधन) विधेयक,2014(क्रमांक 29 सन् 2014) पर विचार किया जाय.

उपाध्यक्ष महोदय – प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश वेट(द्वितीय संशोधन) विधेयक,2014(क्रमांक 29 सन् 2014) पर विचार किया जाय.

श्री रामनिवास रावत(विजयपुर) – माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत मध्यप्रदेश वेट(द्वितीय संशोधन)2014 प्रस्तुत किया गया है. केवल चर्चा के लिये क्योंकि यह कानून तो पहले ही बन चुका. अध्यादेश तो पहले ही ला चुके आप. अध्यादेश के माध्यम से आप कानून तो पहले ही बना चुके अब तो बहुमत के द्वारा आपको केवल पारित भर कराना है लागू इसे 1 अप्रैल से ही कर दिया है. माननीय मंत्री जी द्वारा जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है 16 धाराओं में संशोधन के साथ-साथ वेट कर में भी परिवर्तन के साथ में यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है. व्यापारियों से कर वसूली की व्यवस्था, व्यापारियों की अपील के निपटारे की व्यवस्था लेकिन इसके साथ-साथ जो अपील के निपटारों में फीस बढ़ा दी गई है. छोटे-छोटे व्यापारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और जो वेट कर से वापसी के लिये कुछ और अपने दावों के लिये कुछ अनुसूची में आईटम्स को सम्मिलित किया गया है उसमें मेग्जिमम एग्रीकल्चर के इंस्ट्रूमेंट हैं. इसके साथ-साथ कुछ जिंसों पर वेट कर लगाया भी गया है. नयी वस्तुएं भी जोड़ी गई हैं. जहां माननीय मंत्री जी ने घुंघरू,घंडा,घड़िया,झांझ,मझीरा,त्रिशूल,कमण्डल,देवी-देवताओं की मूर्ति, किसी भी धातु से निर्मित हों, सोना चांदी की मूर्ति को छोड़कर इन पर से वेट हटा लिया गया है इससे क्या प्रभाव पड़ता है कितने बिकते हैं इनको कर मुक्त किया गया है. अरे, किसान के किसी एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट पर छूट प्रदान कर देते. फ्लश डोर को इसमें जोड़कर 5 प्रतिशत इस पर वेट टैक्स लगा दिया गया है. सेरेमिक और विट्रीफाईड टाईल्स, वैसे ही तो लोग मकान नहीं बना पा रहे हैं. लोग कभी-कभी

सोच लेते थे कि अच्छी टाईल्स लगा लें. इन टाईल्सों को भी इसमें 5 प्रतिशत के दायरे में ला दिया है.

श्री शैलेन्द्र जैन – माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन सब पर रियायत दी गई है. धन्यवाद देना चाहिये. विट्रीफाईड टाईल्स पहले 13 परसेंट था. घटाकर 5 परसेंट कर दिया है कभी तो धन्यवाद दो .

श्री शंकरलाल तिवारी – रावत जी को पूजा-पाठ के सामान से कोई मतलब ही नहीं है लगता है ऐसा न करो.

श्री रामनिवास रावत – मैं समझता हूं कि तिवारी जी इसके बारे में बात ही न करो अच्छा है.

श्री सुन्दरलाल तिवारी – तिवारी जी(XX).

श्री शैलेन्द्र जैन – यह बहुत निजी मामला है. पूजा पाठ को भी(XX). इसीलिये यह दुर्गति हो रही है.

श्री शंकरलाल तिवारी - यह अच्छे से जानते हैं कि कुछ दिन से रीवा में चल रहा है कुछ दिन से नहीं तो खेल खत्म है.(XX).

श्री रामनिवास रावत – औद्योगिक निवेश के रूप में उपयोग होने वाले थर्मल इंसुलेटर, डाक्यूमेंट स्केनर को भी इसमें जोड़ दिया गया है. वेट के दायरे में लाया है और खोवा,मावा पर तो पहले भी लगता था.

डॉ.गौरीशंकर शेजवार – रावत जी, उपाबंध पहले पढ़ो और जो प्रावधान किये गये हैं उनसे उनकी तुलना करो तो आपकी समझ में यह बात आ जाएगी कि पहले टैक्स कितना था और अब कितना है. आप क्या है एक तरफा पढ़ रहे हो. केवल प्रावधानों को पढ़ेंगे और पहले बिल में क्या व्यवस्था थी उसको नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे ही विसंगतियां होंगी और लोग आपका मजाक उड़ाएंगे.

श्री रामनिवास रावत—मैंने बिल भी पढ़ा है.

डॉ.गौरीशंकर शेजवार—ऐसे ही विसंगतियां होंगी और लोग मजाक उड़ाएंगे(हंसी)

उपाध्यक्ष महोदय—इनको किसी की सहायता की जरूरत महसूस नहीं होती है.

डॉ.गौरीशंकर शेजवार—सीनियर मेम्बर की जब लोग मजाक उड़ाते हैं उस पर मुझे बड़ा कष्ट होता है.

श्री रामनिवास रावत—जरा आप वेट अधिनियम बुला लो.

उपाध्यक्ष महोदय—डॉक्टर साहब हास-परिहास का एकाधिकार तो नहीं है आपके पास. (हंसी)

श्री रामनिवास रावत—उपाध्यक्ष महोदय, पहले खोवा-मावा पर टैक्स लगता था उसमें अब मक्खन को भी जोड़ दिया है.

श्री जयंत मलैया—13 प्रतिशत से 5 प्रतिशत किया है.

श्री रामनिवास रावत—13 से 5 प्रतिशत किया है इसमें कहां है, इसमें आपने अनुसूची तो दी ही नहीं गई है उपाबंध में और मैंने वेट अधिनियम पढ़ा था उसमें संशोधन मुझे प्राप्त नहीं हुआ है वह भी मैं पढ़कर के आया हूं.

श्री जयंत मलैया—इसमें मक्खन पर टेक्स कम कर दिया है.

श्री कैलाश विजयवर्गीय—मक्खन पर टैक्स कर दिया है. केन्द्र में जो मक्खन लगाने वाली सरकार थी वह खत्म हो गई है, इसलिये मक्खन पर टैक्स खत्म कर दिया है. (हंसी)

श्री रामनिवास रावत—माननीय मंत्री जी जरा इसी को पूरा पढ़ लें मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अनुक्रमांक 54 के सम्मुख कॉलम दो में शब्द और कोष्टक खोवा-मावा के स्थान पर शब्द और कोष्टक खोवा-मावा-मक्खन स्थापित किया जाए. मक्खन पर इसमें टैक्स बढ़ाया गया है, खोवा-मावा तो पहले से ही था.

श्री शैलेन्द्र जैन—यह छूट मक्खन पर भी लागू हो गई है.

श्री रामनिवास रावत—पहले मक्खन पर कितना था आप बता दे.

डॉ.नरोत्तम मिश्रा—राम निवास जी आपके टाईम में मक्खन लगाने के काम आता था, अब मक्खन खाने के काम आ रहा है, इसलिये इसमें चिन्ता की गई है. (हंसी)

श्री रामनिवास रावत—टैक्स लगाकर के मक्खन खिलाओगे.

डॉ.नरोत्तम मिश्रा—कम किया है आप देख तो लें.

श्री रामनिवास रावत—इसमें मक्खन को जोड़ा गया है.

डॉ.गौरीशंकर शेजवार—व्यक्ति यदि चुप रहे तो ज्यादा विद्वान दिखता है और कई बार ज्यादा बोलने के बाद बात खुली जाती है. (हंसी)

श्री रामनिवास रावत—आप पहले वेट अधिनियम तो बुला लें.

श्री कैलाश विजयवर्गीय—डॉक्टर साहब मुझे आपत्ति है कि इस सदन के अंदर चंबल का अगर कोई विद्वान व्यक्ति है वह रामनिवास रावत. (हंसी)

डॉ.गौरीशंकर शेजवार—उपाध्यक्ष महोदय, जो मेरा विषय नहीं है उसमें मैं नहीं बोलता जरूरी है कि हम हर विषय पर पारंगत रहें, यह जरूरी है कि वेट कर इनको समझें. अरे बंदूक उठाओ और जंगल में जाओ बात खत्म (हंसी)

उपाध्यक्ष महोदय—डॉक्टर साहब पड़ोसियों में प्रथम पंक्ति में विरोधाभास कैसा है, यह समझ में नहीं आ रहा है. (हंसी)

श्रीमती ऊषा चौधरी—सरकार का काम केवल बंदूक उठवाना रह गया है.

डॉ.गौरीशंकर शेजवार—मेरा निवेदन है कि मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि मैं कर और वित्तीय स्थिति के बारे में नहीं समझता. अगर अभी तक मैं नहीं समझ पाया तो इसमें दिमाग नहीं खपाता बगल वाले ने कह दिया मैंने मान लिया (हंसी)

श्री कैलाश विजयवर्गीय—आपको यह गलतफहमी कैसे हो गई कि यह अपना दिमाग खपा रहे हैं. (हंसी)

डॉ.गौरीशंकर शेजवार—यह जबरन में लगे हैं कि उपाबंध बताओ तो कहीं कुछ पढ़ रहे हैं अरे भईया हां की जीत हुई हां, ज्यादा से ज्यादा कह दो ना (हंसी)

श्री कमलेश्वर पटेल—उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के मंत्री इस तरह से बोल रहे हैं कि हम वित्तीय प्रबंधन को नहीं समझते इसलिये तो यह सरकार कुप्रबंधन में है.

डॉ.गौरीशंकर शेजवार—हमारा प्रबंधन समझने के लिये वित्तमंत्री जी हैं और भी लोग हैं मेरा क्षेत्र नहीं है, मुझे जो नहीं आता इसको स्वीकार करने में क्या बुराई है कि नहीं आता यदि मैं बोलने लगूं तो इनसे भी खराब हालत हो जाए रावत जी से मेरी जो इनकी यहां पर मजाक उड़ रही है. (हंसी)

श्री गोपाल भार्गव—डॉक्टर साहब के कहने का अर्थ यह है कि भिण्ड-मुरैना के लोग कानून व्यवस्था एवं गृहमंत्री जी की चर्चा पर बोलें, इन्दौर एवं भोपाल के लोग वेट पर बोलें.

उपाध्यक्ष महोदय—डॉक्टर आप, कैलाश जी एवं गोपाल जी जब बोलने लगते हैं तो स्थिति बड़ी ही विषम हो जाती है आप अलग अलग बोला करें, इकट्ठा नहीं. (हंसी)

श्री जीतू पटवारी—उपाध्यक्ष महोदय, जितने विधायकगणों ने कैलाश जी को नोबल दिलवाया है.

डॉ.गौरीशंकर शेजवार—रावत जी अगर बैठ जाएंगे तो सम स्थिति हो जाएगी. जब यह बोलते रहेंगे तो विषय स्थितियां ही आयेंगी. (हंसी)

श्री सुंदरलाल तिवारी—उपाध्यक्ष महोदय, आज राष्ट्रीय चेनल पर देखिये मध्यप्रदेश के मंत्रियों ने समूचे (XX) कैलाश विजयवर्गीय जी को नोबल पुरस्कार मिला है, यह सारी टी.व्ही.चैनलों में आ रहा है.

उपाध्यक्ष महोदय—यह आगे के लिये बधाई दी है तिवारी जी.

श्री सुंदर लाल तिवारी--थोड़ा भी अगर पानी है, तो जितने मंत्रियों ने टीवी में बोला है इमानदारी से इस्तीफा दे दें (व्यवधान).

श्री जितू पटवारी--डॉ. साहब, अब आपने इतने आक्षेप लगा दिये रावत जी पर, अब इन मंत्रियों पर भी कुछ बोल दें तो ज्यादा बेहतर होगा इस पर डॉ. साहब का क्या कहना है ? (व्यवधान).

श्री सुंदरलाल तिवारी--माननीय शेजवार जी, आपसे ही मैं आग्रह कर रहा हूं इतनी बदनामी आप लोगों ने मध्यप्रदेश की करवाई है सब चैनल खोलिये और नोबेल पुरस्कार हमारे विजय वर्गीय जी को मिल गया है (व्यवधान) और जिन्होंने दिया है हमने टीवी मारे शर्म के बंद कराई है, यह कहकर कि बंद करो यार यह क्या हो रहा है.

(व्यवधान)

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया--तिवारी जी, यह कैलाश पुरूषार्थ ही है.

श्री सुंदरलाल तिवारी--भाई, हम भी पद प्रशंसार्थ लेकिन नोबल पुरस्कार नहीं मिला, तो हम कैसे बोलेंगे.

श्री शंकरलाल तिवारी--तिवारी जी, गाय गाय पिया होता है अपने यहां की कहावत है कि गाय गाय पिया होत है. अगर आज बधाई मिली है, तो कल उन्हें मिल भी सकता है नोबल पुरस्कार.

श्री सुंदरलाल तिवारी--ईश्वर करे विजय वर्गीय जी को नोबल पुरस्कार मिले और उन मंत्रियों को भी नोबल पुरस्कार दे दीजिये जिन्होंने आज दिया है. (व्यवधान)

श्री गोपाल भार्गव--आगे नोबल पुरस्कार मिलने की प्रत्याशा में धन्यवाद दिया गया है. (व्यवधान).

श्री शंकरलाल तिवारी--अरे भार्गव जी, गाय गाय पिया होता है.

उपाध्यक्ष महोदय--तिवारी जी, एक इधर से तिवारी और एक इधर से तिवारी बड़ा मुश्किल है बैठ जायें.

श्री शंकरलाल तिवारी--बड़ी लंबी बीमारी है उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी लंबी बीमारी (हंसी).

श्री कमलेश्वर पटेल--उपाध्यक्ष जी, विजय वर्गीय जी सब भविष्य देख रहे हैं इसलिये इस तरह की बधाई देते हैं.

एक माननीय सदस्य--उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन यहां के तिवारी सब पर भारी.

उपाध्यक्ष महोदय--रावत जी, बोलें.

श्री रामनिवास रावत--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले एक बात जरूर मंत्री जी से कहना चाहूंगा . आपने सिलाई की सुइयों को भी टैक्स के दायरे में ला दिया है. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात का जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे अभी डीजल के रेट कम हुए, पेट्रोल के रेट कम हुए, इनको नियंत्रण की की भी व्यवस्था करें क्या सरकार इनका रेट कम नहीं कर सकती या कम नहीं करा सकती, आपका टैक्स वहीं की वहीं है. टैक्स बना भी रहता तब भी आपके रेट जब विश्व बाजार में क्रूड ऑयल का रेट 117 डॉलर के हिसाब से था, आज 64 पर आ गया तो आप इसका रेट कम कराने का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से इस प्रदेश का भला होगा. माननीय मंत्री जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, उसका मैं विरोध करता हूं.

उपाध्यक्ष महोदय--प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाये.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

उपाध्यक्ष महोदय--- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा.

उपध्यक्ष महोदय--प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 16 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 2 से 16 इस विधेयक का अंग बना.

उपाध्यक्ष महोदय--प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

उपाध्यक्ष महोदय--प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री जयंत मलैया, मंत्री (वाणिज्यिक कर)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाये.

उपाध्यक्ष महोदय--प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाये.

उपाध्यक्ष महोदय--प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाये.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम-स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2014

श्री गोपाल भार्गव, मंत्री (पंचायत एवं ग्रामीण विकास)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम-स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाये.

उपाध्यक्ष महोदय -- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम-स्वराज (संशोधन) विधेयक,2014 पर विचार किया जाय.

प्रश्न यह है कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम-स्वराज (संशोधन) विधेयक,2014 पर विचार किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा.

खण्ड 2 इस खण्ड में एक संशोधन है. श्री यशपाल सिंह सिसोदिया.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया (मंदसौर) --- उपाध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 2 में इस प्रकार संशोधन किया जाय :-

खण्ड 2 के उपखण्ड (एक) में मद (ग घ) में शब्द - या"; के पश्चात् निम्नांकित शब्दावली स्थापित की जाए, अर्थात् :-

"जिसके नाम से किसी भी प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था जिसके क्षेत्र में पंचायत स्थित हो, उस पंचायत के निर्वाचन की घोषणा की तारीख पर कोई कालातीत ऋण बकाया हो ;"

श्री रामनिवास रावत -- मंत्री जी, पहले आप ही कर देते. कितनी बड़ी विडम्बना है कि सरकार का ही विधेयक है और सत्ता पक्ष का ही सदस्य संशोधन दे रहा है.

श्री गोपाल भार्गव -- इससे बड़ी लोकतांत्रिक बात क्या होगी कि हमारे सदस्य संशोधन दे रहे हैं.

श्री रामनिवास रावत -- आप पहले कर देते, इसमें और कमियां हैं. इसको भी जोड़ लो. सरकारी कृषि भूमि पर अतिक्रमण को भी जोड़ लो, अच्छा रहेगा.

श्री गोपाल भार्गव -- देख लेंगे इसको.

उपाध्यक्ष महोदय -- मंत्री जी, आप बोलना चाहेंगे.

श्री बाला बच्चन -- उपाध्यक्ष महोदय, हमारी तरफ से नाम दिये गये हैं.

उपाध्यक्ष महोदय -- मेरे पास तो नाम आये नहीं हैं. नाम नहीं दिये हैं.

श्री बाला बच्चन -- हमने तिवारी जी का नाम दिया है.

उपाध्यक्ष महोदय -- मेरे पास आसंदी पर नाम नहीं हैं यहां पर. (इंडियन नेश्नल कांग्रेस के सचेतक द्वारा नाम देने पर) श्री महेन्द्र सिंह.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा (मुंगावली) -- उपाध्यक्ष महोदय, विद्युत विभाग के बकाया के बारे में जो यह संशोधन आया है कि बकाया चुकाने के बाद ही उनको पात्रता

चुनाव लड़ने की होगा. यह तो ठीक है, लेकिन जो विद्युत विभाग अनाप शनाप बिल किसानों को दे देता है और ट्रांसफार्मर एवं डीपी लगाते नहीं हैं. पूरे गांव की बिजली काट देते हैं, कुछ लोगों के बिल नहीं देने से और विद्युत विभाग की जो तानाशाही चल रही है, जिसके कारण किसान बहुत परेशान है. आज विद्युत विभाग के कारण किसान सिंचाई नहीं कर पा रहा है. आपकी तरफ से असत्य वक्तव्य आता है कि 24 घण्टे बिजली दी जा रही है या 8 घण्टे बिजली दी जा रही है, जबकि वास्तव में जब बिजली की अभी आवश्यकता है. मेरे विधान सभा क्षेत्र में त्राहि त्राहि हो रही है. मध्यप्रदेश के अन्य विधान सभा क्षेत्रों में भी मुझे विश्वास है कि बिजली की बहुत त्राहि त्राहि हो रही होगी. बिजली के गलत बिल आना, तो इस प्रकार आप इस तानाशाही को और बढ़ावा देंगे. आपको कोई राइडर लगाना चाहिए, ताकि किसानों को विद्युत बकाया के कारण चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सके. इस पर आप विचार करने का कष्ट करें, मेरा ऐसा आपसे अनुरोध है. दूसरा, यशपाल सिंह जी ने संशोधन दिया है, मैं उसका समर्थन करता हूं. सहकारिता ही नहीं, पूरे प्रदेश में जबरदस्त तरीके से अतिक्रमण हो रहे हैं. सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हो रहा है. जंगल की भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है. अशोक नगर में तो शहर के मध्य में करोड़ों की भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है. तो आप ऐसे लोगों पर भी रोक लगायें, जो सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करते हैं और बेनामी करते हैं. इसका भी कोई रास्ता निकालें कि यदि यह प्रमाणित होता है कि उनका बेनामी अतिक्रमण है, तो उन पर भी चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए. मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि जो सरकार का ऋण नहीं चुकाते हैं, पंचायत में भी जो हाउस टैक्स नहीं देते हैं, उनको भी आप रोकें, ताकि पंचायतों की आमदनी कम से कम बढ़े.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया -- महेन्द्र सिंह जी, यह नगरपालिकाओं में तो लागू हो चुका है. नगरपालिकाओं में लागू है.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा -- हां. तो यहां भी आप हाउस टैक्स के बकाया के लिये, पानी के टैक्स के बकाया के लिये लागू करें, ताकि लोगों में यह प्रवृत्ति हो कि कम से कम वह

पंचायतों की आमदनी में अपना सहयोग दें. पंचायतों में सरपंचों की मनमानी से भी जनता बहुत परेशान है, उसका भी आपको कोई रास्ता निकालना चाहिये. कुछ शातिर सचिव जान बूझकर अनुसूचित जाति या जनजाति के कोई अनपढ़ सरपंच हो तो वहां पर अपनी पोस्टिंग कराते हैं और आज कल तो भोपाल से स्थानांतरण हो रहे हैं. मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक पंचायत से दूसरी पंचायत में सचिव की पोस्टिंग हो रही है. कितनी गलत बात है यह. जो काम जिला पंचायत का है अगर आप भोपाल राजधानी से करेंगे तो कैसे काम चलेगा. मैं आपको एक उदाहरण देता हूं एक सचिव है टीला से उसका स्थानांतरण उसने मैनेज कर बीड़ करा लिया. पहले टीला में अनुसूचित जाति की कोई महिला थी जो अनपढ़ थी वहां पर वो सचिव बन गये और खूब बेईमानी की पूरा गांव परेशान था अब उन्होंने बीड़ में सरकार से अपना स्थानांतरण करवा लिया है वहां पर भी एक अनुसूचित जनजाति का है अनपढ़ है उसके कारण उसको और बेईमानी करने का मौका मिलेगा. और वह अपना चार्ज टीला से भी नहीं छोड़ रहा है. तो मेरा आपसे अनुरोध है कि सरपंचों के लिये मंत्रियों के लिये प्रावधान रखें कि वह अपनी संपत्ति का ब्योरा दें, नंबर दो- पिछले 10-15 सालों में मंत्रियों ने कितनी जमीन खरीदी, उन्होंने और उनके रिश्तेदारों के नाम से कितने मकान खरीदे हैं.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया-- कालूखेड़ा जी मंत्री नहीं सचिव कहें.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा-- पंचायत के सचिव को कहीं पर मंत्री बोलते हैं कहीं पर सचिव बोलते हैं. तो जो प्रापर्टी इन्होंने खरीदी है उसका भी आप विवरण लेंगे तो इन पर अंकुश लगेगा. क्योंकि ग्रामीण लोग दो लोगों से परेशान हैं . एक तो पटवारी से और एक पंचायत सचिव से. पटवारी भी यही कर रहे हैं. मैंने राजस्व मंत्री को कहा है कि पटवारियों के सारे रिश्तेदारों का विविरण ले लें कि उन्होंने पिछले 15 सालों में खरीदी है, आप पता लगा लो, सब पकड़े जायेंगे. जितने बेईमान लोग हैं. मेरा अनुरोध है कि मंत्री और पंचायत के सचिव यह बहुत अन्याय कर रहे हैं और इनको रोकने के लिये आपको कोई रास्ता निकालना चाहिये. इसलिये मैं इस विधेयक का

समर्थन करता हूं. लेकिन मैं यह चाहता हूं कि आपका संशोधन और मैंने जो सुझाव दिये हैं , हमारी पार्टी के सदस्य रावत जी ने दिये हैं इनको भी शामिल करने का कष्ट करेंगे, धन्यवाद.

श्री सुंदरलाल तिवारी(गुढ) -- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक..

श्री धनश्याम पिरोनिया -- आप पहली बार तिवारी जी नियम से बोलने के लिये खडे हुये हैं इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है नहीं तो दूसरे के नाम पर बोलते हैं.

श्री बालाराम बच्चन --ऐसा मत कहें नहीं तो दूसरे तिवारी जी(श्री शंकरलाल तिवारी जी की तरफ ईशारा करते हुये) खड़े हो जायेंगे.

श्री सुंदरलाल तिवारी -- उपाध्यक्ष महोदय, मध्यप्रदेश ग्राम स्वराज संशोधन विधेयक 2014 का मैं विरोध कर रहा हूं. माननीय मंत्री जी यह कानून में संशोधन आप ले आये हैं लेकिन बडे आश्चर्य का विषय है कि जो इसमें उद्देश्य बताया गया है उसका कानून से कोई लेना देना नहीं है. यह संशोधन क्यों ला रहे हैं, यह सदन अवगत नहीं है कि यह संशोधन क्यों लाया जा रहा है कि जब तक हम बिजली का बिल नहीं जमा करेंगे तो हमको चुनाव नहीं लड़ने दिया जायेगा. संभवत: हमारे लायक साथी विद्वान साथी सिसोदिया जी ने यह बोला कि इसमे नगर पालिक विधि के उपबंधों में यह मामला था. जहां तक नगर पालिक और नगर निगम और नगर पालिकाओं के चुनाव का संबंध है वहां सिंबल से चुनाव होता है वहां पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और यह ग्राम पंचायतों के जो चुनाव हैं यह पार्टियां चुनाव नहीं लड़ती सिंबल से चुनाव नहीं होता है. तो यह उद्देश्य का कोई सवाल नहीं है कि यह उद्देश्य कहां से आ गया. अब मुझे लगता है कि उद्देश्यों को जब लिखा गया है तो माननीय मंत्री जी ने पढ़ा नहीं है या उनका ध्यान शायद न गया हो , किसी अधिकारी महोदय ने यह लिख दिया हो.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया --माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय तिवारी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे संशोधन का माननीय वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री माननीय कालूखेड़ा जी ने समर्थन किया है . स्वागत भी किया है और वे आपकी ही पार्टी के हैं.

श्री सुंदरलाल तिवारी --सिसोदिया जी मैं आपके संशोधन का विरोध नहीं कर रहा हूं. मै उद्देश्य की बात कर रहा हूं . क्योंकि किसी कानून में यदि कोई संशोधन होता है तो उद्धेश्य उसका एक महत्वपूर्ण अंग होता है और जब उद्देश्य से यह परिलक्षित न हो कि यह संशोधन क्यों हो रहा है तब वह सारा का सारा जो कानून है उसका जो स्वरूप होना चाहिये वह स्वरूप प्रदर्शित नहीं कर पाता है. तो मेरा यह कहना है कि यह जो नगरीय चुनाव का इसमें उद्देश्य बताया गया है यह पूर्णतया: भिन्न है और पंचायत के चुनाव से इसकी तुलना नहीं होना चाहिये. मैं मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि गांव में गरीब बसता. गरीबी के रेखा के नीचे जीवन जीने वाले लोग भी हैं. गरीबी रेखा में जिनको एक बत्ती कनेक्शन दिया गया है. उनके भी बिजली के बिल लंबे लंबे बिजली के बिल बाकी हैं और वह दे पाने की स्थिति में नहीं हैं. पंचायत के चुनाव गांव के लोगों को जोड़ने के लिए हैं. ज्यादा से ज्यादा लोग इस चुनावी प्रक्रिया में भाग लें, सम्मिलित हों.

श्री शंकरलाल तिवारी—यह सरपंच टाईप के लोग तो पैसा नहीं जमा करते भाई.

श्री सुन्दरलाल तिवारी—उसमें पंच भी है. अनुसूचित जाति के लोग भी शामिल हैं, जिनके बैंक में खाते नहीं हैं. जेब में एक रुपया नहीं है. वे लोग भी पंच का,सरपंच,जनपद का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनको भी आप वंचित कर देंगे अगर जिनके पास 1-1 लाख रुपया बिजली का बिल देने के लिए नहीं है. इनकम टेक्स बाकी है वह चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन अगर बिजली का बिल नहीं दिया फिर...

उपाध्यक्ष महोदय—तिवारी जी, संक्षेप अपनी बात रखें.

श्री सुन्दरलाल तिवारी—उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन करुंगा कि कोर्ट में इसके बहुत सारे मेटर्स हैं. बिजली के बिल के मामले बहुत सारे अदालतों में है. जब वह मामले अदालत में लंबित हैं तो

स्वाभाविक है कि अगर उनका निराकरण नहीं हुआ तो ड्यूज के रुप में विभाग में रहेंगे. वह कंपनियां उनको ड्यूज मानेगी. आप क्या मानेंगे. क्या स्थिति उस समय होगी यह भी इस कानून में स्पष्ट नहीं है. अगर हम उसको जमा करते हैं तो फिर इसका मतलब हुआ कि हम अदालत में दोषी माने जायेंगे कि हमने पैसा जमा कर दिया है और हम उस मुकदमे को लड़ न पायें. बहुत सारी बातें इसमें हैं.

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ आप अनुसूचित जाति, जनजाति को चुनाव लड़ने में जो फीस लगती है उसमें छूट देते हैं. उनको प्रोत्साहित करते हैं कि चुनाव में वह भाग लें और उनसे आप बिजली के बिल जमा करायेंगे. मेरा यह कहना है कि इसमें थोड़ा संशोधन होना चाहिए. ऐसे उपबंध नहीं बनाना चाहिए जिससे बड़ा समूह क्योंकि 70 प्रतिशत लोग गांव में रह रहे हैं, शहर की आबादी मुश्किल से 30 प्रतिशत है. जहां 70 प्रतिशत लोग प्रभावित हो जायेंगे वहां चुनाव की प्रक्रिया क्या फेयर और फ्री मानी जायेगी जब सब लोग उसमें भाग नहीं ले रहे होंगे. मेरा यह कहना है कि इन तमाम चीजों पर विचार किया जाये और यह जो संशोधन है इसमें और विचार करने के बाद सोच समझ कर, कुछ संशोधन करके, जिससे गरीब चुनाव से वंचिन न हो सके और उनकी भागीदारी हो सके फिर इसमें संशोधन किया जाये. धन्यवाद.

डॉ रामकिशोर दोगने—उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा निवेदन है कि इसको कंपनी मान रहे हैं या सरकारी विभाग मान रहे हैं. अगर सरकारी विभाग मान रहे हैं तो यह जायज है. अगर कंपनी मानते हैं तो यह नाजायज है. क्योंकि कंपनियां बहुत सारी हैं. अगर कंपनी के बिल पटाने की बात करेंगे तो दूसरी कंपनियों के सभी बिल पटाने पड़ेगे. इसको कंपनी मान रहे हैं या सरकारी विभाग मान रहे हैं. यह स्पष्ट होना चाहिए.

श्री सुन्दरलाल तिवारी—इसमें दोनों चीज लिख दिया है. एमपीईबी भी लिखा दिया और सरकारी कंपनीज़ का भी उल्लेख कर दिया है.

श्री गोपाल भार्गव—पूर्ववर्ती बिजली कंपनी मतलब एमपीईबी और वर्तमान में बिजली कंपनी. पूर्ववर्ती जो विद्युत मंडल उसका यदि 6 माह से अधिक का कोई देय होगा तो उसके ऊपर लागू होगा.

डॉ रामकिशोर दोगने—उपाध्यक्षजी, वसूली के समय तो कंपनी का उपयोग करते हैं. कंपनी के नियम लगाते हैं.

उपाध्यक्ष महोदय—इसमें दोनों चीजें आ गई हैं जैसा माननीय मंत्रीजी ने बताया.

श्री सुन्दरलाल तिवारी—मान लीजिए 10 साल 20 साल पहले का किसी का बिजली का बिल है वह भी वंचित हो जायेंगे. पंचायत विभाग कोई रिकवरी कर रहा है क्या? पंचायत विभाग एमपीईबी का रिकवरी का डिपार्टमेंट हो गया है क्या?

श्री गोपाल भार्गव—यह कोई चेरिटेबल फाऊंडेशन है क्या?

श्री सुन्दरलाल तिवारी—चेरिटेबल फाऊंडेशन नहीं है तो फिर एक बत्ती कनेक्शन क्यों दे रहे हैं. क्या गरीब का उसमें अधिकार नही है. पंचायत विभाग रिकवरी का एक स्टॉल खोल दे.

श्री रामनिवास रावत—उपाध्यक्ष महोदय, क्या भारत के हर नागरिक को चुनाव लड़ने का मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है? आप उसके मौलिक अधिकार से वंचित करने का काम नहीं कर रहे हैं.

श्री गोपाल भार्गव—निर्वाचन आयोग ने भी इसी तरह की कुछ बाध्यताएं रखी हैं.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया—किसी भी संस्था में लड़ने वाले जनप्रतिनिधि की स्थिति को भी समझना पड़ेगा. उसकी नैतिक जिम्मेदारी क्या है. उसकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है क्या?

श्री हरदीप सिंह डंग (सुवासरा) – माननीय उपाध्यक्ष महोदय जो आज संशोधन बिल यहां पर आया है उसके बारे में बोलना चाहता हूं. पहले पंचायतों में सरपंचों को कूपन बनाने के अधिकार प्राप्त थे लेकिन जब से सरपंच और सचिव के कूपन बनाने के अधिकार समाप्त किये हैं और अनुविभागीय अधिकारी और मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दिये गये हैं. तब से गरीब तबके के

लोग जो आवेदन देकर अपना कूपन बनवा सकते थे लेकिन आज उसे लोक सेवा गारंटी में जाकर 100 रूपये खर्च करके यह कार्यवाही की जाती है. मेरा यह निवेदन है कि यह कूपन बनाने का अधिकार जो सरपंच जहां से चुनाव जीतता है और सचिव जो कि सबको पहचानते हैं तो कूपन बनाने का अधिकार सरपंचों कोदिया जाय जो पेंशन का अधिकार है वह जनपद के सीईओ को दिया गया है. जबकि गांव में जो विधवा होती है उसको सभी जानते हैं कि यह विधवा है सरपंच और सचिव भी जानते हैं तो उसी के हस्ताक्षर से अगर विधवा और विकलांग पेंशन और अन्य जो भी पेंशन हैं उनको पंचायत स्तर पर ही चालू कर दिया जाय तो वह भी उस क्षेत्र के लिए और ग्रामीण जनता के लिए एक बड़ी समस्या का हल हो सकता है.

श्री कैलाश विजयवर्गीय – वह ही मुझे लग रहा है कि मालवा का आदमी और चंबल के विद्वान जैसा भाषण दे रहा है.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया – नहीं. सुवासरा विधान सभा से ही चंबल नदी निकल रही है.

श्री रामनिवास रावत – चंबल नदी आपकी मऊ विधान सभा से ही निकल कर आयी है जानापवा से वहां से जैसी बुद्धि चली है वैसी ही वुद्धि हम में है.

श्री शंकर लाल तिवारी – जहां से निकली है जानापवा से वह भगवान परशुराम जी का जन्म स्थान है जानापवा.

श्री हरदीप सिंह डंग –मेरा कहनाहै कि अभी तिवारी जी ने जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही है उसका भी मैं समर्थन करता हूं आज सभी को चुनाव लड़ने का मौलिक अधिकार हैउसके बारे में जो बातें कहीं गई हैं उनका मैं समर्थन करता हूं धन्यवाद्.

श्री बाला बच्चन (राजपुर) – माननीय उपाध्यक्ष महोदय ग्राम पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन विधेयक से संबंधित है. चूंकि मैं भी ग्राम पंचायत का रहने वाला हूं अगर इस संशोधन

विधेयक को हम नगर पंचायत नगर पालिकाऔर नगर निगम से जोड़कर देखें और उसकी तुलना हम ग्राम पंचायत जनपद और जिला पंचायतों के चुनाव से उसकी तुलना करेंगे तो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं होगा. बिजली के बिलों कीबकाया राशि इस चुनाव के माध्यम से सरकार वसूलना चाहती हैयह आर्थिक आधार पर किसानों के लिए बहुत खराब वर्ष है. किसानों के पास में आर्थिक तंगी है . मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी और सरकार से निवेदन है कि ग्राम पंचायत में जो योग्य है जो लायक है जनता उनको मानती है चुनती है जनता के हकों के लिए वह लड़ते रहते हैं तो कम से कम बिजली के बिल का तो उपाध्यक्ष महोदय ऐसा है किमनमानी है बड़े बड़े बिजली के बिल दे ऱखे हैं हमारे कालूखेड़ा जी ने जो बात कह दी हैं उनको मैं यहां रिपीट नहीं करना चाहता हूं मेरा तो इतना आग्रह है कि आप उसको नगर पंचायत और नगर पालिका से जोड़कर न देखें और जो काम करने वाले हैं जनप्रतिनिधि के रूप में वह काम कर रहे हैं ग्राम पंचायत का सरपंच है जनपद प्रतिनिधि और जिला पंचायत तक अगर जायेंगे तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि वह वहां की आम जनता के हितों के लिए काम करेंगे उनके लिए नव निर्माण और विकास के लिए काम करेंगे.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय इसमें एक बहुत अच्छी बात आयी है कि अभी तक कुष्ठ रोगी चुनाव नहीं लड़ पाते थे जो कि संक्रमण रोग से संबंधित माना जाता था इसमें उल्लेख किया है अब उनको संक्रमक नहीं माना जायेगा और किसी भी तरह की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इ समें जो उल्लेख किया गया है. मैं समझता हूं कि उनको जो आपने छूट दी है और वह अब चुनाव लड़ सकते हैं तो यह स्वागत योग्य है. यह अच्छा संशोधन आप लाये हैं. इसका मैं स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि इतना कहना चाहता हूं कि बिजली के बिलों के कारण जो अच्छे व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं उनको आने दें. मेरा यह ही कहना है कि आप इस संशोधन विधेयक पर विचार करें जिससे वह लोग भी चुनकर आ सकें. अपने अपने से संबंधित ग्राम पंचायत जनपद और जिला पंचायतों में अपनी सेवा दे सकें. माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपने जो स मय दिया उसके लिए धन्यवाद्.

श्री मुकेश नायक (पवई) - उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन विधेयक को लाने के पहले एक-दो गंभीर बातों पर सरकार को विचार करना चाहिए. अभी ग्रामीण क्षेत्रों में दो तरह की विद्युतीकरण की योजनाएं चल रही हैं. एक, फीडर सेपरेशन का काम चल रहा है और दूसरा, अटल ज्योति योजना का काम चल रहा है. अटल ज्योति योजना के तहत फीडर सेपरेशन का काम चल रहा है. राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत उन टोले, मजरों और ग्रामीण क्षेत्रों को कवर किया गया है, जहां पहले बिजली नहीं थी. यहां एक व्यावहारिक कठिनाई यह है कि जहां खम्भे लग गये, तार लग गये, मीटर लग गये, लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं लगे. वहां ग्रामीण क्षेत्रों में यह रिपोर्ट कर दी गई कि यहां बिजली आ गई है. वहां पर बिना बिजली आए 6-6 महीने से किसानों के यहां पर बिजली के बिल आ रहे हैं. यह सब लोग इस बात को जानते हैं.

श्री निशंक कुमार जैन - जहां तार नहीं खींचे वहां भी बिजली के बिल आ रहे हैं.

श्रीमती ऊषा चौधरी - ट्रांसफार्मर नहीं लगे, तब भी बिजली के बिल आ रहे हैं.

डॉ. रामकिशोर दोगने - टोले, मजरों में तो अभी तार ही नहीं खींचे हैं, न खम्भे गड़े हैं. सभी जगह के टोले, मजरे छूटे हुए हैं, उनके भी बिल आ रहे हैं.

श्री मुकेश नायक - उपाध्यक्ष महोदय, यहां एक एंटीसिपेशन में विद्युत मंडल की गड़बड़ी हुई. उसके कारण उन्होंने पहले से बिल भेजना शुरू कर दिया. बाद में जिन किसानों ने इस पर प्रोटेस्ट किया, उनके संशोधन भी विद्युत मंडल के द्वारा किये गये. लेकिन अगर यह संशोधन विधेयक इस कारण से आ रहा है कि जो विद्युत मंडल की तीन कंपनियां हैं; मध्य क्षेत्र, पूर्व क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र. इन तीन कंपनियों में 18 हजार करोड़ रुपए का घाटा कुप्रबंध के कारण चल रहा है, चुनाव के समय अंधाधुंध बिजली किसानों और मध्यप्रदेश के लोगों को देने के कारण, चुनाव पर प्रभाव डालने के कारण और उसका परिणाम यह हुआ कि आपने लोकप्रियता तो हासिल कर ली. लेकिन आपने विद्युत मंडल की आर्थिक स्थिति बिल्कुल चकनाचूर कर दी. अब उस स्थिति को सुधारने के लिए आप इस तरह के संशोधन विधेयक ला रहे हैं और इसका परिणाम क्या होगा?

उपाध्यक्ष महोदय, यह देश के आम नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन है और इस तरह के संशोधन विधेयक कि जिसके बिजली के बिल बकाया हैं वह चुनाव नहीं लड़ पाएगा. यह ग्रामीण क्षेत्रों की लोकशाही को विकृत करने वाला है. आपको अगर बिजली कंपनियों का घाटा पूरा करना है तो आप मनोरंजन के क्षेत्र में जो बिजली के बिल बकाया हैं, उनसे वसूली करिए, इंडस्ट्री के क्षेत्र में जो बिजली के बिल बकाया हैं, उनसे वसूली करिए. भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में जो बिजली के बिल बकाया हैं, उनसे वसूली करिए ताकि तीनों कंपनियों का 18 हजार करोड़ रुपए का घाटा आप पूरा कर सकें. चुनाव लड़ने से भारत के संविधान में केवल उन लोगों को वंचित किया गया है, जो अपराधी हैं, न्यायालय से जिन्हें सजा हो गई है. केवल वे लोग चुनाव लड़ने से वंचित हो सकते हैं. कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी बिजली का बिल बकाया है, वह चुनाव नहीं लड़ेगा, इस तरह का संशोधन विधेयक संविधान की मौलिक भावना के विपरीत है. हास्यास्पद है और सरकार की एक हल्की सोच को प्रदर्शित करने वाला है. इसलिए इसमें जनोन्मुखी संशोधन के साथ फिर से विचार करें और दोबारा इस संशोधन विधेयक को विधान सभा में लाएंगे तो लोगों का भला होगा.

श्री गोपाल भार्गव - उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण संस्थाओं के निर्वाचन में जो उम्मीदवार हैं, जो प्रतिनिधि हैं, जो चुने जाना हैं, उनकी जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व तय करने के लिए, समाज और सरकार के प्रति भी उनकी कोई जिम्मेदारी है. इसको संहिताबद्ध करने के लिए यह कानून यहां प्रस्तुत किया गया है. उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मुकेश भाई कह रहे थे और भी हमारे सदस्यों ने कहा कि चुनाव लड़ने से रोक नहीं सकते. मौलिक अधिकार है. भारत के हर योग्य नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार है. लेकिन वर्ष 1993 में जो कानून बना था, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 36 में, पंचायत के किसी पद जैसे पंच, सरपंच, सदस्य, जनपद सदस्य, जिला पंचायत का सदस्य, इन सबके लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की निर्हताएं लिखित हैं. इन अयोग्यताओं में प्रमुख है कि पंचायत का बकायादार न हो, पंचायत तथा सरकार की किसी भूमि या भवन पर अतिक्रमण न किया हो या शासन, पंचायत या किसी सहकारी संस्था में लाभ के पद पर कार्यरत् न हो. ये निर्हताएं पहले से ही वर्ष 1993 के कानून में उल्लेखित हैं.

श्री मुकेश नायक - मंत्री महोदय, बिजली से जोड़कर नहीं देखा जा सकता. पंचायत के बकाया से आशा है बाजार बैठकी का बकाया न हो, चरोखर का बकाया न हो, छोटी घास का अगर उसने कोई सौदा किया हो तो उसका बकाया न हो. बिजली से इसको आप नहीं जोड़ सकते हैं.

श्री गोपाल भार्गव -उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कई माननीय सदस्यों ने देखा होगा,उनका अनुभव होगा, ग्रामीण क्षेत्र में हमारी नल जल योजनाएं चलती हैं. उनमें से बहुत सी बंद भी हो जाती है और बहुत सी काम भी करती हैं. लेकिन हमने देखा कि उनका जो जल कर है वह पंचायतों को अदा नहीं किया जाता. ..

श्री मुकेश नायक—पंचायत की कोई आमदानी नहीं है. कैसे देंगी. ..माननीय मंत्री जी मैं विन्रमतापूर्वक एक लाईन बोलना चाहता हूं ,अभी मध्यप्रदेश की सरकार ने,PHE विभाग ने यह निर्णय लिया है कि पंचायतों की आर्थिक क्षमता बहुत सीमित है. इसके कारण से जो पंचायतों का नल जल योजनाओं का जो बिल है वह PHE विभाग देगा.

श्री गोपाल भार्गव- नहीं नहीं, PHE नहीं देगा. PHE के लिए ग्रामीण विकास विभाग देगा.

श्री मुकेश नायक—उस विभाग के मंत्री बैठे हैं वे एक लाईन में रिएक्ट करदें.

श्री गोपाल भार्गव- वे नहीं, मैं बताऊंगा. 126 करोड़ रूपया ग्रामीण विकास विभाग ने PHE के लिया दिया विद्युत मण्डल के लिए. विद्युत कंपनी के लिये दिया.उन योजनाओं के लिए जो देहात में चल रही हैं, जो पंचायतें नहीं भर सकती उसकी राशि, लेकिन हमने यह कहा था कि किसी गांव की नल जल योजना इस कारण से बन्द नहीं की जायेगी कि उसने विद्युत बिल नहीं पटाया ,इस कारण से एक मुश्त 126 करोड़ पिछले साल और उसके पहले लगभग इतनी ही राशि हमने जमा की और अभी भी हम यह कह रहे हैं कि यदि किसी गांव की नल जल योजना पैसे के अभाव के कारण बन्द कर दी गई तो हमको बता दें...

श्री मुकेश नायक--ग्राम पंचायत रोहनिया,विकास खण्ड शाहनगर, आप लिख लें.

श्री गोपाल भार्गव- अभी करेंट ईयर की राशि भी हम देने वाले हैं , वे एक बार बिल सही न दें, लेकिन जितनी डिमाण्ड उनकी होती है, हम पूरी की पूरी राशि उनको दे देते हैं. इस कारण यदि कोई भी योजना यदि चालू है और उसका बिल आ रहा है तो इस कारण से बन्द नहीं की जायेगी कि उसका बिजली का बिल नहीं पटाया गया. उपाध्यक्ष महोदय, लोकतन्त्र में जहां हमें चुनाव में खड़े होने का, निर्वाचित होने का अधिकार है वहीं हमारी कुछ सामाजिक जिम्मेदारी भी होती है. उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से सदस्य जानते हैं, ग्राम पंचायत में हमारे सरपंच भाई जो हैं . हमारे और भी जो निर्वाचित लोग हैं उनके लिये बड़ी राशि मिलती है, पंच परमेश्वर योजना की, वित्त आयोग की, परफारमेन्स ग्रांट की. हमारे और भी दूसरे जो मद होते हैं उनकी भी राशि मिलती है, रोजगार गारन्टी की राशि भी उनको मिलती है. कई प्रकार की योजनाएं जो चलती हैं उनकी भी राशि मिलती है. सर्व शिक्षा मिशन के जो हमारे स्कूल भवन बन रहे हैं, आंगनवाड़ी भवन हमारे महिला बाल विकास के बन रहे हैं ,वह भी एजेन्सीज ग्राम पंचायत हैं. और हमने देखा है कि पैसा ड्रा कर लिया जाता है लेकिन वह काम नहीं करवाया जाता है और बाद में उसकी RRC जारी होती है, SDM वसूली करते हैं, कभी कभी नहीं भी हो पाती. तो कम से कम एक बात का उत्तरदायित्व तय करने के लिए ,जिम्मेदारी और अकाउन्टेबिलिटी तय करने के लिए कि भाई कम से कम आप पिछला जमा करो तभी आप चुनाव लड़ पाओगे नहीं तो हम चुनाव से आपको बाधित कर देंगे. अब ऐसा होता है कि कई लोग जिनके पास पैसे हैं भी,ट्रेक्टर भी रखे हुए हैं, फोर व्हीलर भी रखे हुए हैं, मोटर साईकल भी रखे हुए हैं लेकिन हजार दो हजार का बिजली का बिल वो अदा नहीं कर रहे हैं, जल कर नहीं दे रहे हैं तो इस कारण से बहुत आवश्यक है कि हम लोगों की एक न्यूनतम जिम्मेदारी तय करें. जहां तक यह आशंका है कि गरीब व्यक्ति कैसे करेगा. मैं यह कहना चाहता हूं कि ये एक्ट पारित हो जाए उसके बाद हम रूल्स बनाएँगे कि किसी भी व्यक्ति को जानबूझ कर बाधित न किया जाय, जिससे वह यदि पात्र है लेकिन वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है , तो हम रूल्स बनाएँगे और रूल्स में हम शर्त डाल देंगे कि यदि बिजली के बिल गलत आएं , जैसा

आपने कहा की तार लाईन नहीं खिंची,ट्रान्सफार्मर नहीं लगा है, लेकिन उसके बावजूद भी बिजली का बिल आ रहा है तो हम नियम बनायेंगे, रूल्स के माध्यम से संशोधन लाएंगें. ..(व्यवधान)

डॉ.रामकिशोर दोगने—उपाध्यक्ष महोदय, यह चुनाव भी सहकारिता जैसा चुनाव हो जाएगा जिसमें पता ही नहीं लगता है और चुनाव हो जाता है. कोई भी डिफाल्टर हो जाता है. (व्यवधान) यह पंचायत चुनाव भी सहकारिता जैसा हो जाएगा और लोग उसका दुरूपयोग करेंगे. (व्यवधान)

श्री सुन्दर लाल तिवारी—उपाध्यक्ष महोदय, रूल्स बनाने की बात कही है. मेरा निवेदन यह है कि कम से कम आज ही उसमें संशोधन कर दें कि बिलो पावरटी लाईन (BPL) में गांव में जो लोग रह रहे हैं उनके लिये ये बिजली के बिल बाध्यता नहीं होगी. ये घोषणा सदन में कर दें. यदि चुनाव लड़ने की उनको पात्रता रहेगी तो.

श्री गोपाल भार्गव- BPL में तो कहीं कहीं ट्रेक्टर वाले भी आ चुके है(व्यवधान)

श्री सुन्दर लाल तिवारी—तो यह सरकार की गलती है. इसके लिए हम क्या करेंगे. सरकार की गलती है. (व्यवधान)

श्री मुकेश नायक – पूरे प्रदेश में यह बात तो हम लोग शुरू से कहते आए हैं कि जिनके पास ट्रैक्टर हैं, जिनके पास जमीने हैं, जिनके पास दुकान हैं, उनके गरीबी रेखा के कार्ड बन गए लेकिन जो वास्तव में गरीब हैं, उनके कार्ड नहीं बने, यह बात आज आपने सदन में स्वीकार कर ली. आप मंत्री भी हैं, आपकी ग्रामीण पृष्ठभूमि भी है. मैं क्षमा चाहते हुए सदन से यह कहना चाहता हूँ कि इस विषय के ऊपर पूरे सदन की सामूहिक चेतना एक है. चाहे बीजेपी के लोग हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे अलग-अलग पार्टियों के, इसमें प्राथमिकता बिल्कुल सही तय होना चाहिए. गरीबी रेखा का कार्ड गरीब आदमी का ही बनना चाहिए और जो ग्रामीण क्षेत्रों में पैसे लेकर कार्ड बनाए जा रहे हैं इस पर अंकुश लगना चाहिए. (व्यवधान)...

श्री गोपाल भार्गव – माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक बिलो पॉवर्टी लाइन की सूची का सवाल है, उसकी समय-समय पर समीक्षा होती रहती है और उसमें जो गलत लोग जुड़ते हैं, उनके नाम को आइसोलेट कर दिया जाता है और नए लोग उसमें एप्लाई करते हैं और हमारा लोकसेवा गारंटी कानून भी इसी के लिए बना है कि जो लोग रह गए हैं, जो वास्तविक गरीब हैं, उनका नाम जोड़ा जाए और जो फर्जी लोग उसमें जुड़ गए हैं, उनके नाम काटे जाएं.

(व्यवधान)...

श्री कमलेश्वर पटेल – उपाध्यक्ष जी, ये नियम नहीं लागू होना चाहिए. (व्यवधान)...

श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल – माननीय उपाध्यक्ष जी, बिजली बिल का यह नियम लागू नहीं होना चाहिए. (व्यवधान)... यह बिल नहीं पास होना चाहिए. (व्यवधान)...

श्री गोपाल भार्गव – जो आपने कह दिया, अध्यादेश है वह आ चुका है. इसमें जो विषय आपने रखना था, रख दिया. आप रोज-रोज टाल रहे हैं. (व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय – बैठ जाएं, विषय से हटकर नहीं बोलें. विधेयक पर ही चर्चा होगी और आप कुछ न बोलें, बैठ जाएं. (व्यवधान)...

श्री कमलेश्वर पटेल – उपाध्यक्ष महोदय, यह पूरी तरह से ग्रामीण जनता के खिलाफ है. वर्तमान में सबसे ज्यादा विवाद बिजली विभाग में हैं, आज किसान सबसे ज्यादा बिजली विभाग से परेशान है. (व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय – आप लोगों ने सुझाव दे दिया, अब ये सरकार के ऊपर है कि वह उसमें शामिल करती है कि नहीं करती है. सुझाव सदन में आ गया है. अब आगे बोलने का क्या है ? अब बीपीएल पर व्यापक चर्चा का कोई अर्थ नहीं है, बैठ जाएं. (व्यवधान)...

श्री शंकरलाल तिवारी – उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन की भावना है.

उपाध्यक्ष महोदय – तिवारी जी, बार- बार क्यों बता रहे हैं सब लोग समझ गये हैं कि भावना है. माननीय मंत्री जी, आप समाप्त करें. (व्यवधान)...

श्री ओमप्रकाश सखलेचा – उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में एक छोटा सा विषय लाना चाहता हूँ कि जब ग्राम पंचायत में सरपंच के अलावा सचिव, जिसको आपने आजकल बहुत अच्छी तनख्वाह दे दी, उसकी क्या जिम्मेदारी है ? और अगर ये सब गलत बीपीएल के कार्ड हैं या आप बोलते हैं कि काम नहीं होते हैं और बकाया राशि की सरपंच से वसूली होती है, सचिव की जिम्मेदारियां क्यों तय नहीं होती हैं ? आप उस कर्मचारी को इतना पैसा दे के सिर्फ गांव में अव्यवस्था फैलाने की खुली छूट दे रहे हैं(XX). (व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय – सखलेचा जी, यह चर्चा का विषय नहीं है आप बैठ जाएं.

(व्यवधान)...

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा – उपाध्यक्ष महोदय, मनरेगा के कारण कई सरपंच और सचिव करोड़पति हो गये हैं. (व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय – कृपा करके बैठ जाएं, यह चर्चा का विषय नहीं है. विधेयक पर चर्चा हो रही है, सुझाव आया है, अब सरकार उसको मानती है कि नहीं मानती. अब आप बैठ जाएं. (व्यवधान)...

श्री बाला बच्चन – मंत्री जी, सुना आपने, आपकी पार्टी के विधायक ने पंचायत सचिव को (XX) बोला है. यह स्थिति है सरकार की. (व्यवधान)...

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा – कई करोड़पति हो गये हैं. (व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय – महेन्द्र सिंह जी, आप तो वरिष्ठतम सदस्य हैं, क्या यह विधेयक का विषय है ? (व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय—बात आ गयी है, वही वही बात बार बार हो रही है.(व्यवधान)

डॉ. नरोत्तम मिश्र-- इस तरह से सदन का समय जाया कर रहे हैं. खाद पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं. आपने सुबह खाद पर चर्चा के लिए कहा था, इसका मतलब यही है कि आप खाद पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं. एक ही विषय को लगातार रिपीट किया जा रहा है, एक ही शब्द को रिपीट किया जा रहा है. जो विषय आपने कहा, वह मंत्री जी के ध्यान में आ गया उसके बाद में चर्चा को आगे बढ़ने दें. (व्यवधान)

श्री सुन्दरलाल तिवारी—हम सार्थक चर्चा चाहते हैं. अब आप सदन बढ़वाना चाहते हैं . (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय—तिवारी जी बैठ जाएं.(व्यवधान) अब आप मंत्री जी का जवाब सुन लें.अब आप लोगों ने ही खाद के ऊपर चर्चा मांगी है जब समय जाया करेंगे तो चर्चा कैसे हो पाएगी. बैठ जाएं. मंत्री जी का समाप्त होने दें.

श्री गोपाल भार्गव—उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन जो लाया गया है यह सिर्फ चुनाव के लिए है, इसमें सचिव का विषय नहीं है यह तो क्या योग्यता ,अर्हता क्या होना चाहिए, निर्हताएँ क्या होना चाहिए, इसके लिए है लेकिन मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कोई भी सदस्य, या कोई भी नागरिक जो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है इस बात को लेकर के वंचित नहीं किया जाएगा कि वह बिजली का बिल यदि वास्तव में उसने अदा किया हो.

श्री सुन्दरलाल तिवारी- यह वास्तव क्या है, परिभाषित हो,(व्यवधान) यह तय कौन करेगा मंत्री जी, वास्तव में क्या है (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य—किसान की झोपड़ी में ये दस हजार का बिजली का बिल लेकर के घूम रहे हैं, वह कैसे पटायेगा, जिन्दगी भर वह बिल नहीं पटा सकता.(व्यवधान)

श्री सुन्दरलाल तिवारी—इतनी बड़ी तानाशाही नहीं होनी चाहिए. गरीब का अधिकार न छीनें. गरीब को अधिकार मिले(व्यवधान)

श्री गोपाल भार्गव—अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह विश्वास दिलाता हूँ कि कोई भी योग्य व्यक्ति चुनाव लड़ने से वंचित नहीं रहेगा.

उपाध्यक्ष महोदय—कृपया बैठ जाएं. इस विधेयक पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाए, मैं समझता हूँ सदन इससे सहमत है.

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

श्री रामनिवास रावत—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय मंत्री जी से बात हो चुकी है, आज की कार्यसूची के अंतिम विषय भी आज ही प्रारम्भ होना चाहिए.

डॉ. नरोत्तम मिश्र—कैसे चलेगा यदि आप रिपीट करते जाएंगे किसी भी विषय को. आधे घंटे से आप इस तरह से एक ही विषय को यहां रिपीट कर रहे है(व्यवधान)

श्री रामनिवास रावत—किसी बात को रिपीट नहीं कर रहे हैं. हमने केवल एक निवेदन किया है (व्यवधान)

श्री जितू पटवारी—उपाध्यक्ष महोदय, अगर खाद के मुद्दे पर आज बहस नहीं करायी गयी तो मैं इस सदन में ही सारे विधायकों के साथ भूख हड़ताल पर बैठूंगा कल तक, जब तक यह बात नहीं चालू होगी.तीन दिन लगातार हो गए खाद के मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए(व्यवधान)

डॉ. नरोत्तम मिश्रा—ये जानबूझकर सदन का समय जाया कर रहे हैं, इस तरह धमकी दे रहे हैं. आपको हड़ताल पर बैठना है तो बैठ जाओ,कौन मना करता है(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय—कृपया आप लोग बैठ जाएं(व्यवधान) देखिये पटवारी जी उत्तेजित मत होइये (व्यवधान)

4.59 बजे अध्यक्ष महोदय(डॉ.सीतासरन शमा) पीठासीन हुए

श्री सुन्दरलाल तिवारी—यह सरकार गरीब को भी चुनाव से वंचित करना चाहती है. यह क्या है.

श्री जितू पटवारी—खाद और बिजली पर चर्चा होगी.

श्री गोपाल भार्गव—अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस विधेयक को पारित किया जाए(व्यवधान)

4.59 बजे **बर्हिगमन**

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज(संशोधन)विधेयक,2014 पर माननीय मंत्री जी के उत्तर से असंतुष्ट होकर इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन

श्री मुकेश नायक(पवई)—अध्यक्ष महोदय, हम लोग इससे सहमत नहीं हैं इसलिए हम इसके विरोध में सदन से बहिर्गमन करते हैं.

(मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज(संशोधन)विधेयक,2014 पर माननीय मंत्री जी के उत्तर से असंतुष्ट होकर इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन किया गया)

(व्यवधान)

...(व्यवधान)...

श्री शंकरलाल तिवारी-- दिन में छह बार बहिर्गमन करते हो, बार-बार जबर्दस्ती का बहिर्गमन करते हो, अभी फिर लौटकर चले आओगे

एक माननीय सदस्य-- बहिर्गमन से कुछ होता नहीं है फेस करो...(व्यवधान)...

डॉ. नरोत्तम मिश्र-- खाद पर चर्चा शुरु कर रहे हैं आ तो जाओ.

अध्यक्ष महोदय-- प्रश्न यह है कि **मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम-स्वराज(संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय.**

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अध्यक्ष महोदय—अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा.

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 में इस प्रकार संशोधन किया जायः-

खण्ड 2 के उपखण्ड(एक) में मद (ग घ) में शब्द- **या"**; के पश्चात निम्नांकित शब्दावली स्थापित की जाए,**अर्थातः-**

"जिसके नाम से किसी भी प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था जिसके क्षेत्र में पंचायत स्थित हो , उस पंचायत के निर्वाचन की घोषणा की तारीख पर कोई कालातीत ऋण बकाया हो."

संशोधन स्वीकृत हुआ.

अध्यक्ष महोदय-- प्रश्न यह है कि यथासंशोधित खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बने.

यथासंशोधित खण्ड 2 विधेयक का अंग बना.

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने.

खण्ड 3 इस विधेयक का अंग बना.

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री गोपाल भार्गव—अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि **मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम-स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय.**

अध्यक्ष महोदय-- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि **मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम-स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय.**

प्रश्न यह है कि **मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम-स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय.**

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

विधेयक पारित हुआ.

श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा—इसमें आप बीपीएल के लोगों को एक्जम्प्ट कर दीजिये.

अध्यक्ष महोदय-- अविलंबनीय लोक महत्व की चर्चा हेतु सांय 5.30 तक सदन के समय में वृद्धि की जाय. मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है.

सहमति प्रदान की गई.

5.04 बजे **नियम 139 के अधीन अविलम्बीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा**

प्रदेश में यूरिया, डी.ए.पी. और अन्य खाद की कमी एवं कालाबाजारी से उत्पन्न स्थिति

अध्यक्ष महोदय--- आप चर्चा तो प्रारंभ कर दें. अब प्रदेश में यूरिया ,डीएपी और अन्य खाद की कमी एवं कालाबाजारी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री रामनिवास रावत,सदस्य चर्चा प्रारंभ करेंगे.

श्री रामनिवास रावत(विजयपुर)-- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में रबी की फसल का समय है, हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और किसान हमारा अन्नदाता है. पिछले वर्ष काफी अच्छी फसल पैदावार हुई थी लेकिन प्राकृतिक प्रकोप, ओलावृष्टि ,अतिवृष्टि के कारण किसान पहले से ही काफी पीड़ित हो गया . माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बार अवर्षा के कारण किसान को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है,अवर्षा के कारण खेती कमजोर हो गई है और जैसे तैसे लोगों ने मेहनत-मजदूरी करके खेत मे कुछ बीज डाल लिया है लेकिन वह भी सरकार की कृपा से पूर्णतः नष्ट होने की कगार पर है. यह स्थिति हो गई है कि अब खेती पूरी तरह रासायनिक खाद पर निर्भर हो गई है अगर रासायनिक खाद नहीं है तो कृषि में उत्पादन नहीं हो सकता है प्रदेश में जिस तरह

से इस वर्ष किसानों को खाद के लिए भुगतना पड़ रहा है. किसान को खाद के लिए परेशान होना पड़ रहा है. मैं समझता हूं कि आज से पहले ऐसी स्थिति प्रदेश में कभी नहीं बनी. अध्यक्ष महोदय, पूर्व में जो व्यवस्था थी कि किसानों को सहकारी सोसायटियों के माध्यम से खाद दिया जाता था लेकिन उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है, सहकारी सोसायटियाँ खाद का बकाया नहीं पटा पा रही है और सरकार ने उनके जो जीरो परसेंट ब्याज पर ऋण देने की बात की थी वह उस अवधि से निकल जाने के कारण वह ब्याज शुरु हो गया है और सरकार ने वह ब्याज पटाया नहीं है तो इस बार विपणन संघ सहकारी सोसायटियों को खाद नहीं दे रहा है. सहकारी सोसायटियों के माध्यम से खाद का वंटन भी नहीं हो पा रहा है. अध्यक्ष महोदय, बाजार में खाद की कोई कमी नहीं है बाजार में खाद पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है लेकिन सरकार द्वारा अभी तक खाद की कोई व्यवस्था नहीं की गई है. जहाँ यूरिया का निर्धारित रेट 285 रुपये है वहीं किसान को मजबूर होकर बाजार से यह 400 से लेकर 500 रुपये तक यूरिया खरीदना पड़ रहा है और किसान कैसे खरीद रहा है. आपकी सहकारी बैंकों ने ऋण देना बंद कर दिया. कहीं कहीं तो यह स्थिति है कि कुछ सहकारी सोसायटियाँ, जिनका 50 प्रतिशत से अधिक किसानों ने ऋण चुका दिया है. उन्होंने भी ऋण देना बन्द कर दिया. आपने किसान क्रेडिट कार्ड देना बंद कर दिया. इसी तरह से डीएपी की स्थिति है 1187 का जो निर्धारित रेट है उसकी तुलना में लगभग 1250 से लेकर 1400 रुपये की खाद किसान को मिल पा रही है. अगर यह हम कहें तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी कि कम से कम 200 करोड़ रुपये से ऊपर की कालाबाजारी, 200 करोड़ रुपये से ऊपर की मुनाफाखोरी, आप सबके जानते हुए, इस सरकार की निष्क्रियता और किसान विरोधी नीतियों के चलते हुए 200 करोड़ रुपये से अधिक की मुनाफाखोरी पूरे मध्यप्रदेश में हुई है और यह पैसा पूरा किसान की जेब से गया है. (शेम शेम की आवाज) किसान खाद लाने के लिए कहीं कहीं अपने जेवर गिरवी रखे हैं, कहीं कहीं उन्होंने अपना मकान गिरवी रखा है, कहीं कहीं उन्हें जमीन गिरवी रखनी पड़ रही है, यह स्थिति पूरे प्रदेश में बनी हुई है.

अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ ही दिन पहले सरकार ने कृषि रथ यात्रा निकाली. कृषि महोत्सव मनाया, 25 दिन तक खूब पैसे खर्च किए, आपने अपना खूब प्रचार-प्रसार किया. हमें अच्छा लगता कि इस सारी राशि को किसान के हित में लगा देते और खाद की कमी को दूर करने के लिए आप व्यवस्था करते तो निश्चित रूप से हम आपको धन्यवाद देते.

अध्यक्ष महोदय, सहकारी बैंकों के माध्यम से आप खाद दे नहीं पा रहे हैं. विपणन संघ सहकारी बैंकों को खाद दे नहीं पा रहा है और खाद की कमी भी निरंतर बनी हुई है. मैं समझता हूँ कि मध्यप्रदेश में हर फसल के लिए आप खाद की मांग का आंकलन करते हों. अपने अधिकारियों के माध्यम से आप मांग बुलवाते हों तो इस बार मेरी जानकारी के अनुसार लगभग 6 लाख 74 हजार मैट्रिक टन यूरिया की आवश्यकता पूरे मध्यप्रदेश के किसानों को थी और अभी तक जो आवंटन सरकार को प्राप्त हुआ है. जो आवंटन आप लाने में सफल रहे हैं, आपकी निष्क्रियता के कारण कम खाद मिल पाया है, उसकी मात्रा लगभग 3 लाख टन है. ऐसी स्थिति में किसानों को बाजार से खाद खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा है. आप बता रहे हैं कि बोवनी घटी है लेकिन यूरिया की खपत बढ़ी है. खाद के लिए पूरे प्रदेश में हाहाकार हो रहा है. मुरैना, देवास, में बरसी लाठियाँ. अंबाह में चक्काजाम. इस तरह की खाद की स्थितियाँ बनी हुई हैं. खाद के लिए प्रदेश में खाद की लूटपाट हो रही है. कहीं कहीं पुलिस थानों में आप किसानों की लाइन लगवाते हों. पुलिस थानों में खाद बँटवा रहे हों, कहीं कहीं पुलिस की व्यवस्था में आप खाद बँटवा रहे हों और यह स्थिति है कि लोगों को 2-2 दिन तक लाइन में लगना पड़ रहा है. लोग परेशान हो जाते हैं तो महिलाओं की भी लंबी लंबी कतारें खाद के लिए लगी हुई हैं और यही कारण है कि प्रतिदिन इस प्रदेश में 5-6 किसान आत्महत्या कर रहे हैं. उसके लिए सरकार जिम्मेदार है. आज से कुछ समय पहले जब केन्द्र में यूपीए की सरकार थी. खाद की थोड़ी सी भी कमी आ जाती थी तो पूरी सरकार की आत्मा जाग उठती थी. किसान के बेटे उधर बैठे हुए हैं. किसान के बेटों की आत्मा जाग उठती. सरकार उपवास पर बैठ जाती. सरकार धरने पर बैठ जाती. सरकार आन्दोलन के लिए तैयार हो जाती. लेकिन आज कहाँ

गई किसान के बेटों की आत्मा. जब खाद के लिए किसान दर दर भटक रहा है. आप किसान का मजबूरी में शोषण करा रहे हों. किसान को आप व्यापारियों के माध्यम से लुटवा रहे हों और पूरे प्रदेश में कालाबाजारी...

श्री कैलाश विजयवर्गीय-- अध्यक्ष महोदय, ये आपकी तरफ देख कर बोलें मेरी तरफ देख कर बोल रहे हैं मैं डर रहा हूँ. उधर देख ही नहीं रहे हैं.

श्री रामनिवास रावत-- आपका कोई उर्वरक उत्पादक मित्र ही नहीं है....

श्री कैलाश विजयवर्गीय-- आप अध्यक्ष जी की तरफ देखिए मेरी तरफ देख रहे हैं चंबल के लोग मेरी तरफ देखते हैं तो मैं डर जाता हूँ.

श्री रामनिवास रावत-- उर्वरक उत्पादक आपका कोई मित्र नहीं है.बात चल रही थी पिछले वर्षों में जब केन्द्र में यूपीए की सरकार थी तब खाद की जरा सी कमी होती थी तो आप पूरे मंत्रिमंडल सहित उपवास पर बैठ जाते थे लेकिन आज कहां गये माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी कहां गये किसान के बेटे कहां गई उनकी आत्मा. वे देख नहीं पा रहे हैं उन्हीं के अपने क्षेत्र में किस तरह से खाद प्राप्त करने के लिये लोग पुलिस के डंडों से पिट रहे हैं. खाद की मुनाफाखोरी हो रही है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है मैं आपकी तरफ (श्री कैलाश विजयवर्गीय) इसलिये देख रहा हूँ क्योंकि हो सकता है बहुत जल्दी आपको व्यवस्था सम्हालनी पड़े.

अध्यक्ष महोदय, कई जगहों पर किसानों पर बल प्रयोग किया गया है, कई जगह किसानों पर प्रकरण दर्ज किये गये हैं किसान की बड़ी बुरी हालत है. चाहे बिजली विभाग के कर्मचारी हों चाहे खाद बांटने वाले कर्मचारी हों किसान अगर ऊंची आवाज में अपने अधिकार की बात कर देता है कि खाद प्राप्त करना मेरा अधिकार है या जो बिजली मैंने नहीं जलाई उसका बिल नहीं देना मेरा अधिकार है तो उस पर प्रकरण कायम कर दिया जाता है पुलिस के डंडों से पिटाई की जाती है. खाद की कमी के लिये सरकार कतई गंभीर नहीं है. अभी तक आपने राशन की दुकान पर महिलाओं की लाइन देखी होगी लेकिन सोमवार को रायसेन जिला मुख्यालय स्थित जिला विपणन कार्यालय में

खाद के लिये महिलाओं की लंबी-लंबी कतारें लगीं खाद की फिर किल्लत हुई , जैसे जैसे महिलाओं की संख्या बढ़ती गई कतार लंबी होती गई और देखते देखते सैंकड़ों से ऊपर महिलाओं की लाइन लग गई. रायसेन जिले में 57 हजार मीट्रिक टन की खाद की कमी बताई गई है.

श्री कैलाश जाटव—अध्यक्ष महोदय, रावत जी पेपर के समाचार पढ़ रहे हैं कोई सरकारी डाक्यूमेंट लायें प्रस्तुत करें.

श्री रामनिवास रावत—सरकारी डाक्यूमेंट हैं मैंने बता दिया है कि 6 लाख 87 हजार की मांग आई थी अब तक केवल 3 लाख मिला है. आप ही के मंत्री का कहना है कि रोज 8 रेक यूरिया खाद की जरुरत है लेकिन केवल 5 रेक खाद मिल पा रही है 3 रेक खाद की रोज कमी है. आप स्वयं सोच सकते हैं कि खाद की कितनी कमी है. आपके कृषि विभाग ने जो खाद खरीदा उसमें करोड़ों का घोटाला हुआ जिस खाद की जरुरत ही नहीं थी सुपर फास्फेट का ज्यादा भंडारण आपने करा दिया मार्कफेड की सोसायटियों में आपने इसको डंप करा दिया.

अध्यक्ष महोदय, मैं इस सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सभी लोग खेती किसानी से संबंधित लोग हैं आप अपनी आत्मा को जगाएं आप अपनी आत्मा को कहें कि इस प्रदेश का किसान दुखी न रहे अगर प्रदेश का किसान दुखी रहेगा, सरकार का पूरा दायित्व था जब मार्केट में पूरा खाद उपलब्ध है तो कम से कम निर्धारित रेट पर आप खाद बिकवाने की व्यवस्था करते. जब तक आप खाद उपलब्ध नहीं करा पा रहे तब तक क्या आप अपने अधिकारियों को खाद की लायसेंस प्राप्त दुकानों पर पाबंद नहीं कर सकते थे जिससे निर्धारित रेट पर किसानों को बाजार से खाद से मिलता. यह व्यवस्था करने का आप काम करते तो हमें खुशी होती. मेरे विधान सभा क्षेत्र में किसान राजस्थान से खाद ला रहे हैं यह स्थिति है कि खाद नहीं मिल पा रहा है 400-400, 500-500 रुपये में यूरिया खरीद रहे हैं. हम अधिकारियों को बोलते हैं कि आपके जो खाद विक्रेता हैं उनसे निर्धारित रेट पर खाद दिलवा दें तो वे कहते हैं यह हमारी जवाबदारी नहीं है.

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्रीजी स्वयं और जो भी लोग अपने आप को किसान का बेटा कहते थे मैं तो यही कहूंगा कि कहां मर गया है उनका जमीर कहां सो गई है उनकी आत्मा आज प्रदेश का किसान परेशान हो रहा है खाद, बिजली, अमानक बीज और उसके साथ-साथ बाजार से जो खाद मिल रहा है वह भी काफी अमानक स्तर का मिल रहा है इसकी जांच मंत्रीजी ने नहीं करवाई है इसकी जांच करवानी चाहिये. किसान चारों तरफ से पीड़ित है किसानों को आत्महत्या करने के लिये, किसानों को गरीबी में धकेलने के लिये यह सरकार जिम्मेदार है हम चाहते हैं कि आप इसके लिये मांग करें और आप इसमें आंदोलन करें पूरा विपक्ष आपको आंदोलन में साथ देने के लिये तैयार है लेकिन आपकी आत्मा सोई हुई है आप चुनाव जीतने के दंभ में मध्यप्रदेश की जनता व मध्यप्रदेश के किसानों को पूरी तरह से भूल गये हैं किसान आपको बहुत जल्दी सबक सिखायेंगे.

अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, धन्यवाद.

डॉ गोविन्द सिंह (लहार) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले अनेक वर्षों से जबसे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब से एकाध वर्ष ही ऐसा होगा जब प्रदेश में खाद का संकट नहीं आया हो। आखिर यह खाद का संकट क्यों आता है, सरकार ने कभी न तो इस पर गंभीरता से विचार किया और न ही कभी कोशिश की । मैंने पूर्व में प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय जो नीति थी उसको भी मैंने रखा लेकिन उस पर सरकार ने कोई अमल किया । मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप करोड़ों रूपये के विज्ञापन निकाल रहे हैं " अन्नदाता न हो परेशान, हम आपकी मदद को हैं तैयार " एक सवा लाख रूपये तो मध्यप्रदेश में कर्जा जो गया और करोड़ों रूपये आपने विज्ञापन पर खर्च कर कर रहे हो " गेंहूं और चने की बोनी के समय इस्तेमाल होने वाली यूरिया, डीएपी और कंपोज्ड खाद की कोई कमी नहीं , भारत सरकार से लगातार मिल नहीं है यूरिया की रेक , अफवाहों पर ध्यान न दें " जब आप लगातार रोजाना विज्ञापन छपवा रहे हो तो आज यह स्थिति क्यों आ रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले वर्ष भी यही हालत थी, पिछले वर्ष भी डीएपी यूरिया की कमी है और इसकी कमी आज भी बनी हुई है। वर्ष 2013-14 में पूरे मध्यप्रदेश के लिये 10 लाख मीट्रिक टन यूरिया की मांग सरकार ने की थी। लेकिन आपको 8 लाख मीट्रिक टन यूरिया मिला, दो लाख टन फिर भी कम मिला, जब पिछले वर्ष भी कम मिला तो आपको पहले से ही कोई न कोई योजना पहले से तैयार करना चाहिये थी। मैं केवल भिण्ड जिले का उदाहरण देना चाहता हूं , इस वर्ष भिण्ड जिले में अभी तक मांग 7000 मीट्रिक टन की थी लेकिन मिली है , अभी तक मिला है 1200 मीट्रिक टन । डीएपी की मांग थी 10500 मीट्रिक टन लेकिन मिला है ,लेकिन अभी तक मिला है 8885 मीट्रिक टन ।

अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष गर्मी अधिक पड़ने से सरसों की फसल 50 प्रतिशत कम से कम होती थी, किसानों ने बीज बोला गर्मी अधिक पड़ने से फसल नष्ट हो गयी । फिर पानी आने के बाद लोगों ने पलेवा किया , फिर गर्मी पड़ी तो सरसोंजल गयी । अब इस सरसों की फसल जलने के कारण पूरा इलाका था वहां केवल 20 प्रतिशत सरसों का इलाका बचा है। अब 80 प्रतिशत ईलाके में गेंहू बोना है ।अब गेहूं बोना है तो खाद की डिमाण्ड ज्यादा हो गयी । अभी चार दिन पूर्व तक भिण्ड जिले में अकेले 7000 मीट्रिक टन खाद की आवश्यकता है, 5000 मीट्रिक टन डीएपी की आवश्यकता है। जब पहले ही आप इसकी मांग पूरी नहीं कर पाये तो अब आप कैसे करेंगे। किसान कैसे बो सकेंगे , कैसे गेहूं कि फसल ले सकते हैं। यह विचारणीय प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले वर्ष जो नीति थी, उस समय मैं सहकारिता मंत्री था उस समय की योजना जानबूझकर राजनीतिक क्षणयंत्र के कारण या व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के कारण इन्होंने योजना बदल दी । अध्यक्ष महोदय, पहले यह था मध्यप्रदेश सरकार मार्केटिंग फेडरेशन को पूरे वर्ष के लिये सरकार अपने फण्ड से पैसा देती थी वह भी चार वर्ष के लिये बिना ब्याज का । सरकार उससे कोई ब्याज नहीं लेती थी । सरकार जब पैसा देती थी तो मार्केडिंग फेडरेशन पूरे प्रदेश की मांग बुलाकर और प्रत्येक सोसायटी की मांग अनुसार खाद बुलाकर 15 अप्रेल तक भर

देती थी। जैसे ही सीजन आता था उस समय खाद वितरण होता था , कभी कमी नहीं आती थी । उस समय एक नीति और बनायी थी उस समय यह तय था कि जो खाद कम्पनियों से खरीदतें है, मध्यप्रदेश को मिलने वाली खाद में , उसमें 80 प्रतिशत खाद सोसायटी को जाता था । उसमें से केवल 20 प्रतिशत व्यापारियों को जाता था । ताकि पहले सोसायटियों की पूर्ति हो, ताकि खाद किसानों को मिल सके। जब से यह सरकार बनी है तो क्या मजबूरी थी उस समय गोपाल भार्गव जी मंत्री थे, मैंने निवेदन भी किया था. क्या षड़यंत्र था, क्यों व्यापारियों को लाभ पहुंचाया ? आप पूरा खरीदिये. व्यापारियों को पूरी छूट दीजिए. कोई प्रतिबंध नहीं लगाईये क्योंकि जानबूझकर व्यापारी पहले खाद भर लेते हैं.

श्री गोपाल भार्गव – आप रिकार्ड उठाकर देख लें. पहले 100 परसेंट प्रायमरी सोसायटियों से करवाता था. फिर 80-20 हुआ.

डॉ.गोविन्द सिंह - अब क्यों हो रहा है.

श्री रामनिवास रावत - अब नहीं हो रहा है ना. क्यों बीच में बोल रहे हो.

श्री गोपाल भार्गव - मेरे नाम का उल्लेख हुआ इसलिये बोल रहा हूं.

श्री जितू पटवारी – अब तो यह डिपार्टमेंट भी आपके पास है. अब तो स्वतंत्र हैं इसके बाद क्यों नहीं हो पा रहा.

डॉ.गोविन्द सिंह - मेरा आपसे अनुरोध है सरकार से भी अनुरोध है. इस बात की नीति लागू कर दें जो ब्याज आप किसानों को दे रहे हैं उससे किसान ले नहीं पा रहे. आप पहले से खरीदने के लिये मार्केटिंग फेडरेशन को पैसा दे दें लेकिन उनके पास राशि नहीं है. तो अगले वर्ष से शोर नहीं मचेगा. हमारा आपसे अनुरोध है कि इस प्रकार आप करें. दूसरा कारण यह है कि पहले जो 80-20 था. 80 परसेंट सोसायटी और व्यापारियों के लिये 20 परसेंट जो था कि उनको 20 परसेंट से अधिक मिलेगा नहीं. आज व्यापारी खुले आम बेच रहे हैं मनमाने तरीके से और सोसायटियां खाली पड़ी हैं और हमारा तो सीधा आरोप है कि जानबूझकर खाद का संकट पैदा किया जाता है ताकि

व्यापारियों को लाभ मिले और सरकार में जो बैठे हैं उनको कमीशन मिले. कमीशन के चक्कर में किसानों को लूटा जा रहा है. इसका कारण यह है कि जीरो परसेंट पर लोन दे दिया किसानों को लेकिन आपने उनको राशि नहीं दी. इसलिये सोसायटियां डिफाल्टर हो गईं. आपके जिले में भी अध्यक्ष जी, यह स्थिति होगी. हरदा,होशंगाबाद में किसान नर्मदा में बैठकर जल सत्याग्रह कर रहे हैं. नगद खाद देने पर भी सोसायटियों में रोक है. वे खाद ही नहीं दे रहे. एक तो किसान को खाद इसलिये नहीं मिल रहा कि सोसायटियां डिफाल्टर हो गईं. किसान डिफाल्टर इसलिये हो गया क्योंकि उसको ब्याज का पैसा नहीं मिला. दूसरी बात अगर किसान नगद भी खाद लेना चाहे तो सोसायटियों के पास नगद देने के लिये खाद ही उपलब्ध नहीं है . पहले मार्केटिंग सोसायटियों को दे देते थे कि वे नगद खाद बेचें. आज अधिकांश कलेक्टरों ने मार्केटिंग सोसायटियों पर नगद बेचने पर रोक लगा दी तो आखिर किसान जाए कहां. यह स्थिति है तो किसान मजबूरी में व्यापारियों के पास जा रहा है. भिण्ड जिले में उत्तर प्रदेश में डीएपी खाद आया. पकड़ गया जांच हुई तो काली मिट्टी के छोटे-छोटे दाने बनाकर डीएपी सप्लाई कर दिया. इसलिये हमारा आपसे अनुरोध है कि अगर आप लगातार दो वर्षों से कृषि कर्मण पुरस्कार भारत सरकार से प्राप्त कर रहे हैं. आप कृषि की विकास दर का ढिंढोरा पीट रहे हैं. क्या आप इस नीति के चलते अगले वर्ष भी कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त कर सकेंगे ? इसलिये हमारा आपसे अनुरोध है कि किसानों की सुरक्षा के हित में आप नीतियां बदलें. कमीशन बहुत है लूटने के लिये. लूट रहे हैं. पूरा प्रदेश तो तो लूट लिया अब किसानों को तो कम से कम छोड़ो. सोसायटियों को खाद दो ताकि किसान समय पर अपना गेहूं,सरसों बो सकें. इसी के साथ हम आपसे पुन: अनुरोध करते हैं कि आप किसानों के हित में पूर्व से स्टाक करें. सोसायटियों को नगद बेचने की छूट दें. जिस किसान के पास पैसा होगा खरीद लेगा और अपना गेहूं,सरसों बो सकेगा. आपने बोलने का समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद.

श्री जितू पटवारी(राऊ) – आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि यह बात जब मैं कहने लगूं तो आप लोग इस भावना से न देखें. मैं किसान पुत्र हूं.

पहली बार ही मैंने कहा था. अध्यक्ष जी भी किसान हैं बड़े हैं अलग बात है और जितने यहां सदन में सदस्य बैठे हैं उसमें भी 90 परसेंट किसानी से जुड़े हुए लोग हैं और यह भी सच है कि आज चौथा दिन है सदन चलते हुए और बीजेपी के कई विधायकों ने मुझसे यह अलग-अलग बात की कि यार यूरिया और खाद की इतनी किल्लत है आप कांग्रेस के विधायक हो हम तो बोल नहीं पा रहे हैं तुम तो बोलो.

श्री बहादुर सिंह चौहान – जितू भईया नाम बताईये.

(..व्यवधान..)

डॉ.गोविन्द सिंह – बहादुर सिंह जी हैं बहादुर सिंह जी ने कहा.

श्री जितु पटवारी (जारी)—मुझे इस बात पर दुःख हो रहा है कि जैसा कि मैंने प्रार्थना की है केवल विरोध के लिये विरोध नहीं कर रहा हूं. मैं कांग्रेस का व्यक्ति हूं इसलिये मेरा विरोध हो रहा है अपनी आत्मा से बोल रहा हूं अगर मैं कुछ गलत कहूं तो मुझे बोलना अगर गलत बोलूं तो विरोध करना. हर सरकार की मंशा होती है कि मेरे प्रदेश के रहने वाले लोगों को मैं ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें दूं और खास कर मध्यप्रदेश सरकार की नियति उनके विज्ञापनों से, उनके भाव से, उनकी घोषणाओं से और मुख्यमंत्री जी के भाषणों से हमेशा दिखती है कि किसान का हित में जितना कर सकता हूं मेरे लिये सबसे पुण्य की बात हो सकती है उन्होंने किसान को भगवान माना है. उन्होंने किसानों के लिये अलग अलग प्रकार की घोषणाएं की हैं. जीरो प्रतिशत ब्याज की बात कही है और इसमें जितनी भी वाहवाही लूटी उससे कम नहीं हुई और सरकार बनने में भी उनकी सहायता हुई. आज जो स्थिति है वह यह है कि राजतंत्र का समय था जब से लेकर के आज तक ईमानदारी से कोई एक विधायक खुद छोड़ दो हम राजनीतिक लोग हैं हमारा प्रभाव होता है और हम उन्नति कर लेते हैं. 80 प्रतिशत किसान पूरे देश में जिसकी 20 बीघा जमीन थी उनकी 19 हुई है, 21 बीघा नहीं हुई है, यह स्थिति प्रदेश और देश के किसानों की हुई है. अब रही बात किसान के खाद की, यूरिया की और उनको जितनी भी तकलीफें आ रही हैं उसकी मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि यह

दुर्भाग्य है कि तीन तीन बार मध्यप्रदेश की सरकार को अवार्ड मिला, किसानों के दम पर ही अवार्ड मिला. हमेशा खाद सरलता से उपलब्ध हुआ, हमेशा मावठा गिरा हमें समय मिला उस समय की परिस्थितियां और थीं आज सरकार के सामने संकट आया है उसमें भगवान जी ने मेहरबानी नहीं की. हमे पिछले छः साल का रिकार्ड हम देखेंगे जब बिजली की आवश्यकता होती है, जब पानी गिर जाता है, खाद की परिस्थितियां बनती हैं तब कुछ न कुछ इनको सहायता मिलती है. आपकी एक बार परीक्षा की घड़ी आई उसमें आप फेल हो गये. जिस तरह से मध्यप्रदेश में ओला पड़ा तब मुख्यमंत्री जी ने पैसे के लिये धरने तथा उपवास देने की बात कही थी, पाला गिरा, अति वर्षा हुई अलग अलग प्रकार से संकट इतना बड़ा कि जितना आज किसान रो रहा है शायद ही इससे पहले 10-20 साल में किसान इतना ज्यादा परेशान हुआ होगा. हर बार मुख्यमंत्री जी जिस तरीके की घोषणा करते हैं और जिस तरीके की बात कहते हैं और जैसा कि अभी सम्मानित सदस्यों ने भी कहा कि खाद की किल्लत नहीं है. पहली बार ऐसा हुआ है कि किसान ने घरवाली को खाद खरीदने के लिये भेजना पड़ा इसलिये कि मेरे ऊपर मुकदमा हो जाएगा, महिला रहेगी तो बच जाएगी महिला के ऊपर कोई मुकदमा नहीं करेगा, महिला के ऊपर कोई डंडा चलाएगा. मध्यप्रदेश के इतिहास में पहले तो ऐसा नहीं हुआ है चाहे किसी की भी सरकार रही हो. मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि मध्यप्रदेश में खास कर आलू, प्याज, लहसुन, सोयाबीन, गेहूं की फसल और ज्यादातर कपास की फसलें पैदा होती हैं इस साल सबके रेट आधे के लगभग हो गये हैं. पिछले साल सोयाबीन 4500 रूपये थी, आज 2500 हो गई है. धान का समर्थन मूल्य डेढ़ से दो हजार रूपये गिर गया, कपास का रेट भी आधा हो गया. जिस तरह से किसानों को चौतरफा मार पड़ी है और सरकार सोई हुई है, वाहवाही लूटने में लगी हुई है. इनके मंत्री कैलाश जी जमीन से जुड़े हुए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरी बात पर ध्यान देंगे तो मैं संसदीय मर्यादाओं को जल्दी से सीख पाऊंगा मेरा अनुरोध यह है कि इन्दौर,बेतमा,हातोद में आपके निर्वाचन क्षेत्र में जब डंडे चले और तो बहुत दूर की बात है कि राऊ जिताकर के आएं हैं वहां पर भी डंडे चले. मेरा आपसे अनुरोध यह है कि आपने एक बार भी

यह क्यों नहीं कहा कि खाद की आपूर्ति कर देता हूं, इस बात का क्यों नहीं एक भी मंत्री को ख्याल आया. कृषिमंत्री जी का बयान आया हमने चिट्ठी लिख दी है, मुख्यमंत्री जी बात आई तो हमने चिट्ठी लिख दी है, यह बयान है. आपके चिट्ठी लिखने के और धरना देने की बात करते थे इसके पहले आप उपवास करने की बात करते थे और अब चिट्ठी लिखने की बात करते हैं. कल से बात करने लग जाएंगे कृषि मंत्री जी से फोन पर बात हो गई है. आपसे अनुरोध है कि बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, लागत मूल्य खेती का बढ़ रहा है और ऐसे में यूरिया और खाद की कमी हो रही है और मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से प्रदेश और देश को एक तरह से (XX) बनाया है इन सारी परिस्थितियों में.

श्री यशपाल सिंह सिसोदिया—अध्यक्ष महोदय, (XX) कहा जा रहा है, यह असंसदीय भाषा है.

श्री रणजीत सिंह गुणवान—यह (XX) तो बोलते ही नहीं हैं.

(व्यवधान)

श्री जितु पटवारी—काका आप रिश्तेदारों की बातों को भूल गये हैं.

(व्यवधान)

श्री जितू पटवारी--माननीय अगर आप अनुमति दें, तो मैं एक लिस्ट लेकर आया हूं मध्यप्रदेश में जितने डिस्ट्रिब्यूटर हैं संभागवाइज और जिले के वह भारतीय जनता पार्टी के या तो नेता होंगे या उनके रिश्तेदार होंगे यूरिया के. आप चाहो, तो मैं पटल पर रख सकता हूं आपकी अनुमति हो तो यह.

अध्यक्ष महोदय--नहीं, आपने कोई कोई अनुमति नहीं ली.

श्री जितू पटवारी--और आप एक और अनुमति ..(व्यवधान).

श्री कालू सिंह ठाकुर--कांग्रेस में तो कोई है ही नहीं व्यापारी एक भी लायसेंस नहीं है आप लोगों का. (व्यवधान).

श्री जितू पटवारी--अरे भैय्या, हमें फिर अनुमति दिला दो, दिलाओ.

अध्यक्ष महोदय--कृपया, समाप्त करें आप. सीधी बात नहीं करेंगे.

(व्यवधान)

श्री जितू पटवारी--मेरा अनुरोध यह है..(व्यवधान) अध्यक्ष जी, एक और आपसे अनुमति चाहता हूं.

श्री बाला बच्चन--अध्यक्ष महोदय, साढ़े पांच बजे तक का समय बढ़ाया है न ?

श्री जितू पटवारी--मेरा अनुरोध अध्यक्ष जी, यह भी है कि मैं ऐसी लिस्ट यह आपके सरकारी आंकड़ों की है.

अध्यक्ष महोदय--आप समाप्त करें, समय हो गया.

श्री जितू पटवारी--दस जिले ऐसे हैं मध्यप्रदेश में 10 जिलों में अनूपपुर है, बालाघाट है, छिंदवाड़ा है, डिंडोरी है, मंडला है, पन्ना है...

अध्यक्ष महोदय--खाद पर चर्चा जारी रहेगी.

विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 12 दिसम्बर, 2014 को प्रात: 10.30 बजे तक के लिये स्थगित.

5.32 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 12 दिसंबर, 2014 (21 अग्रहायण, शक संवत 1936) के प्रात: 10.30 बजे तक के लिये स्थगित की गई.

भोपाल, भगवानदेव ईसरानी

दिनांक : 11 दिसंबर, 2014. प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा